16 सितम्बर को पहला ओज़ोन दिवस

पहला ओज़ोन दिवस शनिवार 16 सितम्बर 1995 को विश्व भर में मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जनवरी, 1995 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ओज़ोन की छीजती परत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और इसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 16 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय ओज़ोन दिवस मनाने की घोषणा की गई। 16 सितम्बर का दिन इसलिए चुना गया है कि 1987 में इसी दिन ओज़ोन के छीजने के लिए जिम्मेदार पदार्थो को धीरे-धीरे समाप्त करने वाली मॉट्रियल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मॉट्रियल संधि के अनुसार भारत तथा अन्य विकासशील देशों को, जिनका प्रति व्यक्ति ओज़ोन क्षरण पदार्थो का योगदान 300 ग्राम से कम है, सन् 2010 तक धीरे-धीरे इन पदार्थो को समाप्त करना है। भारत ने इसके लिए लगभग 65 अरब रुपये की लागत वाला एक कार्यक्रम तैयार किया है। विकासशील देशों में ओज़ोन क्षरण पदार्थो को समाप्त करने का पूरा खर्च विकसित देश उठाएंगे। इसके लिए मांट्रियल संधि के अंतर्गत एक विशेष कोष बनाया गया है।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

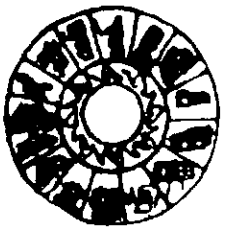

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए। लघु कथाओं का भी स्वागत है। अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है। 'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने व अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

वर्ष 40 अंक 11 भाद्रपद-आश्विन 1917, सितम्बर 1995

कार्यकारी संपादक	:	बलदेव सिंह मदान
उप संपादक	:	ललिता जोशी
उप निदेशक (उत्पादन)	:	के. आर. कृष्णन
विज्ञापन प्रबंधक	:	बैजनाथ राजभर
सहायक व्यापार व्यवस्थापक	:	पी० एन० बुलकुले
आवरण सज्जा	:	फेम क्रिएटिव एडवर्टाइज़िंग

एक प्रति : पांच रुपये वार्षिक चंदा : 50 रुपये

फोटो साभार : रमेश चंद्र, फोटो प्रभाग, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय

इस अंक में

राष्ट्रीय समृद्धि में गरीबों की भागीदारी	सुन्दर लाल कुकरेजा	3
सामाजिक-आर्थिक विकास के नये कार्यक्रम	राजेन्द्र उपाध्याय	6
भारत में महिलाओं का विकास	उर्वशी गुलाटी	9
पेइचिंग सम्मेलन और ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं	टी. एन. सुषमा	13
महिला विकास के प्रयास	डा. पी. एस. के. मैनन	17
नए सुधारों से गांवों का रूप निखरा	वेद प्रकाश अरोड़ा	22
निरक्षरता के कारण ग्रामीण जनता विकास की दौड़ में पिछड़ी	पी. आर. त्रिवेदी	25
जीवनदाता (कहानी)	आशा दूबे	26
ग्रामीण महिलाओं का विकास : स्थिति और संभावनाएं	ऋचा उपाध्याय	31
श्रमिक महिलाएं और जागृति	रजत रानी "मीनू"	33
ग्रामीण श्रमिक महिलाओं की समस्याएं	डा. अमरनाथ दत्त गिरि	34
साक्षरता से फूटती हैं स्वाधीनता की किरणें	सुजाता	36
कहीं तनहा न हो जाये हर इंसान	एम. मनमोहन हर्ष "नवीन"	39
ड्वाकरा : ग्रामीण महिलाओं के विकास का सच्चा सहयोगी	अखिलेश रंजन	41
बढ़ती जनसंख्या एवं खाद्य समस्या	डा. गणेश कुमार पाठक	43
कुटीर उद्योग और आर्थिक विकास	संतोष कुमार वैद्य	45
शिक्षा प्रगति के लिए आवश्यक	डा. कमलेश रानी	47

हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित इस पत्रिका में शामिल लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), [illegible] एवं रोजगार मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली [illegible] करें। दूरभाष : [illegible]

पाठकों के विचार

'कुरुक्षेत्र' का मई 1995 का अंक पाकर बेहद प्रसन्नता हुई। डा० भास्कर मिश्र और डा० ऋषि कुमार शुक्ल का ज्ञानवर्द्धक लेख 'ग्रामीण विकास में कृषि आधारित उद्योगों का योगदान' एवं उत्कृष्ट कहानी 'भविष्यवाणी' (डा० हरिकृष्ण देवसरे) जैसी रचनाओं को पाठकों को इतने सस्ते दामों में परोसने हेतु संपादक को बधाई।

यूं तो अन्य लेख, मसलन—वन हैं तो जीवन है, अन्यथा... आदि भी काफी सराहनीय हैं।

रमेश कुमार,
ई-186,
नेहरू विहार, दिल्ली

'कुरुक्षेत्र' गांव के लोगों के लिए एक मात्र समर्पित पत्रिका है। इसके हर अंक में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण जानकारी होती है। यह गांव के लोगों, प्रतियोगी विद्यार्थियों तथा ग्रामीण विकास में लगे लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी है।

अप्रैल '95 से पत्रिका में शुल्क वृद्धि के बाद पत्रिका को और बेहतर एवं उपयोगी बनाने का प्रयास अच्छा लगा। अप्रैल अंक में पंचायती राज पर काफी जानकारी मिली। इसी अंक में मधुमक्खी पालन के बारे में विस्तृत जानकारी युवाओं के लिए उपयोगी है। ग्रामीण युवाओं की आत्मनिर्भरता के लिए ग्रामीण संसाधनों पर आधारित स्वरोजगार के बारे में जानकारियां हर अंक में प्रकाशित की जाएं।

गौरी शंकर दूबे,
द्वारा मेसर्स शिवशंकर ट्रेडर्स,
बाईपास रोड, डालटनगंज,
822101, बिहार

मैं 'कुरुक्षेत्र' का नियमित पाठक हूं। मुझे मई 1995 का अंक बहुत ही पसन्द आया। इस अंक में कहानी 'भविष्यवाणी' बहुत अच्छी लगी। इसी अंक में 1995-96 का बजट भी प्रस्तुत था जो कि हमारे लिये उपयोगी है। 'विकास में महिलाओं की भागीदारी' डा० लता सिंह द्वारा लिखित लेख बहुत ही सुन्दर लगा। 'गांवों में व्यर्थ पदार्थों का उपयोग' बहुत ही उपयोगी लगा। राजीव कुमार मेहरा की कविता 'मौन स्वर' बहुत सुन्दर है। 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका पढ़ने से बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें मालूम होती हैं। हम सम्पादक मंडल को धन्यवाद देते हैं।

महेन्द्र साहू,
मोनाई औता,
इलाहाबाद 212303

मैं 'कुरुक्षेत्र' का नियमित पाठक हूं। मुझे मई 1995 का अंक बहुत ही ज्ञानवर्द्धक लगा। इस अंक में मुझे 'वैज्ञानिक तकनीक द्वारा-गांवों में व्यर्थ पदार्थों का उपयोग' तथा 'घरेलू औषधि-मसाला ही नहीं औषधि भी हल्दी' पढ़कर अच्छी-खासी जानकारी मिली। इस अंक में प्रकाशित कहानी 'भविष्यवाणी' प्रेरणादायक लगी। इस कहानी के मुख्य पात्र बंसी काका जिनकी धाक पूरे गांव में थी, अंधविश्वास के कारण उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लेकिन इनके बेटे श्यामू ने बंसी काका को अंधविश्वास से बाहर निकाला इस तरह आजकल बहुत से ढोंगी भविष्यवक्ता स्टेशनों और बाजारों में घूमते-फिरते हैं। आशा है कि 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका में इसी तरह ज्ञानवर्द्धक कहानियां और लेख प्रकाशित होते रहेंगे।

अनन्त कुमार पाण्डेय,
रोहिणी, देवधर (बिहार)

मैं 'कुरुक्षेत्र' का नियमित पाठक हूं। मुझे अप्रैल 1995 का अंक बहुत ही ज्ञानवर्द्धक लगा। इस अंक में सबसे ज्ञानवर्द्धक लेख 'नई पंचायती राज व्यवस्था : तब और अब' लगा। इसी अंक में प्रस्तुत 'पंचायती राजः संवैधानिक परिप्रेक्ष्य' 'पंचायती राजः अतीत और वर्तमान' तथा 'पंचायती राज : पर विनोबा जी के विचार' लेख मुझे बहुत ही पसन्द आये। वस्तुतः अप्रैल 95 का कुरुक्षेत्र पंचायती राज व्यवस्था को समर्पित अंक रहा।

अन्त में मैं आप से आग्रह करता हूं कि कुरुक्षेत्र के आगामी अंकों में वैदिक युग में पंचायती राज व्यवस्था पर एक सारगर्भित लेख प्रकाशित कर हम सबको वैदिकयुगीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था से अवगत कराएं।

अरुण कुमार पाठक,
ग्राम-पाठक बिगहा, पो० पड़रावां,
जिला-औरंगाबाद (बिहार),
पिन-824121

राष्ट्रीय समृद्धि में गरीबों की भागीदारी

सुन्दर लाल कुकरेजा

चालू वर्ष के बजट में किए गए वायदों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री ने समाज के निर्धन, कमजोर और असहाय वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से क्रियान्वित करने की घोषणा की है। इन घोषित योजनाओं से न केवल गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही वर्तमान योजनाओं को नई गति और बल मिलेगा, अपितु देहातों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और बेघरों को घर मिलने में भी सहायता मिलेगी। पहले से चली आ रही कुछ योजनाएं धन की कमी के कारण उतनी तेजी से लागू नहीं हो पा रही थीं जितनी अपेक्षा की गई थी। अब सरकार के पास धन और संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में हैं और उनका उपयोग गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें अधिक सहायता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों पर अमल से देहाती क्षेत्र में रोजगार के जो अवसर पैदा होंगे, उनका लाभ समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा। इन कार्यक्रमों की एक मुख्य विशेषता यह है कि महिलाएं, बच्चे, वृद्ध और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्धन लोग इनसे काफी बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे। समाज का जो वर्ग अब तक सुख सुविधाओं से वंचित रहा है, वह भी अब आर्थिक समृद्धि में भागीदार बन सकेगा।

स्वंतत्रता दिवस से जो योजनाएं लागू की गई हैं, उनमें 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों व महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन देना, छोटी उम्र की महिलाओं को प्रसव से पूर्व तथा प्रसव पश्चात् सहायता प्रदान करना, परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार को एक मुश्त सहायता राशि देना, देहातों में गरीबी की रेखा से भी नीचे जीवन यापन करने वालों को भी मामूली लागत पर जीवन बीमे की सुविधा, लाभ पहुंचाना, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत गरीबों के लिए मकान बनाना और सबसे बढ़कर गरीबों के बच्चों को कम से कम प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु सभी प्राइमरी स्कूलों में विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन देना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं की घोषणा वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में की थी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भी समय-समय पर इन योजनाओं को अपनी स्वीकृति दी है। इन योजनाओं पर अमल का पूरा खाका तैयार करने और उन पर होने वाले खर्च की व्यवस्था कर लेने के बाद ही प्रधानमंत्री ने इन्हें क्रियान्वित करने की घोषणा की है।

इन योजनाओं पर अमल करने से एक वर्ष में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनका क्रियान्वयन वैसे तो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा, लेकिन उनकी निगरानी और उनके काम में समन्वय की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय को सौंपी गई है। फिर भी, इन योजनाओं के संचालन में जनता को सीधे जोड़ने का प्रयास किया गया है। पंचायतों, नगरपालिकाओं और स्वयंसेवी संगठनों को भी इन योजनाओं की सफलता के लिए विभिन्न स्तरों पर दायित्व सौंपा जाएगा। इनकी निगरानी व समन्वय के लिए जिला स्तर पर समितियां गठित की जायेंगी जिनमें सांसद, विधायक, जनता के चुने हुए अन्य प्रतिनिधि और जिलाधिकारी शामिल होंगे।

दोपहर का भोजन

प्राइमरी स्कूलों के बच्चे को दोपहर का भोजन देने की योजना सम्भवतः सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जो सबसे अधिक प्रभावी और दूरगामी योजना सिद्ध होगी। इसमें बच्चों को कम से कम एक समय का पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के प्रत्यक्ष लाभ के अतिरिक्त कई अप्रत्यक्ष लाभ भी अर्जित किए जा सकेंगे। हमारे देश में गरीबी के कारण अभिभावक अपने बच्चों को आरम्भिक शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि संसार में निरक्षरों की सबसे अधिक संख्या भारत में है। इस निरक्षरता के कारण ही बाल मजदूरी, अंध विश्वास, बाल शोषण और अपने अधिकारों के प्रति अज्ञानता जैसी सामाजिक कुरीतियां पनपती हैं। इस एक योजना द्वारा इन सारी कुप्रथाओं और कमजोरियों को दूर किया जा सकेगा।

बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना का एक और भी पहलू है। देश के पास अब अनाज का इतना अधिक भण्डार

है कि हम अनाज के मामले में आत्म निर्भर तो हो ही गए हैं, उससे अब हम अपने समाज के अत्यंत निर्धन और कमजोर वर्ग को सस्ता ही नहीं, निशुल्क अनाज भी उपलब्ध करा सकते हैं। स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देना इसी दिशा में उठाया गया पहला कदम है। एक प्रकार से यह योजना देश की समृद्धि में कमजोर वर्गों की भागीदारी की योजना है।

प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त पौष्टिक आहार देने की योजना से देश के करीब 11 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। दोपहर का भोजन देने की यह योजना देश भर के पांच लाख सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में शुरू की जाएगी और अगले तीन वर्षों में इस पर कुल 2085 करोड़ रुपये व्यय होंगे। पहले वर्ष में ही इस पर 610 करोड़ रुपये से अधिक धन खर्च होगा। यह योजना तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में उन 2408 ब्लाकों में इसे शुरू किया जाएगा जहां सबसे ज्यादा गरीबी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है। दूसरे चरण में दो हजार अन्य ब्लाकों में तथा तीसरे चरण में शेष सारे ब्लाकों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत अनाज को दूर दराज के गांवों तक पहुंचाने के लिए 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से परिवहन व्यय केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को देगी। इसके साथ ही प्रत्येक गांव में खाना पकाने के लिए शेड बनाने के लिए जवाहर रोजगार योजना के तहत धन दिया जाएगा। इस काम में स्वयंसेवी संगठनों को भी भागीदार बनाने के लिए खाना पकाने का काम महिला मंडलों को दिया जाएगा अथवा गांव की ही तीन चार महिलाएं मिलकर यह काम करेंगी। इसके लिए भी जवाहर रोजगार योजना से ही पैसा दिया जाएगा। विकल्प के तौर पर यह व्यवस्था भी की गई है कि जब तक खाना बनाने की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक प्रत्येक बच्चे को प्रतिमाह तीन किलो अनाज घर ले जाने के लिए दिया जाएगा।

साथ ही इस योजना को साक्षरता और शिक्षा से जोड़ने के लिए यह भी शर्त लगा दी गई है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो महीने में कम से कम 20-22 दिन स्कूल गए हों। इससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिल सकेगा। यह योजना वैसे तो 20-25 वर्ष पहले शुरू की गई थी, लेकिन इसका संचालन राज्य सरकारें करती थीं और अक्सर धन के अभाव में यह चल नहीं पाती थी। वैसे भी हर राज्य में ऐसी योजना थी भी नहीं। फिलहाल केवल चार या पांच राज्य ही इसे चला रहे थे। अब केन्द्र सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया है और इसका सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली है। पहली बार सारे देश में इस योजना का विस्तार किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना

भोजन के बाद गरीबों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या मकान की होती है। हमारे देहातों में लाखों गरीब मजदूर कड़ी मेहनत के बावजूद अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। उनके लिए 1985 में इन्दिरा आवास योजना शुरू की गई थी।

इसके लिए धन का प्रावधान भी किया गया था किन्तु विभिन्न कारणों और संसाधनों की कमी के कारण इस योजना को वांछित गति नहीं दी जा सकी थी। इसके अन्तर्गत अभी तक केवल 18 लाख मकान ही बनाए जा सके हैं।

अब इस योजना के लिए पूरे धन की व्यवस्था कर दी गई है और इसका विस्तार भी किया जा रहा है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए व्यक्तियों के लिए इस योजना में तेजी लाई जा रही है। अब एक साल में दस लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रबंध भी कर लिया गया है। सरकार का इरादा तो एक वर्ष में दस लाख से भी अधिक मकान बनाने का है लेकिन उसमें धन की कमी आड़े आ रही है। यदि कहीं से भी अतिरिक्त धन की व्यवस्था हो गई, भले ही वह कर्ज के रूप में मिले, तो उससे अधिक मकान भी बनाए जाएंगे।

यह पहला मौका है जब सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए इतने बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। योजनाएं तो हर वर्ष बनती हैं, लेकिन इस वर्ष की योजनाएं ऐसी हैं जिनका सीधा लाभ गरीबों को मिलेगा। अब तक केन्द्र सरकार की भूमिका केवल संगठित क्षेत्र में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि आदि तक ही सीमित थी। यह पहला मौका है जब असंगठित क्षेत्र के लिए भी सामाजिक सहायता की राष्ट्रीय नीति निर्धारित की गई है और उसे गरीबी निवारण तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के कार्यक्रमों से भी जोड़ा गया है।

सामूहिक जीवन बीमा योजना

गरीबी की रेखा से भी नीचे रहने वालों का जीवन और भी जोखिम भरा होता है। किन्तु अपनी गरीबी के कारण वे उस जोखिम को कम करने की व्यवस्था नहीं कर पाते। जीवन बीमा कराने की बात तो वे सोच भी नहीं सकते। इसीलिए सरकार ने पहली बार ऐसे लोगों के लिए सामूहिक जीवन बीमा प्रदान करने की एक कल्याणकारी योजना शुरू की है। इसे पंचायतों के माध्यम से लागू किया जायेगा।

इसके अन्तर्गत 40 वर्ष तक की आयु के ग्रामीणों को प्रतिवर्ष 60 रुपये और 40 से 50 वर्ष तक की आयु के लोगों को 70 रुपये वार्षिक के भुगतान पर पांच हजार रुपये तक जीवन बीमा कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए भुगतान की रकम और भी कम होगी। उनकी किस्त में केन्द्र व राज्य सरकारें भी 25 प्रतिशत की सहायता देंगी। इस प्रकार इन गरीबों को केवल तीन या साढ़े तीन रुपये प्रतिमाह की किस्त अदा करने पर पांच हजार रुपये तक के जीवन बीमा की सुविधा प्राप्त होगी। प्रत्येक गरीब परिवार में केवल ऐसी एक बीमा पोलिसी पर ही यह राजकीय सहायता उपलब्ध होगी।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसका उल्लेख वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में भी किया था, का उद्देश्य समाज के उन असहाय वृद्धजनों, महिलाओं और निस्सहाय परिवारों की सहायता करना है जो बेसहारा हैं, अशक्त हैं और जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत तीन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पहले कार्यक्रम में उन परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में पांच हजार रुपये दिए जायेंगे जिनके कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है और परिवार के भरण-पोषण का सारा भार उसकी विधवा पर आ जाता है जो निर्धनता के कारण पहले ही असहाय होती है। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवार ही इस लाभ के अधिकारी होंगे। अगर कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना में होती है तो उस परिवार को दस हजार रुपये तक की एक मुश्त सहायता दी जाएगी।

इस योजना के दूसरे—वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम में उन वृद्धों को, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो गई है और जिनकी आय का कोई साधन नहीं है, प्रतिमाह 75 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रबंध है। तीसरे कार्यक्रम में निर्धन वर्ग की महिलाओं को पहले दो बच्चों के जन्म पर 300 रुपये प्रति प्रसव की सहायता उसके पौष्टिक आहार के लिए दी जाएगी और बच्चों के लिए भी पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी।

वृद्धावस्था पेंशन की राशि बैंक अथवा डाकघर में खाता खुलवाकर उसमें जमा की जाएगी अथवा मनीआर्डर से भेजी जाएगी। पैंसठ वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं महिला समृद्धि योजना की भी सदस्य हैं, उनके 300 रुपये भी इसी योजना से लेकर जमा करा दिए जायेंगे।

देश की समृद्धि में गरीबों को भी भागीदार बनाने और उनके जीवन में आशा का संचार करने वाली इन योजनाओं का मुख्य लाभ वृद्धों, महिलाओं, विधवाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों को मिलेगा जिन्हें सामाजिक सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है। इन योजनाओं के दूरगामी परिणाम होंगे और आने वाले कई वर्षों तक ग्रामीण निर्धनों को इनका लाभ मिलता रहेगा।

बी-7, प्रेस, एन्कलेव,
साकेत, नई दिल्ली-110017

लेखकों से

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक कहानी, कविता, संस्मरण, लघुकथा आदि भेजिये। रचनाएँ दो प्रतियों में टाइप की हुई हों और उनके साथ मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा अपना पता लिखा लिफाफा संलग्न करना न भूलें। सभी रचनाएं संपादक, 'कुरुक्षेत्र', 467, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेजें।

—सम्पादक

सामाजिक-आर्थिक विकास के नये कार्यक्रम

राजेन्द्र उपाध्याय

हाल के वर्षों में देश में जारी आर्थिक सुधार कार्यक्रम और नयी आर्थिक नीतियों से परिवर्तन का नया सिलसिला शुरू हुआ है। यह बदलाव आज समूचे विश्व में नये आर्थिक माहौल का नतीजा है। इससे जहां देश में अनेक आशाएं जगी हैं, वहीं कुछ लोगों के मन में इसको लेकर आशंकाएं भी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण को प्रोत्साहन देकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है। आलोचकों का तो यहां तक कहना है कि सरकार समाजवादी समाज की स्थापना के अपने लक्ष्य से विचलित हो चुकी है और ग्रामीण क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों के कल्याण की योजनाओं से वह हाथ खींचने जा रही है। मगर स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण और उससे पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश से प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिम्ह राव ने इन सभी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध कर दिया है। इससे यह भी साफ हो गया है कि न तो सरकार ने देश के आम आदमी के कल्याण की अपनी जिम्मेदारी को भुलाया है और न ही भविष्य में ऐसा करने की कोई योजना ही है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर गरीबों, कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों और असहाय लोगों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता की फिर पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है : "हमारा लक्ष्य रोजगार के अवसर पैदा करना, गरीबी दूर करना और असमानता को समाप्त करना है। हम एक मानवीय समाज का निर्माण करना चाहते हैं।"

नयी आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार की आलोचना पहले भी होती रही है। यह आरोप भी लगाया गया है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा कर रही है। लेकिन कुछ वर्षों के बजट में ग्रामीण विकास तथा इससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए आबंटित धन राशि से यह आरोप गलत सिद्ध हो जाता है। नयी आर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद से सरकार ने ग्रामीण विकास पर खर्च की गई राशि में लगातार भारी वृद्धि की है जो इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास का कार्य सरकार की प्राथमिकता की सूची में बना हुआ है।

हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिन कार्यक्रमों को शुरू करने की घोषणा की है वह कोई नयी बात नहीं है। वित्त मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह अपने बजट भाषण में इन कार्यक्रमों को प्रारंभ करने की बात पहले ही कह चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने इनके क्रियान्वयन का विस्तृत ब्यौरा देकर आशंकाओं और अटकलों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। जिन कार्यक्रमों की घोषणा की गयी है उनमें प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों को दोपहर को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय कार्यक्रम, ग्रामीण लोगों के लिए जीवन बीमा योजना, बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, गर्भवती महिलाओं के कल्याण की योजना, ग्रामीण आवास योजना और ग्रामीण सामूहिक बीमा योजना प्रमुख हैं। ये योजनाएं इस वर्ष पन्द्रह अगस्त से लागू हो गयी हैं और इन पर करीब चालीस अरब रुपये खर्च आने का अनुमान लगाया गया है।

स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक आहार कार्यक्रम

इन सभी कल्याण कार्यक्रमों में से सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। इस पर 20 अरब 84 करोड़ रुपये खर्च आएगा। कौन नहीं जानता कि हमारे देश के विकास की दौड़ में पिछड़ने का मुख्य कारण समाज में व्याप्त व्यापक निरक्षरता है। हमारे विकास कार्यक्रम सिर्फ इस कारण कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि जिनके लिये ये बनाए जाते हैं वे ही इनके बारे में जानने-समझने की स्थिति में नहीं हैं। नतीजा यह होता है कि विभिन्न कल्याण कार्यक्रम सरकारी फाइलों में सिमट कर रह जाते हैं। अगर हमें इस स्थिति में बदलाव लाना है और सही अर्थों में कल्याण कार्यक्रमों का लाभ जनसाधारण तक पहुंचाना है तो लोगों को शिक्षित बनाना होगा। बच्चे देश का भविष्य होते हैं इसलिए उनकी शिक्षा की ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। हालांकि बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रम पहले भी चलाए गए हैं मगर पिछले अनुभवों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गरीबी बच्चों की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। गरीब परिवारों में माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाने के बजाय कोई काम धंधा

कराना या घर के कामों में हाथ बंटाना अधिक पसंद करते हैं। अगर बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में मुफ्त मिलने लगे तो निश्चय ही लोग बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजेंगे। हालांकि दोपहर का भोजन देने का कार्यक्रम कई राज्यों में विदेशी मदद से पहले भी शुरू किया गया था मगर अनेक कारणों से यह सफल नहीं हो सका। इस बार पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए सभी कमियों को दूर कर दिया गया है। देश के खाद्यान्न भंडार में इस समय भरपूर अनाज है जिससे यह कार्यक्रम सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। अनाज को स्कूल तक पहुंचाने और बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की योजना भी तैयार कर ली गयी है। इसके लिए इसे जवाहर रोजगार योजना से जोड़ा जा रहा है। भोजन पकाने का कार्य जवाहर रोजगार योजना के तहत किसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा। जिन स्कूलों में बच्चों को पका भोजन उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा वहां प्रत्येक बच्चे को तीन किलोग्राम की दर से अनाज दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कक्षा में 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के इस कार्यक्रम की एक विशेषता यह भी है कि इसे पंचायतों और नगरपालिकाओं के सहयोग से चलाया जाएगा। जन प्रतिनिधियों का नियंत्रण होने से इसकी सफलता की उम्मीद की जा सकती है।

यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण में इसे देश के उन 2,408 ब्लाकों में लागू किया जाएगा जो सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत आते हैं। इनमें गरीबों की अधिक आबादी वाले दूर दराज के ऐसे जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं जहां महिला साक्षरता की दर बहुत कम है। दूसरे चरण में यह कार्यक्रम देश के 2005 ब्लाकों में लागू किया जाएगा। तीसरे चरण में 1997-98 में 828 और ब्लाकों को इसमें शामिल करने की योजना है। इस कार्यक्रम से देश के करीब पांच लाख स्कूलों के 11 करोड़ से अधिक बच्चों को फायदा होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जहां बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए प्रेरित करना है वहीं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या कम करना और बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराके उनके स्वास्थ्य को सुधारना भी इसका उद्देश्य है। कार्यक्रम की प्रारंभिक घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कर दी थी। बाद में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर विचार हुआ और विस्तार से जांच के लिए केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। इस समिति ने राज्य सरकारों और राष्ट्रीय पौष्टिक आहार संस्थान के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद इस कार्यक्रम के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। इसकी एक और विशेषता यह है कि इसमें गैर-सरकारी संगठनों, महिला संगठनों और अध्यापक-अभिभावक संघ के सदस्यों को शामिल करने की व्यवस्था की गयी है। इन लोगों के साथ विचार-विमर्श से यह तय किया जाएगा कि बच्चों को क्या भोजन दिया जाए।

सामाजिक सहायता योजनाएं

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : श्री नरसिम्ह राव ने अपने भाषण में सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने के जिन कार्यक्रमों की घोषणा की है उनसे करीब एक करोड़ जरूरतमंद लोगों को फायदा होने का अनुमान है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को पेंशन दी जाएगी जिनका आजीविका का कोई साधन नहीं है। पेंशन की राशि 75 रुपये प्रतिमाह होगी। हालांकि इस तरह की एक योजना देश में पहले से ही लागू है लेकिन उसे और अधिक कारगर बनाने की आवश्यकता थी। अब इस योजना को पंचायतों और नगरपालिकाओं से जोड़ दिया गया है। योजना के संचालन के लिए जिला स्तर पर एक समिति होगी जिसमें जनता के प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल होंगे। समिति समय-समय पर बैठकें करेगी और कमियों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का पता लगाएगी। ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी जिससे बुजुर्ग पेंशनरों को पैसा लेने के लिए दौड़ भाग न करनी पड़े। पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करने या मनीआर्डर से भेजने की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का फायदा 5 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा और इस पर 4 अरब 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना : अक्सर देखने में आता है कि परिवार के रोजी-रोटी कमाने वाले व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य के मारे ऐसे परिवारों के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 10 हजार रुपये और स्वाभाविक मृत्यु होने पर 5 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इस पर एक अरब 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे और साढ़े तीन लाख से अधिक परिवारों को इसका फायदा मिलेगा।

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना : महिलाएं हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं। बच्चों को जन्म देने तथा उनके लालन-पालन जैसी जिम्मेदारियों की वजह से देश के भविष्य के निर्माण में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर माताओं का स्वास्थ्य

ठीक नहीं होगा तो बच्चे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनमें महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को वे सब सुविधाएं नहीं मिल पातीं जो उन्हें मिलनी चाहिए। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों में तो गर्भवती स्त्रियां प्रसव के कुछ ही दिनों पहले तक काम करते रहने को मजबूर होती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की 19 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दो बच्चों के जन्म तक 300 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। यह पैसा प्रसव से 12 से 8 सप्ताह पूर्व दे दिया जाएगा। अनुमान है कि इस योजना पर 1 अरब 36 करोड़ रुपये खर्च आयेगा और इससे 45 लाख से अधिक महिलाओं को फायदा होगा। इस योजना से जहां माता तथा शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद मिलेगी वहीं परिवार नियोजन को भी बढ़ावा मिलेगा। योजना का लाभ दो बच्चों तक सीमित होने से लोगों को परिवार छोटा रखने की प्रेरणा मिलेगी।

ग्रामीण समूह बीमा योजना : हमारे देश में अधिकतर मजदूर असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जहां संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जीवन बीमा योजनाएं हैं, वहीं दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस तरह की सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने नयी सामूहिक जीवन बीमा योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित मजदूरों को रियायती दर पर पांच हजार रुपये का जीवन बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। 40 वर्ष की उम्र तक के लोगों को प्रीमियम के रूप में सालाना 60 रुपये देने होंगे। 40 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष तक के मजदूरों को 70 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होगा।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इन्दिरा आवास योजना को और अधिक व्यापक बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में शुरू की गयी इस योजना के लागू होने के बाद के दस वर्षों में कुल 18 लाख मकान बनाये गये हैं लेकिन अगले एक ही वर्ष में इस योजना के तहत दस लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 10 अरब रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना लोगों में काफी लोकप्रिय हुई है और मकानों की मांग काफी बढ़ गयी है। संसाधनों की कमी के कारण सभी की जरूरतों को एक साथ पूरा करना तो संभव नहीं है लेकिन सरकार इस बात के प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएं।

सामाजिक-आर्थिक कल्याण की इन योजनाओं की घोषणा करके प्रधानमंत्री ने जहां आम आदमी की, विशेष रूप से देश की बहुसंख्यक ग्रामीण आबादी की भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है वहीं नयी आर्थिक नीतियों को लेकर लोगों के मन में व्याप्त आशंकाओं को भी काफी हद तक दूर कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है :

"हमारा प्रयास होगा कि हम अभाव तथा विपन्नता में रह रहे अपने लाखों लोगों का जीवन स्तर सुधारें। गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के उत्थान की ओर सरकार अपना पूरा ध्यान देगी।"

लेकिन कल्याण योजनाओं की घोषणा करना एक बात है और लोगों तक उनका लाभ पहुंचाना पूरी तरह अलग बात है। वैसे भी इस तरह की योजनाएं और कार्यक्रम पहले भी शुरू किये गये हैं उनमें से अधिकतर का फायदा आम आदमी को नहीं मिल पाया है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक बार कहा भी था कि कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित राशि का बहुत छोटा हिस्सा समाज के उस वर्ग तक पहुंच पाता है जिनके लिए ये शुरू की जाती हैं। इसका अधिकतर भाग तो बिचौलिये ही हड़प जाते हैं। ऐसे में इन नयी योजनाओं को लागू करते समय यह देखना आवश्यक होगा कि गरीब लोगों को सही अर्थों में इनका फायदा मिले। वैसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद देश में योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की दिशा में एक नया बदलाव आया है। अब योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी पंचायतों और नगरपालिकाओं के माध्यम से आम आदमी को सौंप दी गयी है। इन नये कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायतों, नगर पालिकाओं, स्वयंसेवी संगठनों और जनप्रतिनिधियों के अलावा आम आदमी को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जहां तक सरकार द्वारा निगरानी करने का सवाल है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजनाओं के क्रियान्वयन की देख रेख के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनायी जा रही है। इसके अलावा राज्य तथा जिला स्तर पर भी निगरानी समितियां बनायी जा रही हैं। इनमें जनप्रतिनिधियों, सांसदों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इस तरह यह प्रयास किया जा रहा है कि सामाजिक-आर्थिक कल्याण के इन कार्यक्रमों को लागू करने में पिछली भूलें न दोहरायी जाएं और ये कार्यक्रम अपने उद्देश्य में सफल हों।

सी-701,
सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली-23

ग्रामीण महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में

भारत में महिलाओं का विकास

✍ उर्वशी गुलाटी

सन् 1971 में जब सरकार ने महिलाओं की स्थिति पर एक समिति गठित की, भारत एक लम्बा सफर तय कर चुका था। समिति ने 1974 में "टुवर्डस इक्वेलिटी" (समानता की ओर) नामक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाला जिसमें महिलाओं के स्तर के सम्बन्ध में चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए गए। इसमें कई मिथक धारणाओं को गलत बताया गया और प्रचलित नीति की भ्रांतियों को उजागर किया। इसमें महिलाओं के स्तर के संबंध में कई मुद्दे उठाए गए और नई नीतियों की आवश्यकता के बारे में बहस का आधार रखा गया।

'कल्याणकारी' से 'अधिकार सम्पन्न' बनाने की नीति

सत्तर के दशक में इन प्रमुख नीतिगत बहसों का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि सामाजिक क्षेत्र में 'योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं का कल्याण' न समझ कर विकास के लिए उन्हें 'महत्वपूर्ण एजेन्ट' का दर्जा दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में इस विचार को मान्यता दी गई और पहली बार 'महिला और विकास' पर एक अध्याय शामिल किया गया।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय संदर्श योजना (1988-2000) तैयार की जिसमें महिलाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए बहुउद्देशीय नीति बनाई गई। स्वरोजगार में लगी महिलाओं तथा अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यापक रिपोर्ट "श्रम शक्ति" (1988) में अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कामगारों से संबंधित मामलों पर विचार किया गया और महिलाओं के स्तर में सुधार के लिए उससे महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई।

यह जानते हुए कि परिवार एक अत्यन्त अनौपचारिक व प्राथमिक एकक है और उसमें महिलाओं की स्थिति बड़ी कमजोर व असुरक्षित है, नीति-निर्धारकों ने अपना ध्यान गर्भस्थ मादा शिशु, बालिका, नवयुवती और ससुराल में महिला की स्थिति पर केन्द्रित किया। योजना का उद्देश्य असुरक्षित मातृत्व, महिलाओं में रक्त अल्पता और आयोडीन की कमी के खिलाफ लड़ाई और शैशव के अति नाजुक वर्षों में तथा बाद में विकास, परिवर्तन और स्थिरता की चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के लिए महिलाओं में क्षमता पैदा करना है।

महिलाओं की समस्याओं को उठाने वाले गैर-सरकारी संगठनों को बल मिला। उन्होंने महिलाओं के प्रति हिंसा के खिलाफ आवाज उठायी, गर्भपात का अधिकार मांगा, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन की मांग की ताकि इस अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया जा सके तथा कार्य स्थलों पर महिलाओं के लिए बेहतर व्यवहार पैरवी की। 1990 के शुरू होते ही महिलाएं विनम्र और मन्द शिकायतों के स्थान पर प्रबल और निर्भीक विरोध प्रकट करने लगीं।

सन् 1990 के शुरू में सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं में परिवर्तन किया गया और विकास के स्थान पर 'अधिकार सम्पन्न बनाने' पर बल दिया गया। यह महसूस किया गया कि पूंजी बाजार, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, परामर्शदात्री और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार के रूप में महिलाओं की पहुंच सीमित है। महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने की दिशा में 1993 में संविधान में 73वें व 74वें संशोधन अधिनियम ने प्रमुख भूमिका निभाई है चूंकि इनमें ग्रामीण और शहरी निकायों में अध्यक्षों की और कुल पदों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।

इस अकेले कदम द्वारा स्थानीय और मूल आधार स्तर पर निर्णय लेने में लगभग दस लाख महिलाओं की भागीदारी हुई है। निश्चित रूप से इससे महिलाओं की पहुंच अपने राज्य से बढ़कर अन्य क्षेत्रों में होगी। दूसरे शब्दों में इसे महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के प्रति अत्यधिक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। सभी तीनों स्तरों में महिला पंचायत सदस्य पंचायत समिति के कार्यक्रमों में परिवर्तन लायेंगी। पंचायतों के कार्यक्रम महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनेंगे। इससे स्थानीय संसाधनों का बेहतर प्रबन्धन होगा। उनका दर्जा, उन तक पहुंचने

*लेखिका हरियाणा के राज्यपाल की सचिव हैं।

में आसानी और महिलाओं के हितों के प्रति संवेदनशीलता ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में सुधार लायेगी। समय के साथ ये निर्वाचित महिलाएं चिकित्सा, स्वास्थ्य की देखभाल, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, प्रशिक्षण, आर्थिक व सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के लिए सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होंगी। महिलाएं अपनी सामान्य समस्याओं पर बातचीत करेंगी, अपनी चिन्ताओं और अपनी आवश्यकताओं को बताएंगी और उनका समाधान करने के लिए परस्पर विचार विमर्श करेंगी। महिलाएं निर्णय लेने में भागीदार बनें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देना होगा, उनमें जागरूकता लानी होगी और उन्हें निरंतर जानकारी देनी होगी। महिलाओं के विकास के लिए भेदभाव दूर करने और संरक्षण देने की नीति के स्थान पर "महिलाओं को अधिकार सम्पन्न" बनाने की नीति को अपनाने से ही महिलाएं विकास प्रक्रिया में केवल लाभार्थी न रहकर सामाजिक परिवर्तन के एक सक्रिय भागीदार के रूप में प्रभावी भूमिका निभाने में सहायक होंगी।

अब यह स्वीकार किया गया है कि केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी. एन. पी.) से ही मानवीय विकास के स्तर का निर्धारण ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। 1990 में मानवीय विकास की प्रथम रिपोर्ट में विकास के लिए लोगों की पसंद का दायरा बढ़ाने का तर्क दिया गया और इसमें मानव विकास के नए मानदण्ड लागू किए गए जो जी. एन. पी. से अधिक व्यापक हैं। मानवीय विकास सूचकांक में वास्तविक क्रय शक्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य के सूचकों को शामिल किया गया है। गरीबी दूर करने और विकास की कोई भी नीति जो भारत की जनसंख्या के आधे हिस्से अर्थात् महिलाओं पर लागू नहीं होती, समस्या का समाधान करने में पूरी तरह प्रभावी नहीं होगी। भारत की अर्थ व्यवस्था में विकास और आधुनिकीकरण के स्पष्ट संकेतों के बावजूद देश में उसी तरह और उतनी ही गरीबी बनी हुई है। अपने देश का दर्जा बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम महिलाओं के विकास पर ध्यान दें। मानवीय विकास सूचकांक के आधार पर भारत कम विकासवाला देश है।

महिलाओं पर ध्यान क्यों?

प्रथम : भारत में कुल जनसंख्या का आधा भाग महिलाओं का है। हम उन्हें देश की मुख्यधारा से अलग नहीं रख सकते। 1991 की जनगणना के अनुसार 84.63 करोड़ की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या 40.71 करोड़ थी, इनमें से 29.78 करोड़ महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थीं और 27 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे थीं।

द्वितीय : भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाएं महत्वपूर्ण और उत्पादक श्रमिक हैं। महिलाएं श्रमिक बल का एक तिहाई हिस्सा हैं।

तृतीय : परिवार जितना अधिक गरीब होगा महिलाओं की आर्थिक उत्पादन क्षमता पर वह उतना अधिक निर्भर होगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली छः करोड़ भारतीय गृहणियों की स्थिति में सुधार के लिए महिलाओं की आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना एक महत्वपूर्ण योजना नीति है।

चतुर्थ : महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की कार्य क्षमता और वास्तविक उत्पादन में काफी अंतर है। गरीब पुरुषों की तुलना में गरीब महिलाओं की कार्य क्षमता और उत्पादन में बहुत अधिक अन्तर है। अतः यदि निवेश और विकास प्रयासों को उनके अनुकूल कर दिया जाए तो महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा।

पंचम : महिलाओं की आय का बच्चों के स्वास्थ्य, पौष्टिकता स्तर और शिक्षा पर अच्छा असर पड़ता है। अध्ययनों से पता चला है कि पुरुषों की तुलना में भारतीय महिला अपनी आय का अधिकांश हिस्सा परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर खर्च करती है। महिलाओं की आय में वृद्धि का बच्चों के स्वास्थ्य और पौष्टिकता पर सीधा असर पड़ता है। महिलाओं की उत्पादकता, आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाने का असर विकास के अनेक क्षेत्रों पर पड़ता है।

महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित कैसे करें?

महिलाएं गरीबी हटाने के प्रयासों की सफलता की धुरी है। इस अहसास से विकास के प्रयासों में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जाता है। महिलाओं के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए उनकी समस्याओं और सीमाओं को समझना होगा और ये कार्यक्रम उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। ग्रामीण महिलाओं के मामले में यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वे घोर गरीबी में जीवन बसर करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन के साधनों तक उनकी पहुंच और नियन्त्रण बहुत कम

है। ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा-बच्चा मृत्यु दर अत्यधिक बनी हुई है। स्त्री-पुरुष अनुपात में हो रही कमी चिन्ता का विषय बना हुआ है। पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में भी भारी अन्तर है। 1991 में 64.13 प्रतिशत साक्षर पुरुषों की तुलना में 39.29 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर थीं। शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाएं कम साक्षर थीं। कुछ राज्यों में तो साक्षर महिलाओं की दर इतनी कम थी कि यह 20.44 प्रतिशत ही बैठती है। विद्यालयों में सभी स्तरों पर लड़कियों के दाखिले में अत्यधिक वृद्धि हुई है लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर भी काफी अधिक बनी हुई है। इसमें भी लड़कों और लड़कियों की दर में भी भारी अन्तर है। क्षेत्रीय विषमताएं भी अपनी जगह विद्यमान हैं।

आज शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य और पौष्टिकता, प्रशिक्षण तथा आय उपार्जन, कानूनी और न्यायिक सुधार सभी क्षेत्रों में महिलाओं की रुचि महत्वपूर्ण है। इस रुचि को अमली जामा पहनाना चुनौतीपूर्ण है। महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं, को अधिकार सम्पन्न बनाने की योजना में तेजी लानी होगी, उसे प्रभावी बनाना होगा।

1. कार्यक्रम बनाने और प्रबन्धन में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी

जो कार्यक्रम महिलाओं के बारे में हैं उनमें उन्हें प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाना चाहिए। परियोजना निर्माण के स्तर पर महिलाओं के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, परियोजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। यह साबित हो चुका है कि जिन कार्यक्रमों में महिलाओं को केवल लाभार्थी न मान कर प्रबंधन में सक्रिय भागीदार माना गया उनके परिणाम बेहतर थे। ऐसे कई सफल कार्यक्रमों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिनमें मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने में महिला समूह सक्रिय थे।

2. सामाजिक संगठनों के साथ प्रभावी सहयोग

ग्रामीण महिलाओं में गरीबी दूर करने के कई सामाजिक पहलू हैं जिनमें व्यापक मुद्दों और समस्याओं पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम बनाने और क्रियान्वित करने के लिए सामुदायिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को मजबूत बनाने और उनकी क्षमताओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। इससे गरीब महिलाओं के लिए बहुत लक्ष्य निर्धारित करने और समाज के दीर्घकालिक विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करने में सहायता मिल सकती है।

3. महिलाओं के समूहों को संगठित करना और मजबूत बनाना

यदि गरीब महिलाओं की सामूहिक कार्यक्रमों में भागीदारी ली जा सके और उन्हें अपने अधिकारों की मांग के लिए जागरूक बनाया जा सके तो गरीबी दूर करने और महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। जिन वर्गों को सेवाओं की आवश्यकता है उनसे इनकी मांग करवा कर वितरण व्यवस्था में भारी सुधार किया जा सकता है। इन समूहों पर सीमित पर्यवेक्षण का अधिकार बुनियादी स्तर पर स्थानीय सरकारी निकायों को दिया जा सकता है। भारत में विभिन्न स्वयंसेवी संगठन विकास में भागीदारी के विभिन्न तरीकों के सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुके हैं। इन तरीकों से महिलाओं को कुछ सीमा तक गरिमा, आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता मिली है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि गरीब महिलाओं की सर्जनात्मकता, सामूहिक गतिशीलता और प्रबंध कुशलता से स्त्री-पुरुष में भेदभाव कम करने में मदद मिलती है।

4. पितृसत्ता वाले समाज के कारण महिलाओं को निम्न दर्जा प्राप्त है। परम्पराओं, जनसंचार माध्यमों और अन्य सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निबाही है।

महिला पुरुष में भेदभावपूर्ण रवैये को दूर करने के लिए समाज में जागृति लाकर क्रांतिकारी परिवर्तन करने होंगे। महिलाओं को अपने बारे में अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना होगा। औपचारिक एवं अनौपचारिक नेतृत्व, पत्र-पत्रिकाओं एवं इलेक्ट्रानिक माध्यमों को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

5. महिलाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना

महिलाओं के विकास के उद्देश्य से बनाई जाने वाली किसी भी विशिष्ट योजना के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे महिलाओं की आवश्यकताओं का पता लगाएं। महिलाओं को कौन-सी बात सबसे अधिक प्रभावित करती है यह उनके दिनचर्या के स्वरूप

पर निर्भर करता है। वे अपना समय किस प्रकार व्यतीत करती हैं और उनके दायित्व क्या हैं? बच्चों को जन्म देना और उनकी देखभाल करने के साथ-साथ घर-गृहस्थी की देखभाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी महिलाओं की है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ईंधन एकत्रित करने, पशुओं के लिए चारा लाने, पानी लाने, पशुपालन, मुर्गीपालन अथवा सिलाई आदि जैसे कार्यों में अपना अधिकांश समय लगाती हैं। एक तिहाई महिलाएं अपने घरेलू काम-काज के साथ-साथ कृषि कार्य भी करती हैं। अतः महिलाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नानुसार हैं :–

(1) पीने के स्वच्छ पानी की उपलब्धता,
(2) ईंधन की उपलब्धता,
(3) जच्चा-बच्चा का जीवित रहना और
(4) आर्थिक गतिविधि के लिए किसी कौशल का विकास

भौतिक सुरक्षा की भावना भी महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में सुधार से महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा सकता है।

6. नई स्वयंसेवी समितियों का पंजीकरण

महिलाओं की नई स्वयंसेवी समितियां पंजीकृत होनी चाहिए। इससे कार्यक्रमों को कारगर बनाया जा सकता है। महिलाओं की विशिष्ट योजना के साथ प्रत्येक सरकारी विभाग परियोजना क्षेत्र में एक नया मंच बनाने की कोशिश करता है। इससे न केवल लाभार्थी भ्रमित होता है अपितु इससे समय और स्रोतों की बरबादी होती है। एक ही कार्य को विभिन्न विभाग भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं और अंततः वास्तविक लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। इससे राजस्व पर भी भारी बोझ पड़ता है। सरकार से सहायता ले रहे कई संगठन अथवा महिला मण्डल जाली सिद्ध हुए हैं उनके स्थान पर महिलाओं के स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन स्वैच्छिक संगठनों के प्रमुखों को समय-समय पर प्रशिक्षण और महिलाओं के विशिष्ट कार्यक्रमों की भी जानकारी दी जानी चाहिए। सभी सरकारी विभाग लाभार्थियों के लाभ के लिए इन महिला नेताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्हें नए फोरम बनाने में समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकार और स्वयंसेवी संगठनों के संयुक्त प्रयासों से महिलाओं के हितों की तरफ ध्यान देने और स्त्री-पुरुष में भेदभाव की भावना को दूर करने का माहौल बना है। फिर भी भारत में महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं खतरनाक होती जा रही हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमने लम्बा सफर तय किया है लेकिन अभी काफी लम्बी दूरी तय करनी बाकी है।

अनुवाद : प्रित पाल सिंह

'कुरुक्षेत्र' का वार्षिकांक

अक्टूबर 95 में "कुरुक्षेत्र" का वार्षिकांक प्रकाशित किया जा रहा है। इस बार विषय है : भूमि सुधार : ग्रामोत्थान का आधार।

पंचायती राज के बारे में संविधान के 73वें संशोधन के लागू हो जाने से भूमि सुधारों का महत्व बढ़ गया है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में भी यह विषय शामिल है।

वार्षिकांक में विषय के जाने-माने विद्वानों/विशेषज्ञों के लेखों को शामिल किया जा रहा है। इनमें भूमि सुधारों की वर्तमान स्थिति और उन चुनौतियों की समीक्षा की जाएगी जिनका सामना सरकार को इन सुधारों को लागू करते समय करना पड़ा। अंक में गांधी जी के कुछ दुर्लभ छायाचित्र भी शामिल किए जा रहे हैं।

वार्षिकांक का मूल्य दस रुपये होगा।

आप अभी से अपने समाचार पत्र विक्रेता से अपनी प्रति सुरक्षित करा लीजिए या व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस नई दिल्ली-110001 से सम्पर्क कीजिए। (टेलीफोन नः 3387983, 3386879, टेलीग्राम : सूचप्रकाशन)।

पेइचिंग सम्मेलन और ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं

टी. एन. सुषमा

मैक्सिको शहर में 1975 में हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों की शुरुआत से 1995 में होने वाले पेइचिंग सम्मेलन तक की यात्रा के दौरान विश्व की महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए घोर परिश्रम किया है। लेकिन भारत में आज भी ग्रामीण महिलाओं को शोषण से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली है। **जागो री...** लोकगीत में उनकी दशा का सही चित्रण किया गया है, जिसमें पुरुषों से जब पूछा जाता है कि स्त्रियां क्या काम करती हैं तो वे उत्तर देते हैं, "बीवी काम नहीं करती।"

घर और बाहर, दोनों जगह शोषण

बच्चों के पालन-पोषण के साथ-साथ परिवार के वृद्धजनों की देखभाल दूरवर्ती स्थानों से ईंधन, चारा और पानी लाना, धुएं से भरे रसोईघर में परिवार के लिए खाना पकाना, मवेशियों की देखभाल और कई घंटे तक खेतों में काम करने के बाद ग्रामीण महिलाओं को सुनने को यही मिलता है कि वे "कुछ काम नहीं करती।" दुर्भाग्य की बात है कि सभी कुछ करने के बाद उनके काम का मूल्यांकन "कुछ काम नहीं" में होता है।

दिलचस्प बात यह है कि इन ग्रामीण महिलाओं से जब पूछा जाता है कि वे क्या काम करती हैं तो उनका भी उत्तर यही होता है कि वे "कुछ काम नहीं करती"। इसका कारण यह है कि ग्रामीण महिलाएं सूर्योदय से काफी पहले से लेकर सूर्यास्त के काफी बाद तक जो कुछ करती रहती हैं, उसे काम माना ही नहीं जाता। अधिक स्पष्ट कहें तो उनके रोजमर्रा के कार्यों को काम की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता।

इसके अतिरिक्त गृह स्वामी के गहरे मानस में कहीं यह बात जरूर रहती है कि स्त्री का वह उसी तरह मालिक है जैसे मवेशी और मकान का। अतः ग्रामीण महिलाओं के काम की कभी गणना नहीं होती।

आमतौर पर महिलाओं को भी यह पता नहीं होता कि परिवार के भीतर और बाहर किस तरह उनका शोषण किया जा रहा है। सन् 1991 की जनगणना में पहली बार महिलाओं की भागीदारी की मात्रा और महत्व का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया।

प्रोत्साहन की आवश्यकता

निर्धन परिवारों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसी बहुत-सी महिलाएं हैं जिन्हें परिवार को भूखमरी से बचाने के लिए लाभकारी काम की आवश्यकता है। इसलिए सरकार को महिलाओं के काम के सामाजिक और आर्थिक महत्व के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब हम महिलाओं के काम को समुचित महत्व देंगे तभी उत्पादन में उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान का मार्ग प्रशस्त होगा।

सन् 1975 में मेक्सिको में हुए प्रथम विश्व महिला सम्मेलन में जो अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना निर्धारित की गई थी, उसमें ग्रामीण प्रौद्योगिकी और प्रोत्साहन प्रणाली के विकास पर मुख्य रूप से बल दिया गया था।

लिंग संबंधी समानता की स्वीकार्यता

मैक्सिको सम्मेलन के बीस वर्ष बाद सितम्बर 1995 में पेइचिंग में हो रहे चौथे अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के लिए तैयार किए गए भारतीय दस्तावेज में यह स्वीकार किया गया है कि विकास में स्त्री-पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि 1991 से आर्थिक और विकास संबंधी नीतियों का पुनः निर्धारण किया गया है। नई नीतियों में स्थिरता और संरचनागत समायोजन, दोनों ही तरह के कार्यक्रमों पर बल दिया गया है।

निर्धन महिलाओं पर समायोजन कार्यक्रम का प्रभाव

पेइचिंग सम्मेलन के लिए तैयार किए गए दस्तावेज में इस बात को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है कि इसका 'भारत की निर्धन महिलाओं' पर क्या असर पड़ेगा।

महिलाओं के गैर सरकारी संगठनों ने संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (एस. ए. पी.) के बारे में जबरदस्त आपत्तियां प्रकट की हैं, क्योंकि उनके अनुसार इससे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा होगी। उन्होंने संकेत दिया है कि मैक्सिको और ब्राजील जैसे देशों में, जहां ये कार्यक्रम पहले शुरू किये जा चुके है वहां गरीबी बढ़ी है और महिला-श्रमशक्ति दर किनार होती चली गई। राष्ट्रीय दस्तावेज के अनुसार "निर्यातोन्मुखी उद्योगों, नकदी फसलों की खेती, कृषि-आधारित व्यापार, वित्तीय और बीमा क्षेत्र तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी होगी, जबकि परम्परागत क्षेत्रों का महत्व कम हो जायेगा।"

इन परम्परागत क्षेत्रों में ही महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर अधिक हैं। लेकिन अब परम्परागत उद्योगों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी कम होती जा रही है। अक्सर आधुनिक विकासोन्मुखी और पूंजी-बहुल तथा बड़ी प्रौद्योगिकी वाले उद्योग महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखते। इन उद्योगों में कम वेतन वाले ऐसे कामों पर ही महिलाओं को रखा जाता है जिनमें अधिक कौशल की आवश्यकता न हो। महिलाओं की क्षमता और भूमिका के प्रति परम्परागत धारणाओं के कारण ऐसा होता है।

भारतीय दस्तावेज में सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की बात कही गई है ताकि किसी प्रकार की विफलता का मुकाबला प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। किन्तु पेइचिंग सम्मेलन से सम्बद्ध भारतीय महिला-कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से यह मांग की है कि आर्थिक विकास के विकासोन्मुखी माडल को लोकोन्मुखी बनाया जाए।

पेइचिंग सम्मेलन से सम्बद्ध गैर सरकारी संगठनों की दिल्ली स्थित समन्वय इकाई ने मांग की है कि सरकार को खाद्य-सुरक्षा, स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल, काम का अधिकार और रोजगार तथा बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मानवीय सुरक्षा की मांगों के खिलाफ कोई समझौता न करने की नीति अपनानी चाहिए। इस इकाई ने सरकार की नई आर्थिक नीति के बारे में अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया था। उन्होंने यह आशंका भी व्यक्त की है कि बानिकी और कृषि जैसे क्षेत्रों में विदेशियों के प्रवेश की अनुमति से महिलाओं की निर्धनता में और बढ़ोतरी होगी।

महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं

सम्मेलन संबंधी दस्तावेज में कहा गया है कि ग्रामीण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत गरीबी दूर करने के सरकार के कार्यक्रमों का 40 प्रतिशत लाभ उन महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 6,000 रुपये से 11,000 रुपये के बीच है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 30 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत होगी।

1993 में शुरू की गई महिला-समृद्धि योजना पर भी दस्तावेज में प्रकाश डाला गया है। इसे ग्रामीण डाकघरों के जरिए चलाया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक अधिकार दिलाने की दिशा में यह एक शुरुआत है। इस योजना में महिलाओं द्वारा जमा की गई लघु बचत राशि पर आकर्षक ब्याज दिया जाता है।

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही ऐसे अनेक कल्याण योजनाओं का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण महिलाओं को बनाया गया है। लेकिन अधिकतर योजनाओं के वांछित परिणाम सामने नहीं आये हैं। समन्वय इकाई ने सुझाव दिया है कि अधिकारों का विकेन्द्रीकरण समाज के निचले स्तर तक लोगों को लाभ पहुंचाने का कारगर तरीका है।

"यूनिसेफ" की सहायता से ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा) शामिल है। चुने हुए लाभार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान अल्प प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है और बाद में स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सरकार की एक बड़ी शुरुआत है।

किन्तु, डवाकरा कार्यक्रम के बारे में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि बेरोजगारी और गरीबी के बावजूद महिलाएं प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए आगे नहीं आतीं, क्योंकि उनके पति उन्हें इसकी अनुमति नहीं देते। इस प्रकार यह देखा गया है कि विशेषकर प्रारंभिक चरण में इस कार्यक्रम का लाभ उठाने वालों में स्वयंसेवक अधिक रहे और उन लोगों की संख्या कम रही जिनके लिए वास्तव में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था।

इस तरह के अध्ययनों से यह पता चला है कि महिलाओं को अधिकार दिलाने की कोई भी योजना उपयुक्त माहौल के बिना

सफल नहीं हो सकती। इस तरह की योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब ग्रामीण महिलाओं को इन कार्यक्रमों की सही जानकारी हो।

प्रतिकूल वातावरण

किन्तु, ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं को लागू करने में महिलाओं को सबसे बड़ी कठिनाई प्रतिकूल वातावरण की वजह से उठानी पड़ती है। राजस्थान में महिला विकास कार्यक्रम इसका खास उदाहरण है। यह कार्यक्रम काफी प्रचार और धूमधाम के साथ शुरू हुआ, लेकिन बाद में यह महिलाओं की प्रगति के खिलाफ काम करने वाली सामाजिक व्यवस्था का विशिष्ट उदाहरण बन गया।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की उन महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करती हैं अंध-विश्वासों से युक्त रूढ़िवादी समाज और निरंकुश तरीके से काम करने वाले प्रशासन तंत्र, दोनों का ही मुकाबला करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण एक साथिन, भंवरी के साथ प्रतिशोध की भावना से किया गया सामूहिक बलात्कार है, जो अपने गांव में अनेक बाल विवाहों को रुकवाने में सफल रही थी।

अन्य साथिनों को भी मानसिक आघातों, उत्पीड़न, हमलों और झूठे मामलों में फंसाने जैसे अनुभव हुए। इनमें सबसे बड़ी पीड़ा उनकी यह रही है कि पुरुष अधिकारियों द्वारा कई महीनों तक उन्हें किसी भी तरह की छुट्टी नहीं दी गई। राजस्थान की विभिन्न अदालतों में साथिनों और प्रचेताओं के खिलाफ महिला विकास कार्यक्रम द्वारा दायर किये गए अनेक मुकदमे चिन्ताजनक है। कुछ को इसलिए बर्खास्तगी की धमकी दी जा रही है क्योंकि उन्होंने कालिकट में 'राष्ट्रीय महिला कार्यशाला' में हिस्सा लिया। अजमेर से कई महिला कार्यकर्ताओं ने अजीबोगरीब ज्यादतियों की शिकायत की है— उनके पतियों को पत्र भेजे गये कि वे अपनी पत्नियों को तब तक घर से बाहर जाने की अनुमति न दें, जब तक उन्हें महिला विकास कार्यक्रम की मुहर लगे पत्र न मिल जायें। यह सब महिलाओं की एकता के प्रयासों को विफल करने के लिए किया गया।

महिला शिक्षा : एक जोरदार उपाय

पेइचिंग महिला सम्मेलन के कार्रवाई मसौदे में "शिक्षा को बुनियादी मानवाधिकार और सम्मेलन के लक्ष्य— समानता, विकास और शांति— हासिल करने का अनिवार्य साधन" घोषित किया गया है। भारतीय संदर्भ में यह एकदम सही है। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब साक्षरता अभियानों के दौरान एक समान उद्देश्य के लिए एकजुट होकर महिलाओं ने अपने को संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने सामाजिक क्रांति लाने के लिए पर्याप्त अधिकार हासिल किये। नव-साक्षर महिलाओं ने आन्ध्र प्रदेश में नशाबन्दी के खिलाफ जो सफल संघर्ष किया वह इसका ज्वलंत उदाहरण है। और इसका दूसरा उदाहरण तमिलनाडु का है जहां नवसाक्षर महिलाओं ने खुली खदानों के ठेके हासिल किये और काम को पूरा करके दिखाया। महिलाओं को रोजगार मिलने से परिवार में भुखमरी दूर हो गई और बच्चों में खुशहाली आई।

दुर्भाग्य से, भारत में महिलाओं की साक्षरता की दर अत्यन्त असन्तोषजनक है। 1991 की जनगणना के अनुसार 19.7 करोड़ महिलाएं निरक्षर थीं, जबकि 1981 की जनगणना में यह संख्या 18.1 करोड़ थी। हालांकि महिला साक्षरता की प्रतिशत दर में इस अवधि के दौरान सुधार दर्ज हुआ और यह 1981 की 29.8 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 39.42 प्रतिशत पर पहुंच गई।

रुकावटें

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल में उन्हें दाखिल कराना ही पर्याप्त नहीं है। पर्यावरण को पहुंच रहे नुकसान से जीविका के बुनियादी साधन दुर्लभ होते जा रहे हैं परिवारों को मजबूरन शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। इससे बालिकाओं की शिक्षा के अवसर समाप्त हो रहे हैं। छोटे भाई-बहनों की देखभाल सहित घर के काम में मां का हाथ बंटाने की मजबूरी बालिकाओं को स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य कर देती है। अल्पायु में शादी भी लड़कियों की शिक्षा के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है।

शिक्षा पर निवेश में पर्याप्त वृद्धि करके तथा महिलाओं की साक्षरता के लिए कार्यक्रम चलाकर सरकार इस समस्या से निबटने के प्रयास कर रही है। केरल में महिलाओं के स्वास्थ्य और विकास के बारे में जो उदाहरण दिया जाता है, वह महिलाओं की साक्षरता पर काफी हद तक निर्भर है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां प्राथमिक स्कूलों में महिला-शिक्षकों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। राज्य में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों में भी बालिकाओं की संख्या कम है। सम्मेलन के लिए तैयार दस्तावेज में बालिकाओं के असमान स्तर की बात खुलकर शामिल की गई

है : "महिला जीवनभर भेदभाव अनुभव करती है और सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराएं उसके लिए उन रुकावटों पर काबू पाना असंभव बना देती हैं जो उसके असमान स्तर के कारण पैदा होती हैं। पारिवारिक ढांचे और सामाजिक मूल्य इस तरह से काम करते हैं कि बालिकाएं अपने को हीन सेवक समझती हुई बड़ी होती हैं। पुत्रों के मुकाबले पुत्रियों को हर तरह से कमी में रखा जाता है। कम अवसर, कम स्वायतत्ता, कम सम्पत्ति, कम सम्मान, कम अधिकार और वास्तव में अपनी पसंद का कोई अधिकार नहीं।"

बालिकाओं की मृत्युदर में कमी

समन्वित बाल विकास सेवा योजना की सहायता से बालिकाओं की मृत्यु दर 1980-82 की 12.3 से घटकर 1989-91 के दौरान 9.8 प्रतिशत हो गई। किन्तु, आज भी स्थिति यह है कि देश में हर वर्ष डेढ़ करोड़ बालिकाओं का जन्म होता है जिनमें से एक-चौथाई अपना 15वां जन्म दिवस नहीं मना पातीं। आनुवंशिकी दृष्टि से मजबूत होने के बावजूद भारत में काल का ग्रास बनने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से तीन लाख अधिक है। अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि प्रत्येक छह मादा-शिशुओं में से एक की मृत्यु लिंग संबंधी भेदभाव के कारण होती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के हाल के एक अध्ययन में कहा गया है कि हरियाणा, बिहार, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनमें कन्याओं की मृत्यु दर सबसे अधिक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चार वर्ष तक की कन्याओं की मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों के मुकाबले दुगुनी है।

महिलाओं और शिशुओं की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ऊंची मृत्यु दर का कारण लड़कियों की अल्पायु में शादी बताया गया है। अधिकतम बच्चों को किशोर माताएं जन्म देती हैं।

महिला-स्वास्थ्य : अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता

दस्तावेज में कहा गया है : "सरकार को समुचित जनसंख्या नीति तैयार करनी चाहिए। दिल्ली और बंगलौर के गैर सरकारी संगठनों ने महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले में अधिक पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने इस बात की चिन्ता प्रकट की है कि महिलाओं को अपने शरीर की देखभाल और गर्भ निरोधकों के चयन के बारे में जानकारी नहीं हैं। इन संगठनों ने सरकार द्वारा कुछ गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल और कुछ परिवार नियोजन कार्यक्रमों को मंजूरी दिए जाने पर गंभीर आपत्तियां की हैं।

एम. टी. पी. का दुरुपयोग

गैर सरकारी संगठनों ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नैंसी (एम. टी. पी.) एक्ट के उपयोग/दुरुपयोग के बारे में भी आशंकाएं व्यक्त की हैं। परिवार नियोजन निश्चय ही ऐसा क्षेत्र है, जिसमें अधिक मानवीय, संवेदनशील और युक्तिसंगत उपायों की आवश्यकता है।

मानसिक स्वास्थ्य पर बल

गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर देना चाहते हैं। उनका मानना है महिलाओं के मामले में मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही गलत समझा गया है क्योंकि इसका दायरा केवल मातृत्व से संबंधित चिकित्सा माडल तक ही सीमित रखा गया है। उनकी मांग है कि सामाजिक और सामुदायिक संदर्भ में इसे पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि इसमें भावात्मक खुशहाली की अवधारणा को भी शामिल किया जा सके।

परम्परागत प्रणाली

महिलाओं के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं में कमी और स्वास्थ्य की देखभाल के परम्परागत तरीकों पर उनके विश्वास को देखते हुए यह उपयुक्त है कि सरकार परम्परागत प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास करे और इसे महिलाओं के लिए सुलभ बनाए। इस क्षेत्र में गंभीर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि बंगलौर में जड़ी-बूटियों और परम्परागत इलाज के तरीकों के बारे में ग्रामीण महिलाओं के ज्ञान को सफलतापूर्वक संकलित किया जा रहा है।

भारत ने 9 जून 1993 को महिलाओं के साथ भेदभाव समाप्त करने संबंधी समझौते की पुष्टि की थी। उम्मीद है कि इससे स्त्री-पुरुष में भेदभाव संबंधी सभी मुद्दों का गहन विश्लेषण होगा और उनके प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास होगा।

राजनीतिक अधिकार

चौथे विश्व महिला सम्मेलन में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एक ज्वलंत मुद्दा होगा। भारत इस बात पर प्रकाश डालेगा कि उसने निचले स्तर पर महिलाओं को अधिकार सौंपने की दिशा में प्रशंसनीय शुरुआत की है।

पंचायती राज संस्थानों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना निश्चय ही ग्रामीण महिलाओं को अधिकार सौंपने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। 73वें और 74वें संविधान

(शेष पृष्ठ 24 पर)

महिला विकास के प्रयास

डा. पी. एस. के. मैनन

राष्ट्र के रूप में हम सम्प्रभुत्ता सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना पर गर्व कर सकते हैं, जिसमें सभी नागरिकों– पुरुषों और महिलाओं, शहरी और ग्रामीण, धनी और निर्धन को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने की व्यवस्था है।

कानून और सामाजिक प्रथाएं : बढ़ती खाई

आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व के क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने 45 करोड़ भारतीय महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है जो विश्व की कुल महिला आबादी का छठा भाग है। वास्तव में ये कानून बहुत तेजी से बनाए गए, जिससे सदियों से महसूस की जा रही जरूरतों को कुछ ही वर्षों में पूरा कर दिया गया। इन कानूनों की सूची बड़ी प्रभावशाली है जिसमें दहेज निरोधक कानून, विभिन्न धर्मों के विवाह और उत्तराधिकार कानून, महिलाओं का अशोभनीय निरूपण कानून, अनैतिक देह व्यापार निरोधक कानून, परिवार न्यायालय कानून से लेकर शिशु दूध विकल्प, दूध पिलाने की बोतलें और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण नियमन) कानून तक शामिल हैं। लेकिन इनका प्रभाव काफी कम पड़ा है। कानून लागू करने वाली कमजोर मशीनरी के अलावा अधिकतर महिलाओं की स्थिति में सुधार न होने का एक मूल कारण यह है कि सामाजिक कानून देश की सामाजिक प्रथाओं के अनुरूप नहीं बने। ये समय से पहले बनाये गए। वास्तव में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों और इन्हें लागू करने के लिए आवश्यक सामाजिक समर्थन के बीच खाई है। बाल विवाह, दहेज के लिए सताने और हत्या करने के बढ़ते मामले इस बात के गवाह हैं।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को अर्थपूर्ण, स्वीकार्य और अधिकार देने की बात तभी वास्तविकता में बदलेगी जब महिलाओं के साथ मानवीय और समाज के महत्वपूर्ण अंग के रूप में बर्ताव किया जाएगा। दुख की बात यह है कि जैसा किसी ने कहा है, महिलाएं देवी का दर्जा तो सदियों पहले खो चुकी हैं और आज तो उनकी स्थिति एक वस्तु मात्र जैसी रह गई है।

विकास का नमूना

जहां तक दृष्टिकोण आकांक्षा, प्रवीणता और पहुंच का सवाल है शहरी और ग्रामीण महिलाओं के बीच काफी असमानता है। भारत में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं।

विकास एक भारी-भरकम शब्द है। जब हम ग्रामीण और शहरी महिलाओं की समस्याओं की बात करते हैं तो विकास से सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति को काफी धैर्य रखने की आवश्यकता है। किसी निश्चित फार्मूले या मशीनी ढंग से समस्याओं को सुलझाने का परिणाम खतरनाक होगा। हम पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभवों से जानते हैं कि विकास के तरीके में, उसके पैटर्न में काफी बदलाव आ गया है जो मात्र आर्थिक विकास से समानता और न्याय पर आधारित विकास तक, सरकार की पहल से लोगों की भागीदारी तक, सामाजिक-आर्थिक विकास से मानव संसाधन विकास तक तथा दान से अधिकार देने तक पहुंच गया है।

नई दिशा की ओर

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के आरंभिक चरणों में महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए। महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा बाद में राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड गठित किए गए जो कि एक अच्छी शुरुआत थी और जिसके फलस्वरूप 1980

लेखक राष्ट्रीय महिला आयोग में सलाहकार है।

के दशक के अंत में तथा 1990 के दशक के शुरू में एक अलग केन्द्रीय महिला और बाल विकास विभाग, राज्यों के महिला विकास विभाग, महिला विकास निगम, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा कुछ राज्यों में राज्य महिला आयोग स्थापित हुए। वास्तव में यह देश में महिला आंदोलन के नई दिशा में बढ़ने के सम्मिलित प्रयास थे जिनके कारण 1970 के दशक से आरंभ किए प्रयास सफल हुए और महिलाओं की चिंताओं और समस्याओं की लोगों को जानकारी मिली। इन प्रयासों में महत्वपूर्ण हैं, 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाना, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना, भारत में महिलाओं के दर्जे के बारे में गठित समिति की रिपोर्ट पेश किया जाना, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिदृश्य योजना (1988-2000) तथा पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के सामाजिक कल्याण वाले अध्याय में महिलाओं के विकास के बारे में कुछ अनुच्छेदों के स्थान पर छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में पूरा अध्याय शामिल करना।

चुनौतियां जारी हैं

जब हम मोटे तौर पर विकास का आकलन करते हैं तो इसमें महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्जे को शामिल करना पड़ता है। कई सरकारी और स्वतंत्र अध्ययन रिपोर्टों में यह बात कही गई है कि भले ही महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कई पहल की गई हैं परन्तु आज भी कन्या शिशु की हत्या, विवाह की आड़ में लड़कियों को बेचने, मां-बाप द्वारा लड़कियों के साथ भेदभाव, सुसराल में महिलाओं पर अत्याचार, समाज में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार, अपहरण, दहेज संबंधी अत्याचार और हत्या के मामले सामने आते हैं और अधिकतर महिलाएं अभी भी निरक्षर हैं। (1991 में 61 प्रतिशत निरक्षर थीं, जबकि उस वर्ष निरक्षर पुरुष 36 प्रतिशत थे।) पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं खराब स्वास्थ्य और कुपोषण का शिकार हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात पिछले चार दशकों में काफी घटा है। सन् 1951 में हर हजार पुरुषों के पीछे 946 महिलाएं थीं जबकि 1991 में यह संख्या 927 है।

विडम्बना

स्थिति का आकलन करते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दस्तावेज में अन्य बातों के अलावा यह स्वीकार किया गया है कि विभिन्न योजनाओं के दौरान किए गए प्रयासों से महिलाओं की आय और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। महिलाओं का जीवन-काल 1951 में 31.6 वर्ष था जो 1986-91 में बढ़कर 59.1 वर्ष हो गया। हालांकि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ गई है फिर भी 15 और 19 वर्ष के बीच विवाहित लड़कियों की संख्या अभी भी काफी ज्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है। अधिक आबादी के कारण सात वर्ष से अधिक आयु की 19 करोड़ 70 लाख लड़कियां और महिलाएं निरक्षर हैं। यह महिला निरक्षरता की गंभीर समस्या की तरफ संकेत है। इससे रोजगार, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सुविधाओं का उपयोग और अपने कानूनी अधिकार प्राप्त करने के क्षेत्र में महिलाओं को बाधाओं का सामना करना पड़ता है तथा यह उनके लगातार शोषण का एक कारण है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के मामले में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है। महिलाओं की काफी बड़ी तादाद असंगठित क्षेत्र में काम करती है, जिससे न केवल उनकी आय बहुत कम होती है बल्कि ऋण, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच लगभग नहीं के बराबर होती है। महिलाओं को अभी तक उत्पादनकर्ता नहीं माना जाता है। लगभग एक तिहाई ग्रामीण घरों में महिलाएं ही अधिकतर सारे काम करती हैं। वे परिवार के भरण-पोषण की लगभग सभी जिम्मेदारियां उठाती हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि उत्पादन के साधन तथा भूमि और अन्य सम्पत्ति का स्वामी न माने जाने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस बारे में कई घोषणाएं की जा चुकी हैं, संविधान में अधिकार दिए गए हैं, कानून की सुरक्षा प्राप्त है तथा योजना और गैर-योजना विकास कार्यक्रमों के तहत बड़ी मात्रा में धन का आबंटन किया गया है, लेकिन इस सबके बावजूद भारत में महिलाओं और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को कई मुसीबतों को सामना करना पड़ता है उन्हें गरिमापूर्ण, सम्मानित और सुरक्षित जीवन जीने के मार्ग में कई कठिनाइयां आ रही हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

स्वतंत्र शोध अध्ययन तथा समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरें महिलाओं के अपमान और उनके खिलाफ अपराधों के कुछ मामलों की पुष्टि करती हैं। गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जिसके कारण ग्रामीण इलाकों तथा शहरी तंग बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को सबसे ज्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं। अधिकतर ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। इसके

साथ-साथ उन्हें न्यायसंगत अधिकार देने के रास्ते में कई बाधाएं हैं। महिला समूहों या सक्षम स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों के बावजूद ये परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं। यह सच है कि घर में महिलाएं सबसे बाद में खाना खाती हैं, स्कूल में पढ़ने का मौका उन्हें सबसे आखिर में मिलता है, उन्हें सबसे बाद में काम मिलता है लेकिन सबसे पहले काम से निकाला जाता है।

आशा की किरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति बनाते समय योजना आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास का लाभ महिलाओं को भी मिले। यह आशा की एक किरण है। विशेष रूप से यह संतोष की बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने 27 लाभोन्मुखी योजनाओं की पहचान की है, जिनकी सूची इस लेख के अंत में दिए गए परिशिष्ट में दी गई हैं। इन योजनाओं पर लगातार निगाह रखी जाएगी और इनकी समीक्षा की जाएगी।

अन्तर को कम करना

हाल ही में केन्द्र और राज्य सरकारें महिलाओं के विकास प्रयासों में अपर्याप्तता पर और ध्यान दे रही हैं और इसके फलस्वरूप कई उपाय किए गए हैं जिनमें से कुछ हैं : (1) महिलाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए सुग्राहयता कार्यक्रम को समर्थन (2) सेवाओं तक पहुंच में कोई बाधा न होना (3) उन्हें समान साझीदार के रूप में कार्य करने तथा विशेष रूप से पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं को दी गई भूमिका के फलस्वरूप उन्हें विकास कार्यों के लिए योजना बनाने, उसके क्रियान्वयन तथा उसकी देखरेख के योग्य बनाना। इसके अलावा महिलाओं की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के प्रयास जारी हैं। इस काम में प्रचार माध्यमों तथा स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। समानतावादी व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वह है महिलाओं के उत्थान से संबंधित दृष्टिकोण तथा समान अधिकार की गारंटी के बीच समन्वय। यह नीति देश के वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य को देखते हुए और जरूरी हो जाती है। इस संदर्भ में केन्द्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री का 31 मार्च, 1995 को दिया गया यह आश्वासन स्वागत योग्य है कि महिलाओं की समस्याओं के अध्ययन के लिए सरकार एक संसदीय समिति गठित करेगी, जो उनके लिए समान अवसर प्रदान करने के बारे में सुझाव देगी तथा माहेलाओं की दशा सुधारने के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन किया जाएगा।

योजना प्रयास : कमियां

देश में यदि ग्रामीण आबादी के विकास के योजना प्रयासों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिनका महिलाओं पर असर पड़ता है, का आकलन किया जाए तो पता चलेगा कि उनके स्वास्थ्य को सुधारने और उनकी मेहनत मशक्कत को कम करने के लिए किए गए प्रयासों के महत्व को पूरी तरह नहीं समझा गया और योजनाओं को खानापूर्ति के तरीके से लागू कर दिया गया। फलस्वरूप सरकारी आकलन के हिसाब से भी इन प्रयासों का काफी कम प्रभाव पड़ा। ग्रामीण आबादी की बुनियादी जरूरतों का अहसास होने में चार पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल पूरा हो गया। इस दौरान महिलाओं को सबसे ज्यादा कष्ट सहने पड़े। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के आठ घटक थे– प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, पोषण तथा शहरी तंग बस्तियों के पर्यावरण में सुधार। बाद में छठी योजना में इसमें प्रौढ़ शिक्षा जोड़ी गई। इसके बाद सातवीं योजना में तीन और घटक– ग्रामीण घरेलू बिजली, ग्रामीण स्वच्छता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जोड़े गए। इस कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए आठवीं योजना के दस्तावेज में कहा गया है कि ग्रामीण स्वच्छता को छोड़कर अधिकतर मामलों में वित्तीय और भौतिक लक्ष्य संतोषजनक ढंग से प्राप्त कर लिए गए। लेकिन भौतिक उपलब्धियां अपने-आप में कोई मायने नहीं रखती हैं। इसलिए आठवीं योजना में लक्ष्य पूरा करने की बजाय गुणात्मक परिणामों पर जोर दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण गरीबी दूर करने के कार्यक्रम हमारी विकास योजनाओं का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 1985-86 में 9.9 से बढ़कर 1989-90 में 25.6 तथा 1990-91 में 30.89 हो गया। यह वास्तव में एक उपलब्धि है।

समन्वित कार्यक्रम के लिए स्व प्रबंधित संस्थानों पर कार्यदल

की रिपोर्ट में विकास कार्यक्रमों के प्रबंध के स्तर में ह्रास तथा क्रियान्वयन ढांचे की स्थिति में गिरावट का संक्षिप्त लेखा-जोखा दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है :

"विकास के लिए देश में उपलब्ध सभी संसाधनों को इस तरह आवंटित किया गया है कि वे अफसरशाही को बढ़ावा देते हैं। एक आकलन के अनुसार सरकार हर साल 18 खरब रुपये खर्च करती है जिसमें से अधिकांश हिस्सा सरकारी मशीनरी पर खर्च हो जाता है और विकास कार्यों के लिए तीन खरब रुपये बचते हैं। योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बिजली जैसे प्राथमिक क्षेत्रों के लिए काफी कम धन रखा जाता है।"

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिदृश्य योजना ने योजना आयोग तथा मंत्रालयों/विभागों में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की सिफारिश की है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार योजना आयोग में यह प्रकोष्ठ ठीक कार्य कर रहा है जबकि मंत्रालयों/विभागों में प्रकोष्ठ निष्क्रिय पड़े हुए हैं। उन्हें अपना काम सक्षम ढंग से निपटाने के लिए सक्रिय करना उचित होगा। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जैसे कुछ मंत्रालयों में ग्रामीण तथा शहरी इलाकों के गरीब लोगों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए नए विभागों का गठन देरी से ही सही एक सराहनीय कदम है। आशा है कि नई व्यवस्था में पुरुष और महिलाओं के बीच समानता पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

उपसंहार

अंततः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए समानता और विकास तथा समाज के लिए शांति बिखरे हुए प्रयासों से नहीं बल्कि एक सम्पूर्ण दृष्टिकोण और प्रबंध के जरिए प्राप्त की जा सकती है। बहुत अधिक उप-योजनाओं तथा क्षेत्रवार योजनाओं से स्थायी विकास प्राप्त नहीं हो सकता है।

विभिन्नताओं के बावजूद एकता के सूत्र में बंधे हमारे ग्रामीण समाज के लिए ऐसा दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य परिवार का कल्याण हो तभी हम महिलाओं के प्रति समानता के और ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण के साथ 21वीं शताब्दी में पदार्पण कर सकेंगे।

परिशिष्ट

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा महिला लाभार्थियों के लिए निर्धारित 27 योजनाओं की सूची :

ग्रामीण विकास विभाग

1. ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना (डवाकरा)

शिक्षा विभाग

2. केवल लड़कियों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व (शि. उ. सु. मा.)

3. सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम
4. विटामिन 'ए' की कमी और रक्ताल्पता के प्रति रोग निरोध के लिए पोषाहार
5. दाईयों का प्रशिक्षण

कल्याण मंत्रालय

अनुसूचित जाति/अनु. जन जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास

श्रम मंत्रालय

7. महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
8. महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विविधिकरण/विस्तार
9. हिसार (हरियाणा) में क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान का विस्तार
10. राष्ट्रीय व्यावसायिक संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक संस्थानों में नियोजन कक्ष तथा प्रशिक्षण के लिए आवश्यकताओं का आकलन/सर्वेक्षण
11. अतिरिक्त क्षेत्रीय व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना
12. नई दिल्ली, बम्बई और बंगलौर में महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों/राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ करना

13. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में महिलाओं के कक्ष को सुदृढ़ करना और महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए निदेशालय का गठन करना

14. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता

15. विकलांग महिलाओं के व्यावसायिक पुनर्स्थापन केन्द्र

महिला एवं बाल विकास विभाग

16. कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास

17. महिलाओं के लिए रोजगार एवं आय देने वाले उत्पादन केन्द्रों की स्थापना

18. वयस्क महिलाओं के लिए सघन शिक्षा पाठ्यक्रम

19. सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम

20. ग्रामीण एवं गरीब महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए परियोजना

21. लड़कियों/महिलाओं के लिए अल्प अवधि गृह

22. समन्वित बाल विकास सेवाएं

23. कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु गृह

24. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रमों को समर्थन

25. राष्ट्रीय महिला कोष (रामको)

26. महिला समृद्धि योजना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

27. महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।

अनुवाद : भुवन चंद्र खंडूरी

गीत

कृपा शंकर शर्मा "अचूक"

आओ मिलकर पेड़ लगाएं, जिस से हो धरती हरियाली,
गांव, शहर, सड़कें, पगडंडी, कोई दिखे न – खाली।
कुआं बावड़ी ताल तलैया
सबके सब शरमाते,
जीवन इनसे जुड़ा हुआ
झूठे लगते सब नाते,
यह अपने साथी, हम इनकी, करें दूर–कंगाली।।
आओ मिलकर पेड़ लगाएं, जिस से हो धरती हरियाली।
पेड़ हमेशा जगते रहते
पेड़ कभी नहीं सोते,
जीवन औषधि कैसे मिलती
पेड़ अगर नहीं होते,
दान-शील रक्षक हैं सबके, रोज करें–रखवाली।।
आओ मिलकर पेड़ लगाएं, जिस से हो धरती हरियाली।
काली-काली उठें घटायें
घन आकर बरसेंगे,
मोर, पपीहा कोयल सबके
तन-मन अति हरसेंगे,
झूम-झूम के नृत्य करेंगी, फिर पेड़ों की डाली।।
आओ मिलकर पेड़ लगाएं, जिस से हो धरती हरियाली।
हरी चुनरिया धरती ओढ़े
नील गगन मुस्काये,
मन का पंछी मुक्त गगन में
आगे उड़ता जाये,
इस "अचूक" वेला में मन ही मन, मुस्काये–माली।।
आओ मिलकर पेड़ लगाएं, जिस से हो धरती हरियाली।

38, विजय नगर, करतार पुरा,
22 गोदाम,
जयपुर-302006 (राज.)

नए सुधारों से गांवों का रूप निखरा

वेद प्रकाश अरोड़ा

सन् 1991 में नई सरकार ने सत्ता सम्हालने के बाद नए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण और देश के बाजार खोलने की जिस चौतरफा नीति को अपनाया, उसने महंगाई को छोड़ अन्य सभी क्षेत्रों में चमत्कार कर दिखाया है। नीति के उल्लेखनीय परिणामों से प्रभावित होकर ही साख का निर्धारण करने वाले प्रमुख अमरीकी संगठन 'मूडीं इन्वैस्टर सर्विस' ने विदेशी मुद्रा में दीर्घकालीन ऋण साख में भारत का दर्जा बी ए-2 से बढ़ाकर बी-ए-ए-तीन कर दिया है। इससे पहले मार्च 1994 में जापान के बांड रिसर्च इंस्टीच्यूट ने भी भारत की ऋण साख में वृद्धि की घोषणा की थी। नई नीति के अंतर्गत कंट्रोलों की भरमार और नौकरशाही के शिकंजे से तो कमोबेश मुक्ति मिली ही है, विदेशों से भारत में पूंजी प्रवाह ने सूखे की स्थिति से एक निरंतर बहती जलधारा का रूप ले लिया है।

विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि

15 अप्रैल 1994 को मुराको में विश्व व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद उदारीकरण की हवा तेजी से बहने लगी है। विदेशी निवेशकों के पूंजी निवेश और प्रौद्योगिकी के प्रवाह में उछाल के अलावा अन्य देशों की सरकारों और निजी कंपनियों के साथ व्यापार समझौतों में वृद्धि से भारत को जबरदस्त आर्थिक लाभ हुआ है। छोटे बड़े, नन्हें और मझोले कल-कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कृषि उद्योगों, कुटीर उद्योगों और अन्य ग्रामोद्योगों में नई जान सी पड़ गई है। कृषि और उद्योग क्षेत्रों में गतिविधियों के चक्र के तेजी से चलने के कारण घरेलू उत्पाद के 5.6 प्रतिशत के आठवीं योजना के लक्ष्य को पार कर लेने की आशा है। 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 4.2 प्रतिशत थी। सकल घरेलू उत्पाद में बढोत्तरी का मुख्य श्रेय कृषि-उत्पादन में वृद्धि को जाता है। 1994-95 में अनाज की उपज के लगभग 19 करोड़ टन के नये कीर्तिमान को छू लेने की आशा है। मांग से अधिक उपज होने से सरकार ने इस वर्ष दस लाख टन चावल और 25 लाख टन गेहूं निर्यात करने का निर्णय किया है। भंडारण की स्थिति भी सकून पहुंचाने वाली है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से हो जाती है कि मई 1995 में तीन करोड़ 74 लाख टन अनाज भंडारों में जमा था।

आर्थिक सुधारों में जन साधारण के हितों की उपेक्षा नहीं की गई है बल्कि एक तरह से उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। इसका प्रमाण है देहाती क्षेत्रों में या तो रोजगार देने की नई योजनाएं शुरू की गई हैं या फिर पिछली योजनाओं का विस्तार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए नलकूपों, नहरों, बांधों और जलाशयों को बनाने, हवा को प्रदूषण से बचाने, बिजली की परियोजनाओं, जीवन का आधार कृषि तथा उससे जुड़ी सिंचाई परियोजनाओं तथा कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए विदेशी सहायता की मात्रा में निरंतर वृद्धि जन-जन की दशा सुधारने के ही प्रयास हैं।

कल्याण योजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध

कुछ समय पहले जो विदेशी कंपनियां, प्रवासी भारतीय तथा पूंजी निवेशक भारत में पूंजी लगाने में परहेज किया करते थे, वे अब बढ़ चढ़ कर पूंजी लगाने लगे हैं। देश के अंदर व्यापक और तेज पूंजी प्रवाह के दो लाभ हुए हैं। एक तो विदेशी कर्जों की तरफ बेताबी से हाथ फैलाये रखने का सिलसिला समाप्त हो गया है। दूसरे विभिन्न पूंजीगत तथा आधारभूत योजनाओं में विदेशी पूंजी निवेश से केन्द्र और राज्यों के बचाये हुए राजस्व की राशि, सामाजिक कार्यों, कल्याण योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के बुनियादी ढांचे में उत्तरोत्तर अधिक लगाई जाने लगी है। परिणामतः जनहित कार्यों की न सिर्फ संख्या बढ़ गई है, बल्कि उनकी गति, परिधि और धनराशि, सभी बढ़ गए हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में डेढ़ दर्जन से अधिक योजनाओं में से प्रत्येक योजना गांवों का चेहरा मोहरा चमकाने के साथ-साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार के नए नए अवसर पैदा कर रही है। जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना का तो नाम ही रोजगार से जुड़ा हुआ है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम ट्राइसेम भी रोजगार दिलाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसी तरह समन्वित ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन का मुख्य कार्यक्रम है। अन्य कार्यक्रमों जैसे दस लाख कुओं की निर्माण योजना, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, वन इतर क्षेत्रों की बंजर भूमि विकास परियोजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, केन्द्र

प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण विकास के स्वैच्छिक कार्य सब के लिए पानी, सूखे, उपज, मकानों, औजारों की समस्या के समाधान के साथ-साथ बेकारी दूर करने का स्वर मंद या ऊंचे लहजे से जुड़ा हुआ है।

इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य देहाती क्षेत्रों का सर्वतोमुखी विकास करने के साथ-साथ गरीबी की रेखा के नीचे नारकीय जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों के अंधेरे जीवन में खुशियों का आलोक बिखेरने का प्रयास किया गया है।

ग्रामीण विकास के लिए राशि में लगातार बढ़ोत्तरी

इन ढेर सारे प्रयत्नों के अनुरूप सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए राशि बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दी है। यह राशि ग्रामीण विकास के लिए राज्यों द्वारा निर्धारित 15,000 करोड़ रुपये की राशि से अलग है। इसी तरह वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में नया जीवन उड़ेलने का एक बहुमुखी विकासमूलक और संतुलित प्रयास किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की बजट राशि पिछले वित्त वर्ष की बजट रकम 5,010 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,010 करोड़ रुपये अर्थात् 40 प्रतिशत अधिक कर दी गई है। इस संदर्भ में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि दो वर्ष पहले 1992-93 के बजट अनुमानों में ग्रामीण विकास की मद में 3,100 करोड़ रुपये रखे गये थे। उससे इस वर्ष की राशि दुगनी से भी अधिक है। ये राशियां इस बात को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई हैं कि ग्राम विकास एक व्यापक और सर्वांगीण अवधारणा है। जिसमें ग्रामीण जनता के जीवन और ग्रामीण क्षेत्र के स्तर को उठाने के सभी पहलू शामिल हैं।

आर्थिक सुधारों और उदारीकरण का अभियान आरंभ होने के बाद से न केवल प्रत्येक वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास की मद के लिए व्यय-राशि निरंतर बढ़ती चली जा रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की गतिविधियों का दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए विभिन्न बजटों से न केवल खेती-बाड़ी को बेहतर बनाने, खेतों में पैदावार बढ़ाने, उपज और कृषि जन्य पदार्थों को परिशोधित कर उन्हें बाजार में लाने, इसके लिए समूचे देश को सांझा बाजार बना देने तथा कृषि आधारित कुटीर और लघु उद्योगों के विस्तार को गति देने का प्रयास किया गया है। इन सब कामों के लिए कर्ज देने की योजना सुचारु बनाने, डूबते ग्रामीण बैंकों को उबारने, सहकारी ऋण संस्थाओं के तंत्र को मजबूत बनाने और सब से बढ़कर ग्रामीण विकास कार्यों को मूर्त रूप देते हुए रोजगार के नए अवसर जुटाने का स्वर निरंतर अधिक बुलंद किया जा रहा है।

भूमि सुधारों की ओर विशेष ध्यान

आठवीं योजना में भूमि-सुधारों के तहत बिचौलिया काश्तकारी का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण और फालतू भूमि के पुनर्वितरण, कृषि जोतों की चकबंदी तथा भूमि-अभिलेखों को अद्यतन बनाने के कार्यों से किसानों की हालत सुधारने, उनका शोषण समाप्त करने, भूमि के अधिक समान वितरण, गरीबी उन्मूलन और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिली है। विभिन्न अधिकतम सीमा कानूनों के अंतर्गत 30 सितंबर 1993 तक 73 लाख पचासी हजार एकड़ भूमि फालतू घोषित की जा चुकी थी। गरीबों और कमजोर वर्गों के व्यक्तियों में फालतू जमीन, भूदान-भूमि या फिर बंजर भूमि बांटने से उनके जीवन ने एक नई करवट ली है। 1994-95 में भूमि सुधार के लिए साढ़े 39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इन सुधारों बिजली, पानी, ऊर्वरकों पर सब्सिडी, अनाजों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण, मकानों और सड़कों के निर्माण, संचार सुविधाओं के विस्तार तथा अन्य विकास कार्यों के कारण लगता है कि आज ग्रामीण भारत अपनी तंद्रा से उठ कर अपने हाथ की रेखाओं को चमकाने के लिए जी जान से जुट गया है।

ग्रामोद्योगों को बढ़ावा

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रामोद्योगों की सीढ़ियों पर चढ़कर ही ग्राम स्वराज का सपना साकार करना चाहते थे। औद्योगीकरण और उदारीकरण के नए युग में खादी और ग्राम उद्योगों की महत्ता और भी बढ़ गई है। इन उद्योगों में बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने से बढ़ते हुए आर्थिक और सामाजिक तनावों को मिटाया या प्रभावहीन किया जा सकता है। पिछले वर्ष गांधी जयंती पर 125 खंडों में विशेष योजना आरंभ करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हराव ने कहा था कि भारतीय हस्तशिल्पों का कोई सानी नहीं। वे चाहते थे कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग देश-विदेश में ग्राम उद्योगों में तैयार चीजों की बिक्री बढ़ाने का अभियान छेड़े। गांधी जी कहते थे ग्राम निवासियों को इतना उन्नत शिल्पकौशल विकसित करना चाहिए कि उनके हाथों से तैयार वस्तुओं की बिक्री के लिए तुरंत बाजार मिल जाए। अगर हमारे गांव पूरी तरह विकसित हो जाएं तो वहां ऊंचे कौशल और कलात्मक प्रतिभा की कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन की ऐसी कोई चीज नहीं होगी

जो गांवों में न मिले। अगर आज हमारे गांव गोबर के ढेर हैं तो कल वे खुशियों का आशियाना और स्वावलंबन के केन्द्र बन जाएंगे। खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने और सुधारने के महत्व को देखते हुए ही, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई है। इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। इनमें 20 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा करना, 50 चुनींदा क्षेत्रों में विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाना और 125 खंडों में ग्रामीण उद्योगों का गहन विकास करना शामिल है। इसके लिए सामान्य बजट सहायता के अलावा आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाकी समय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को 1865 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

खाद्य परिशोधन

खेतों की उपज और ग्रामीणों के प्रयत्नों से जुड़े खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ और स्पंदनशील बनाने के लिए पिछले तीन वर्षों में नये नये कदम उठाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य कृषि आधारित गतिविधियों में विविधता लाकर और उन्हें व्यापारिक रूप देकर ग्रामीण जनता की आय बढ़ाना है। नई नीति के अंतर्गत फलों और साग सब्जी के क्षेत्र का भरपूर विकास किया गया है। इनकी विकास दर 1991 में लगभग 7.7 प्रतिशत से बढ़कर 1993 में 25.7 प्रतिशत हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य-परिशोधन में प्रशिक्षण देने के 121 केन्द्र खोले गए हैं, जहां फल उत्पादकों और किसानों को खाद्य परिशोधन की छोटी इकाइयां स्थापित करने की आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। कृषि जन्य उद्योगों और ग्रामीण-उद्योगों का जाल बिछते जाने के कारण जनवरी 1990 में उद्योग मंत्रालय में लघु कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग बनाया गया। इन उद्योगों से लाभकारी रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि हुई है और क्षेत्रीय विकास में संतुलन कायम करने में सहायता मिली है।

इन सुधारों के बाद अब जरूरत इस बात की है कि इनसे उत्पन्न नई संभावनाओं, नए अवसरों तथा नये वातावरण का लाभ उठाने के लिए पूरे परिदृश्य को सामने रखकर कदम उठाए जाएं तभी पंचायती राज की विभिन्न संस्थाएं, भूमि सुधारों, समुन्नत टैक्नालोजी के नए प्रयोगों और गैर-पारंपरिक ऊर्जा साधनों के नए नए आविष्कारों का पूरा लाभ उठा सकेंगी तथा ग्रामीण विकास और गरीबी मिटाने के बहु-आयामी कार्यक्रमों को सार्थकता प्रदान कर उन्हें परवान चढ़ा सकेंगी।

268, सत्य निकेतन, मोती बाग,
नई दिल्ली-110021

(पृष्ठ 16 का शेष)

पेइचिंग सम्मेलन...

संशोधनों से ग्रामीण और शहरी निर्वाचित सदनों में लगभग दस लाख महिलाएं नेताओं के रूप में उभरेंगी। इनमें से 75,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यक्ष होगी।

चौथे विश्व महिला सम्मेलन की दिल्ली स्थित समन्वय इकाई के सहयोग से आयोजित एक कार्यशाला में यह तथ्य सामने लाया गया कि अधिकतर निर्वाचित महिलाएं निरक्षर होंगी और अपनी भूमिका तथा दायित्वों का उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होगा। यह सही है कि उनमें अधिकतर केवल सदस्य होंगी और वास्तविक अधिकार उनके पीछे पुरुषों के हाथ में होंगे, किन्तु इस कार्यशाला में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि उनमें अनेक महिलाएं अपनी भूमिका अदा करने और सीखने की इच्छुक भी होंगी।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा भारत के सभी हिस्सों में एक सामाजिक वास्तविकता है। भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि ग्रामीण और अन्य कमजोर महिलाएं उसका आसानी से शिकार हो रही हैं और अब तक उन्हें न्याय दिलाने के लिए किसी ठोस प्रणाली का विकास नहीं हो सका है। बालिकाओं के प्रति हिंसा और हत्याओं की घटनाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि समाज इनके प्रति संवेदनहीन हो गया है।

निष्कर्ष

मेक्सिको सम्मेलन से लेकर पेइचिंग सम्मेलन तक की यात्रा के दौरान दुनिया की महिलाओं ने अधिकार प्राप्त करने की दिशा में अपने आपको काफी सशक्त बना लिया है। 1980 में कोपनहेगन में तय किये गये कार्यक्रमों को 1985 के नैरोबी सम्मेलन तक आंशिक रूप से अमल में लाया गया था। सितम्बर में पेइचिंग सम्मेलन में उन नीतियों और कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की गई जो नैरोबी सम्मेलन में निर्धारित किए गए थे। महिलाओं ने जो कुछ प्राप्त किया है, वह पर्याप्त नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण अवश्य है। अभी हमें अभी इस दिशा में काफी सफर तय करना है।

अनुवाद : श्री राधेश्याम

निरक्षरता के कारण ग्रामीण जनता विकास की दौड़ में पिछड़ी

✍पी. आर. त्रिवेदी

'साक्षरता' शिक्षा का प्रथम सोपान है तथा शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक एवं अधूरा है। शिक्षा विकास के लिये आवश्यक और सहायक साधन है तथा विकास का अहम् अंग है। शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप समाज में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं जो कि विकास के सूचक हैं।

भारत में निरक्षरता की वजह से ही जनमानस में शिक्षा का समुचित प्रसार नहीं हो पाता। इस कारण से खासकर ग्रामीण जनता और किसान वर्ग विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार सात वर्ष से अधिक आयु के 33.2 करोड़ लोग अभी भी देश में निरक्षरता के अन्धकार में भटक रहे हैं जबकि 1981 की जनगणना के अनुसार ऐसे निरक्षरों की संख्या 30.5 करोड़ थी। भारत में 1951 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 18.3 प्रतिशत थी जो कि 1991 तक बढ़कर 52 प्रतिशत हुई है। हमारे प्रयासों से देश में साक्षरता तो प्रतिवर्ष बढ़ती है लेकिन दूसरी ओर आबादी के बढ़ते रहने से निरक्षरों की तादाद भी बढ़ती जाती है।

देश की 1991 की जनगणना के अनुसार यहां 19.56 करोड़ महिलाएं निरक्षर हैं जबकि 1981 में यह संख्या 24.16 करोड़ थी। देश की कुल साक्षरता दर में महिला साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत है अर्थात् देश में 61 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं। देश में कुल साक्षरता की दर में राजस्थान 31वें स्थान पर है तथा महिला साक्षरता में तो यह सब राज्यों में पिछड़ा हुआ है अर्थात् यहां महिला साक्षरता 20.44 प्रतिशत है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में स्पष्ट लिखा है कि सरकार संविधान लागू होने के दस वर्षों के भीतर देश में 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगी। संविधान की इस व्यवस्था तथा 1960 तक सबको प्रारम्भिक शिक्षा की वचनबद्धता पर बार-बार जोर देने के बावजूद भी देश में आज भी स्थिति वही ढाक के तीन पात ही है।

देश में साक्षरता की स्थिति में कोई खास सुधार न हो पाने के कारण 5 मई, 1988 को "राष्ट्रीय साक्षरता मिशन" एक आन्दोलन के रूप में प्रारम्भ किया गया। इस मिशन के तहत 15 से 35 वर्ष तक के आठ करोड़ निरक्षरों को 1995 तक साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह मिशन एक सामुदायिक कार्य है। जिसकी सफलता, सामाजिक शक्तियों को गतिशील बनाने और जन सहयोग प्राप्त करने पर निर्भर है। अप्रैल-जून 1989 में कोट्टायम कस्बे में तथा दिसम्बर 1989 में एर्नाकुलम जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों का श्रीगणेश और सफल संचालन समूचे केरल राज्य तथा पाण्डिचेरी में किया गया। अभियान को आन्ध्र प्रदेश, गोआ, बिहार, असम, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एवं पश्चिमी बंगाल के 213 जिलों में परियोजनाओं के जरिए लागू करने की मंजूरी दी गई। समग्र साक्षरता अभियान 75 जिलों में सम्पन्न हो चुके हैं तथा इन जिलों में उत्तरोत्तर साक्षरता के कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। इस अभियान के प्रभाव के मूल्यांकन के लिये एक विशेष दल बनाया गया है। इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा निर्धारित साक्षरता स्तर को ध्यान में रखते हुए यह मालूम करना है कि साक्षरता अभियान का नवसाक्षरों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

आठवीं योजना की अवधि के समाप्त होने तक 345 जिले समग्र साक्षरता अभियान के माध्यम से लगभग 80 लाख लोगों को साक्षर बनाने तथा योजना के अन्त तक अन्य कार्यक्रमों के दायरे में दो करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों को लाने का लक्ष्य है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 49 प्रतिशत बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं तथा कक्षा आठ तक

(शेष पृष्ठ 30 पर)

कहानी

जीवनदाता

आशा दूबे

अभी सवेरा है, पर दिन चढ़ते देर नहीं लगेगी। गीता गेहूं धो रही है। आंगन के किनारे में ही कुआं है। गेहूं धो-धो कर वह खाट में बिछी दरी पर डाल रही है। इसी समय गीता की सास मानवती ने पूछा "गोपाल कहां गया है बता कर गया है कि कब आयेगा।" गीता के पति का नाम गोपाल है। गीता जानती है सास को अपने बेटे की बड़ी फिकर रहती है सो उसे समझाकर बोली "आ जायेंगे मां! तुम नहा तो लो।" मानवती खाट के पास आकर दरी में गेहूं फैलाने लगी फिर हंस कर बोली "अरी बहू तेरे आने के बाद मैंने तो उसकी फिकर ही छोड़ दी है पर उसने कुछ खाया पिया है या ऐसे ही चला गया।" गीता ने कहा "मैंने कहा तो था पर वे जल्दी में थे।"

हाथ का काम पूरा कर गीता रसोई घर में चली गई। तब तक मैना भी उठ गई। उसे बहुत सारे सवालों के उत्तर लिखने हैं। वह गांव के स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ती है। स्कूल की बातों को वह अपनी दादी मानवती को बताया करती। दोनों दादी पोती में खूब जमती है। नहा धोकर उसने गीता से कहा "थोड़ा दूध और गुड़ दे दो मुझे लिखने बैठना है।" गीता ने उसे दूध का गिलास और गुड़ का टुकड़ा दे दिया। मानवती भी आकर मैना के पास बैठ गई। उसने पोती से पूछा "आज क्या लिख पढ़ रही हो बिटिया" मैना ने दादी की ओर देखकर कहा "दादी कल हमारे गुरुजी ने पर्यावरण के बारे में बताया है। मैं जंगलों से लाभ के बारे में लिख रही हूं। बताओ तो क्या-क्या लिखूं?" गीता ने चूल्हे पर दाल का पानी चढ़ाते हुए कहा "जलाने को लकड़ी मिलती है। जंगल न हो तो चूल्हे में आग कैसे जले? खाना कैसे बने?" मैना बोली "पर मां खाना तो गोबर गैस से भी बनता है, सौर चूल्हे से भी बना सकती हो।" गीता खुश हो गई बोली "खूब याद दिलाया तूने तेरे पिताजी से कहूंगी। धुएं से तो मेरी आंखों का हाल बुरा हो जाता है।" दादी मानवती ने आंगन के कोने की ओर आंख उठाकर देखा और कहा "जंगल के बारे में तो तुम खूब लिखो बिटिया! तुम्हारे दादा जी भी पेड़ों से खूब प्यार करते थे। जब तेरे पिताजी, यानि हमारा गोपाल पैदा हुआ तब तेरे दादाजी ने ये दोनों पेड़ लगाये थे। कहते थे ये पेड़ मेरे बेटे के साथ-साथ बड़े होंगे तब हमारा आंगन कितना हरा-भरा लगेगा।"

पेड़ों की ओर देखकर मैना खुश हो गई। एक ही लाइन में आम और जामुन के पेड़ लगे थे। उसकी दादी ने वहीं पर नींबू का पेड़ भी लगा दिया था। इस साल उसमें फल लगे हैं। और आम के पेड़ में तो मैना का झूला बंधा हुआ था। जिसमें वह अपनी सहेलियों और छोटे भाई भानू के साथ झूलती थी। इन दिनों भानू अपनी बुआ के गांव गया है। उसके फूफाजी उसे एक हफ्ते के लिये ले गए हैं वनभोज के लिये। पिछले साल मैना गई थी। कितना मजा आया था उसे।

बात करते-करते मैना लिख भी रही थी। लिखना पूरा करके वह भीतर से रामचरितमानस उठा कर ले आई और रोज की तरह अपनी दादी को पढ़ कर सुनाने लगी :–

हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी
तुम देखी सीता मृग नैनी।

रामजी जंगल में रहने वाले पक्षियों, हिरणों और भौरों से पूछने लगे "क्या तुम लोगों ने हिरन के समान आंखों वाली सीता को देखा है?"

गोपाल ने भीतर आकर कहा "मैं देख रहा हूं मेरी सयानी बिटिया दादी को चौपाई सुना रही है? जा तो जरा लाखन काका के लिये एक लोटा पानी ले आ।" मैना ने पिता के साथ आए गांव में रहने वाले लकड़हारे लाखन को पानी लाकर दे दिया। और पूछा "लाखन काका बहुत दिन बाद आए हो। मेरी सहेली बीना कैसी है? कल स्कूल कैसे नहीं आई?" लाखन बोला "उसकी तबियत खराब है बिटिया। आज भी स्कूल नहीं जाएगी।" मानवती ने गोपाल से कहा "लखना को कहां से पकड़ लाया। इसे तो मोती लाल साहूकार की चाकरी से फुरसत नहीं मिलती। आज कैसे हाथ आ गया?"

गोपाल ने हंसकर कहा "हाथ नहीं आया मां! मैं ही इसे पकड़ कर लाया हूं। इसीलिये तो सुबह से निकला था।"

लाखन ने लजाकर कहा "कैसी बात करते हो गोपाल भाई।

मैं तो हमेशा कहता हूं मेरे लायक काम हो तो बताओ। मैं क्या तुम्हारा कहा टाल सकता हूं भला?"

मानवती ने बेटे के पास जाकर कहा "सुनूं तो भला लाखन के लिये तुमने क्या काम सोच रखा है।"

गोपाल बोला– "तुम जाकर अपनी पोती से चौपाई सुनो मां। यह काम तुम्हारे सुनने का नहीं, लाखन के करने का है। चल भई लाखन काम शुरू कर।" पानी का लोटा खाली कर लाखन ने गमछा कमर में कसकर बांधा और कुल्हाड़ी उठाकर गीता को आवाज लगाई "भाभी गेहूं वाली खाट जरा और सरका दो। फिर न कहना कचरा गिरा दिया मैंने।"

गीता ने बाहर आकर खाट के पास खड़े होकर पूछा "खाट तो सरका दूं भैया पर आखिर कचरा आएगा कहां से?"

खिलखिला कर लाखन बोला "सुन लो गोपाल भाई हमारी भाभी की बात? अरे भाई पेड़ कटेंगे तो क्या लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़े गेहूं पर नहीं गिरेंगे।"

नाराज होकर गीता बोली "पर तुम पेड़ काट क्यों रहे हो, कौन सा पेड़ काट रहे हो?" गोपाल ने गीता को डांटकर कहा– "क्यों खिटपिट कर रही हो। जाओ खाना बनाओ। इसे अपना काम करने दो।"

मानवती ने बेटे से कहा "वह तो अपना काम ही कर रही है। तुम क्या गजब कर रहे हो बेटा।"

गोपाल ने परेशान होकर कहा "मां मुझे लग रहा था कि तुम लोग जरूर बखेड़ा करोगी। उन दिन तुमने ही तो कहा था इस साल फसल अच्छी हुई है। हमें भूसा रखने के लिये एक कमरा और बना लेना चाहिए।"

मानवती बोली– "हां कहा था मैंने। पर आंगन के पेड़ कटवा कर कमरा बना। यह मैंने तुझसे कब कहा था बेटा?"

बेटे ने मां की बात का जवाब दिया "मां, देखो न आंगन का कितना बड़ा भाग इन पेड़ों ने घेर रखा है। दूसरी ओर कुआं है। तो आखिर नया कमरा किस तरफ बनेगा?"

मानवती बोली "अरे बावले उधर कुंए से चार कदम पहले बनवा ले। रसोई घर के बाजू में बनवा ले। पर खबरदार मैं पेड़ों को कटने नहीं दूंगी। यह तुम जान समझ लो।"

गोपाल ने जरा तेज आवाज में कहा "तुम बेकार की बातों को रहने दो मां! बाबू जी की यादों के साथ तुमने इन पेड़ों को बांध रखा है, यही तुम्हारी कमजोरी है।"

पति की बात से मानवती की आंखों में आंसू आ गए। भरे गले से वह बोली "हां बेटा तुम ठीक कहते हो। पर यही बात सब कुछ नहीं है। सोचो भला! इन पेड़ों ने तुम्हारा कितना साथ निभाया है।"

मां की आंखों में आंसू देखकर गोपाल जरा नरम पड़ कर बोला– "वह सब बीती बातें है मां! अब ये पेड़ काफी बढ़ गये हैं। घर में इनके कारण कूड़ा करकट होता है। पक्षी घोंसला बनाकर आंगन में गंदगी करते हैं।" फिर रुककर बोला "मां आज के आज मोती लाल साहूकार पैसे भी दे रहा है। पूरे 350 रुपये दूंगा बोला है। क्यों भाई लाखन?"

दांत चमका कर लाखन बोला "और मेरी भी तो रोजी मिलेगी न मौसी! तो भैया जी बात हो गई हो तो मैं अपना काम शुरू करूं?"

"घर में हो क्या मानो मौसी" कहती हुई गौरी दीदी बाहर का दरवाजा ठेल कर आंगन में आई। मानवती ने उसकी ओर मुंह घुमाकर कहा– "आज मैं तेरे ही घर जाने वाली थी बेटी, पर क्या करूं हमारे घर में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है।" गौरी दीदी हंस कर बोली "लो सुन लो हमारी मानो मौसी की बात! हम लोग तो खुद कभी-कभी बाहर के बखेड़े तुमसे सुलझाने आती हैं। तुम्हारे लिये तो घर की बातें चुटकी बजाने की है। मगर पहले मुझे चार नींबू तो दे दो और ये रखो दो रुपये।" कह कर गौरी दीदी ने मानवती के हाथ में दो सिक्के रख दिए।

गीता ने रसोई घर से पूछा "गौरी दीदी बहू को मायके नहीं भेजा क्या।" गौरी दीदी ने जवाब दिया "इस बार नहीं भेजूंगी। दूसरी जंचकी है ना। सोहन कहता है यही दूसरी और आखिरी जंचकी है चाहे जो हो। अरे हां गोपाल तुम्हारे घर का काम हो जाए तो लाखन को हमारे यहां भेजना। सूखी लकड़ियां कटवानी हैं मुझे।"

मानवती ने पेड़ से नींबू तोड़कर गौरी के हाथ में रखे और कहा "गोपाल से क्या कहती हो बेटी। मैं कहती हूं इसे तुम अभी ही ले जाओ।" गोपाल ने खीझकर कहा "मां तुम फिर वही बात कर रही हो। कितनी बार समझा रहा हूं तुम्हें! तुम समझती ही नहीं!"

गौरी दीदी ने उसे बीच में ही टोका "गोपाल इस तरह तुम मौसी से बात करोगे। यह तो अच्छी बात नहीं।"

गोपाल ने कहा "गौरी दीदी तुम ही कहो मेरी बात क्या गलती है। मैं चाहता हूं कोने में जानवरों का चारा रखने के लिये एक कमरा बनवाऊं। मां ने भी हां कह दिया था। अब पेड़ कटवाने की बात कहता हूं तो मना करती है, समय खराब कर रही है और यह गीता भी हमेशा मां का ही साथ देती है।" गीता बोली "जब तुम उलटा सीधा काम करोगे तो मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगी भला?" गौरी दीदी ने बात को कुछ समझ कर कहा– "गीता ठीक ही मौसी का साथ दे रही है। गोपाल हरे-भरे जीवित पेड़ों को कभी भी नहीं काटना चाहिये यह तो अपराध है।" लाखन ने जोर से हंसकर कहा "गीता दीदी तुम अपने महिला मंडल में नहीं, हमारे गोपाल भैया के घर में बोल रही हो। याद है ना? डपटकर गौरी दीदी बोली "हां हां याद है। कहां क्या बोलना है वह क्या तुमसे सीखूंगी मैं। चल तो आ मेरे घर। तुझे आज की रोजी मैं दूंगी और खाना भी खिलाऊंगी।" गोपाल ने बढ़कर कहा "यह क्या कह रही हो दीदी! इसे मैंने बुलाया है सुबह सवेरे जाकर।"

लाखन ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखते हुए कहा "पहले तुम घर में सुलह तो कर लो गोपाल भैया आज मुझे गौरी दीदी के घर में गरम भात खा लेने दो।"

गोपाल ने उसका रास्ता रोक कर कहा "अरे पेटू! तुझसे क्या मैंने कभी भूखे पेट काम करवाया है?"

लाखन ने दरवाजे की ओर पैर बढ़ाकर जवाब दिया "मैंने ऐसा तो नहीं कहा भैया! पर लगता है आज मेरे भाग में तुम्हारे घर का भात पानी लिखा नहीं है। खा भी लूं तो पचने वाला नहीं। मैं चल रहा हूं गौरी दीदी जल्दी आओ तुम।"

गोपाल देखता ही रह गया। गौरी दीदी ने उसके पास आकर कहा "देख गोपाल तुम हमारी मानो मौसी के बेटे हो। लोग तुम्हें बड़ा सयाना समझते हैं। पर तेरी बचकानी बातें कभी-कभी मुझे तो समझ नहीं आती। तुम ऐसा करो आज शाम को मौसी के साथ चौपाल में आना। हमारे महिला मंडल ने बालोद वन विभाग से रेंजर को बुलाया है। सरपंच और दूसरे लोगों को भी मैंने खबर की है। पहले कुछ काम की बातें समझ तो लो। कहीं ऐसा न हो कि अनजाने में तुम इन पेड़ों पर नहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठो।"

हार मानकर गोपाल ने कहा "ठीक है गौरी दीदी तुम्हारी ही बात रही। फिर मुझे भी अपने आंगन में महाभारत नहीं करवाना है।"

बाहर जाते हुए गौरी बोली "अब की न तुमने समझदारी की बात। पलटकर गोपाल ने मानवती से कहा "मां अपनी बहू से कहो न कुछ बन पक गया हो तो खाने को दे। क्या आज मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा?"

मां ने बेटे का हाथ पकड़ बरामदे में बैठाया और आवाज लगाई "अरी बिटिया मैना आओ। कहां हो तुम।"

रोते-रोते आकर मैना ने दादी की गोद में मुंह छुपा लिया फिर बोली "दादी मैं कुछ नहीं खाऊंगी पिताजी पेड़ कटवा देंगे तो मैं और भानू झूला झूलने कहां जाएंगे।"

मानवती ने आंख उठाकर बेटे की ओर देखा। गोपाल ने बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा "रो मत बेटी! तेरे आंसू की कीमत पर न मुझे पेड़ कटवाना है न पेड़ बेचना है।" गीता ने थाली में अंगारों से उतरी गरम रोटी और कटोरी में तेल गुड़ लाकर सामने रख दिया। फिर बेटी से बोली "चल उठ लाड़ मत दिखा, उन्हें दो कौर खा लेने दे। तेरे स्कूल का समय हो रहा है। उठ चल।"

शाम को छह बजे गांव के लोग चौपाल में इकट्ठे हुए। एक तरफ औरतें और दूसरी ओर पुरुष बैठे थे। बरगद के पेड़ के नीचे दस बारह कुर्सियां लगीं थी जिसमें बालोद से आए हुए लोग पंच सरपंच के साथ बैठे थे। गौरी दीदी ने अब खड़े होकर बोलना शुरू किया "आज हमारे गांव में खुशी का दिन है कि रेंजर साहब आए हैं। उन्हें हमारे सरपंच मनहरन लाल जी लेकर आए हैं। उनसे तो हम बहुत सी बातें पूछेंगे और अपनी ओर से भी वे काम की बातें बतलाएंगे पर पहले हमारे गांव की शाला के शिक्षक बिसाहू राम जी आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं।"

बिसाहू राम गुरु जी ने खड़े होकर कहा, "अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हम जंगल और पर्यावरण का आपसी सम्बंध समझाते हैं। पर्यावरण के बारे में गांव के हर छोटे बड़े लोगों को जानना चाहिये। आज दसवीं कक्षा की छात्रा मैना ने जंगल और पर्यावरण पर बहुत अच्छा निबंध लिखा है। थोड़ी बहुत बातें उसी से सुनिये। आओ बेटी मैना। मैना अपनी मां गीता के पास बैठी थी। उसने सामने आकर कहा "मेरे घर आम, जामुन और नींबू के पेड़ हैं। मैं बचपन से ही इन पेड़ों के बारे में जानती हूं। हमें घर पर खाने को फल तो मिलते ही हैं पर अधिक फल होने से मेरी दादी इन्हें बेचती है जिससे हमारे पास पैसे भी आते हैं। गुरुजी ने हमें बताया कि पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं। हमें सांस लेने के लिये इन पेड़ों से आक्सीजन मिलती है। पेड़ हमें प्रदूषण से बचाते हैं। इनमें पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं जो प्रकृति में संतुलन रखते हैं नहीं तो पक्षियों को पालने-पोसने में बहुत खर्च होता। पेड़ वर्षा

भी लाते हैं तथा जमीन की नमी को बनाये रहते हैं हम लोगों को पेड़ों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है।" कहकर मैना जाने लगी पर रेंजर साहब ने उसे वापस बुलाया, शाबाशी दी और अपनी जेब से एक पेन निकालकर उसे देते हुए बोले "बेटी ऐसी ही बातें लोगों को बताना। कहना कि पेड़ों को अपना मित्र बताएं।" मैना ने हाथ जोड़कर रेंजर साहब को नमस्ते किया और अपनी मां के पास जाकर बैठ गई।

गौरी दीदी के निवेदन करने पर रेंजर साहब ने उठकर लोगों को बताया कि– "यहां तांदुला नदी के किनारे जो वृक्ष हैं उन्होंने पिछले कितने सालों से आसपास के लोगों की जरूरतें पूरी की हैं। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग आज कल पेड़ों की कीमत नहीं समझ रहे हैं और कुछ लोग अवैध ढंग से लकड़ी काटना चाहते हैं। बहुत से पेड़ कट भी चुके हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पेड़ हमारे मित्र हैं।"

गोपाल ने पूछा– "साहब आप पेड़ों को हमारा मित्र क्यों कह रहे हैं।" रेंजर साहब ने कहा "अभी मैना ने हम लोगों को जो बातें बताई क्या उनसे नहीं लगता कि पेड़ वही काम करते हैं जो एक मित्र को करना चाहिये। देखो भाई हम जीवित हैं हमारे शरीर में जो प्राण हैं इन्हीं पेड़ों के रहने के कारण हैं। इनसे हमें शुद्ध वायु आक्सीजन मिलती है। ये हमें फल-फूल, जड़ी-बूटी, लकड़ी तो देते ही हैं, जंगल पशु पक्षियों का भी पालन पोषण करते हैं। पक्षी तो कितने ही कीड़े-मकोड़ों को खाकर हमारी पैदावार की रक्षा करते हैं। तुम्हारे गांव के कई लोग लाख, गोंद, चिरौंजी बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। यह जंगल ही तो देता है सबको।"

लाखन ने रेंजर साहब से पूछा "हम लोग अगर जंगल से लकड़ी नहीं काटेंगे तो क्या हम भूखे नहीं मरेंगे साहब?"

रेंजर साहब बोले– "देखो लाखन! तुम्हारे जैसे नादान लोग उपयोगी वृक्षों को काटकर गांव देश, धरती का बहुत नुकसान करते है।"

लाखन ने ऊंची आवाज में कहा "वाह साहब आपके आफिस के लोग तो खुद ही पेड़ कटवाते हैं। उन्हें आपने अभी कुछ कहा है?"

रेंजर साहब ने उसे समझाया "देखो भाई अपने लोगों को हम प्रशिक्षण देते हैं कि कौन से पेड़ काटें और किस प्रकार काटें।"

महिला पंच कमला बाई ने कहा "साहब हमारे गांव में जो परती जमीन है हम उसमें पेड़ लगायें तो क्या आप सहायता देंगे साहब?"

खुश होकर रेंजर साहब बोले "हां बहन! हमारा विभाग आप लोगों की सहायता करेगा। सरपंच मनहरन लाल ने बीच में बोलते हुए पूछा– आपका विभाग हमारे लोगों को क्या सहायता देगा।

रेंजर साहब बतलाने लगे, "ऐसे अच्छे काम के लिये हमारी सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम से एक विभाग खोला है। आप लोगों को शायद नहीं मालूम कि सन् 1976 से हमारे मध्य प्रदेश में इस विभाग ने काम करना शुरू किया है। इसके द्वारा वन मंडलों की स्थापना की गई है। जो आप जैसे लोगों की सहायता से और अनुदान देकर बैंक से ऋण दिलवाकर वन लगाने का कार्य करता है। पंचवन लगाना भी हमारे कार्यक्रम में आता है। आप लोग चाहे तो पौधशाला लगा सकते हैं। हम प्रशिक्षण का आयोजन कर सकते हैं।"

किसनू बोला "क्या मैं अपने खेतों की मेड़ में पेड़ लगा सकता हूं।" रेंजर साहब बोले "हां हां बिल्कुल लगा सकते हो! इसके लिये तुम्हें 100 से 150 रुपये तक की राशि मिल सकती है। अगर तुम 100 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाओ।"

किसनू ने पूछा, "अगर सरकार पैसे देगी तो पेड़ किसके होंगे मेरे या सरकार के।"

हंसकर रेंजर साहब बोले– "पेड़ तुम्हारे अपने होंगे भाई! तुम अपने मन से दूसरी बातें निकाल दो। और हां पैसे तुम्हें पंचायत के द्वारा मिलेंगे। आप लोग अगर चाहें तो मैं डी. एफ. ओ. साहब को आपके गांव लेकर आऊंगा। आप लोग उनसे चर्चा भी करना साथ ही आवेदन पत्र तथा योजना के बारे में भी हम बातें कर लेंगे।"

गौरी दीदी रेंजर साहब की बातें सुनकर प्रसन्न हो रही थी। उन्होंने कहा "आप हमें कौन-कौन से पेड़ दिलवा सकते हैं रेंजर साहब।"

रेंजर साहब ने बताया "हम तो सभी प्रकार के उपयोगी पौधे लोगों को दिया करते हैं। पर आजकल लोग जल्दी लाभ देने वाले पेड़ लगाना चाहते है जैसे सुबबूल के पेड़। आप लोग बांस भी उगा सकते हैं।"

गौरी दीदी ने बैठी हुई महिलाओं से कहा कि आप लोग घरों में साधारण चूल्हों के बदले निर्धूम चूल्हों का, सोलर चूल्हों का चलन कीजिये। साधारण चूल्हों में भी बहुत सी लकड़ियां बेकार जलती हैं। अगले इतवार हम लोग अपने महिला मंडल की ओर से ब्लाक आफिस के बी.डी.ओ. को बुलाने वाले हैं। उन्हें भी हमारे सरपंच जी लेकर आयेंगे। अब बहुत समय हो चुका है। आज की

बातों पर आप लोग विचार कीजिये और पेड़ों को अपने से अलग मत जानिये।

चौपाल से लौटकर गोपाल बहुत उदास और खिन्न था। उसे लगा घर में एक वही नादान है। इनमें से बहुत सी बातों को तो वह खुद जानता समझता था। बचपन में दो कक्षा पढ़कर उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। महीने भर की बीमारी के बाद उसे स्कूल जाने का मन ही नहीं हुआ। अब वह खाट में लेटा हुआ पछता रहा था। जो हुआ सो हुआ अब अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाएगा। मां और गीता की बात मानेगा। उसने देखा बरामदे में बिजली के प्रकाश में मैना पढ़ रही थी। बड़ी समझदार है मैना बेटी आज उसने कितनी अच्छी बातें बताई गांव के लोगों को। गोपाल का माथा गांव के बीच ऊंचा हो गया आज। तभी गीता ने आकर कहा "चलो खाना बन गया है चल कर खा लो। फिर मुझे गौरी दीदी के घर जाना है।"

गोपाल ने उठते हुए पूछा "अभी क्यों जाओगी? सुबह चली जाना।"

गीता बोली "सुबह नहीं अभी जाना है मुझे हम लोग वहां लिखती पढ़ती हैं न रोज।"

थोड़ी झिझक के साथ गोपाल ने कहा "क्या मैं वहां तुम्हारे पास बैठकर पढ़ लिख नहीं सकता।"

मुंह में आंचल दबाकर गीता बोली, "ओ हो ऐसे मत बोलो। पर तुम पास की लाइन में आदमी लोगों के साथ बैठ लेना।"

हंसकर गोपाल बोला, "चलो यही सही। इतना भी तो कुछ कम नहीं।"

फिर उसने मां को आवाज लगाई, "मां जल्दी आओ ना और अपनी पोती को भी ले आओ।" आज गोपाल खुश था। उसे जीवनदाता पेड़ों का महत्व तो समझ आया ही। साथ ही उसने जीने का तरीका भी समझ लिया।

अध्यक्ष,
प्रेरणा साहित्य समिति,
ब्लाक कालोनी, सिविल लाईन,
बालोद, जिला-दुर्ग (म. प्र.),
पिन नं. 491226

(पृष्ठ 25 का शेष)

निरक्षरता के कारण...

आते-आते यह संख्या 60 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। कक्षा दस तक 73 प्रतिशत लड़के और 90 प्रतिशत लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अनुसार देश में 50 प्रतिशत स्कूलों के पास अपना भवन नहीं है एवं 40 प्रतिशत विद्यालयों में फर्नीचर नहीं है। इस क्रम में 35 प्रतिशत स्कूलों में एक-एक शिक्षक, 85 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय की कमी तथा 54 प्रतिशत विद्यालयों में पीने के पानी का अभाव है। देश में शिक्षा पर बजट में काफी कम राशि व्यय करने का प्रावधान रहता है जो कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़ों से स्पष्ट है।

देश में निरक्षरता के अंधेरे में डूबे लोगों को साक्षरता कार्यक्रम से लाभान्वित करने तथा सन् 2000 तक "सबको शिक्षा" मुहैया कराने के लिए हमें अनेक कारगर कदम उठाने होंगे। इसके लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण, शिक्षा व्यवस्था के मौजूदा ढांचे में सुधार, प्राथमिक शिक्षा व्यय में वृद्धि, समाज के सम्पन्न एवं बुद्धिजीवी वर्ग की भागीदारी तथा साक्षरता अभियान में लगे कार्यकर्ताओं की निष्ठा अति आवश्यक है।

आज आवश्यकता है साक्षरता के व्यापक उद्देश्यों की पहचान कर उसके अनुरूप साक्षरता कार्यक्रम की बुनियाद नये सिरे से रखी जाए तथा उस पर ईमानदारी से अमल हो। वास्तव में हमारी समूची शिक्षा व्यवस्था अन्तर्विरोधों और खामियों से ग्रस्त है। सरकारी स्तर पर दी जा रही प्राथमिक शिक्षा का स्तर भी दिनों दिन गिरता जा रहा है जिसका प्रमाण सरकारी स्कूलों से विमुख होते बच्चे एवं निजी स्कूलों की बढ़ती तादाद से स्पष्ट है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा को सर्वसुलभ और अनिवार्य बनाए बगैर निरक्षरता के अभिशाप से मुक्ति पाना संभव नहीं है।

सम्पूर्ण साक्षरता की सफलता स्थानीय आवश्यकता के अनुसार साक्षरता योजना के निर्माण, जनता की भागीदारी, जन जागरण तथा साक्षरता से सम्बन्धित जत्थे, रैली, संकल्प, प्रदर्शनी, समारोह, फिल्म शो, नाटक, लोक संगीत एवं गोष्ठियों के आयोजन से काफी हद तक सम्भव है। साक्षरता के गुणों के आधार पर बैनरों, पोस्टरों, स्लोगन, स्टिकर तथा चित्रकला एवं वादविवाद प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार से भी साक्षरता के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरण किया जा सकता है और इसे जन आन्दोलन का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।

सदर बाजार,
बाड़मेर (राज०),
पिन-344001

ग्रामीण महिलाओं का विकास : स्थिति और संभावनाएं

ऋचा उपाध्याय

प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि का विकास हुआ। संसार बना। वहां जीव जंतुओं का वास हुआ और पुरुष व स्त्री के संयोग से परिवार का विकास हुआ। परंतु ध्यान रखिए कि घर-परिवार में स्त्री की जितनी अहम् भूमिका है उतनी पुरुष की नहीं है। पुरुष कमाता जरूर है। संघर्ष करता है। पर घर को घर स्त्री ही बनाती है। "बिन घरनी घर भूत का डेरा" कहा गया है। स्त्री सृजन करती है। पालती है। पोसती है। बालक को जवान बनाती है। उसमें सद्गुण और अच्छे संस्कार भरती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में मां और मातृभूमि की गरिमा का आख्यान है।

आज भी राष्ट्र के अधिसंख्य परिवार गांवों में रहते हैं। पंत ने लिखा है– "भारत माता ग्राम वासिनी" और महात्मा गांधी ने लिखा है कि "तुम देश का सही विकास करना चाहते हो, तो गांवों की ओर लौट चलो क्योंकि भारत की आत्मा वहां के साढ़े सात लाख गांवों में वास करती है।" ग्रामीण विकास की धारा से स्त्री को न जोड़ा गया और समस्याओं से उसे रू-ब-रू न किया गया तो ग्राम विकास की परिकल्पना कभी साकार न हो पाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं में झांका जाए और उनके समाधान का प्रयास किया जाए, जिससे वे आत्मनिर्भरता व ग्राम विकास की समस्याओं से स्वयं सामना कर पाएं।

पिछड़ापन, समस्या ही समस्या

कहना नहीं होगा कि पिछड़ापन कई समस्याओं को जन्म देता है। अर्थशास्त्रियों का स्पष्ट मत है कि अर्द्ध विकसित देशों के विकास पर सबसे बड़ा प्रश्न चिह्न उसका पिछड़ापन ही है। इसके अंतर्गत निरक्षरता, रूढ़ियां, अंधविश्वास, बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता तथा जागरूकता का अभाव आदि मुख्य तत्व हैं।

ग्रामीण महिलाओं की दयनीय स्थिति के पीछे सामाजिक रूढ़ियों, परम्पराओं का हाथ है। लड़की को बचपन में ही ताने, व्यंग्य, कटूक्तियों का सामना करना पड़ता है। उसे पढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि वह लड़की है। जीवन समर के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा। आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया नहीं जाएगा और दहेज देकर (चाहे इसके लिए जमीन जायदाद, घरबार बेचना या गिरवी क्यों न रखना पड़े) किसी लड़के के साथ बांध दिया जाएगा। ऐसी ग्रामीण युवती जब अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पाती है तो वह अपने गांव और समाज के बारे में क्या सोच सकती है। इसलिए वांछनीय है कि उसे इस योग्य बनाया जाए कि वह अपने बारे में सोच सके, निर्णय कर सके और उस पर अमल कर सके।

आत्म विकास बनाम ग्राम विकास

महात्मा गांधी ने लिखा है– "तुम दुनिया के उद्धार का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर मत लो। तुम अपना ही उत्तरदायित्व निष्ठापूर्वक संभाल पाओ इसी से देश का उद्धार होगा।" उन्हीं के स्वर-में-स्वर मिलाकर कहना पड़ता है कि ग्रामीण महिला अपना विकास कर ले, अपना उत्तरदायित्व संभाल ले, तो गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा।

इसकी पहली तैयारी है लड़कियों को साक्षर बनाना। उन्हें नियमित रूप से स्कूल भेजना, पढ़ने-लिखने का वातावरण बनाना, उसे पुस्तक, कापी, पेंसिल आदि उपलब्ध कराना। माध्यमिक कक्षा तक शिक्षा निशुल्क है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्तियों की सुविधा है। प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर के भोजन का भी प्रावधान है। पुस्तकादि वितरण का भी प्रबंध है। पर सबसे बड़ी बाधा है माता-पिता की गरीबी। वे हाथ का घड़ा पटक कर बादल पर भरोसा करना नहीं चाहते। हाथ का घड़ा है लड़कियों का माता-पिता के काम-काज में हाथ बंटाना।

लड़कियों के काम इस प्रकार हैं :

(क) अपने परिवार में अपने से छोटे भाई-बहनों की देखभाल करना जिससे माता-पिता को अपने काम करने का अवसर मिले।

(ख) सात-आठ वर्ष की आयु से ही घर के छोटे-मोटे काम निपटाना। मसलन झाड़ू लगाना, गोबर उठाना, मवेशी को चारा देना, रसोई के काम में हाथ बंटाना।

(ग) बच्ची दस-बारह वर्ष की हो जाए तो गाय, बकरी आदि चराना, लकड़ी चुनना, फसल की रखवाली करना, बीड़ी बनाना, ताड़, खजूर (एक प्रकार की घास) से चटाई, डलिया आदि बनाना, रस्सी बटना आदि।

इस समस्या का एक ही उपाय है माता-पिता की मानसिकता का प्रक्षालन और उनकी गरीबी का उन्मूलन। युग-युग से चली आ रही घिसी-पिटी परंपरा में बंधे अभिभावक को जमाने की हवा से परिचित कराना कि आज बेटी ने पढ़-लिख लिया तो उसका घर-परिवार, गांव, देश सब सुधरेगा।

कानूनी दबाव और गरीबी उन्मूलन

सरकार ने शिक्षा निःशुल्क कर दी। अनिवार्य भी कर दी। ढेर सारे अनुदान और प्रोत्साहन के अवसर भी दिए। पर अनिवार्यता के पालन के लिए कानूनी कठोरता बरतने पर बल नहीं दिया। जिस पर नैतिक, सामाजिक दबाव काम नहीं करता, उस पर कानूनी दबाव असर करता है। एक बार जड़ता भंग हो, गाड़ी चल निकले तो फिर यह काम आसान हो जाएगा। जिस प्रकार दियासलाई की एक तीली वर्षों से जमे अंधकार को दूर कर देती है। उसी प्रकार शिक्षा ग्रामीण महिलाओं की सारी जड़ता, अज्ञानता, रूढ़िग्रस्तता को तोड़कर बिखरा देगी। फिर तो वही माता-पिता को सृजनशील कार्य की ओर प्रेरित करने लगेगी।

गरीबी सबसे बड़ी राक्षसी है। वह विकास का सारा रस चूस लेती है। ग्रामीणों को चाहिए कि वे कृषि को समुन्नत तरीके से अपनाएं। ग्राम पंचायत या प्रखंड स्तर पर कृषि विकास के लिए उपलब्ध ऋण, सहायता, अनुदान से भरपूर सहायता लेकर कृषि जगत में बड़ी क्रांति की जरूरत है। कृषि को बहुफसली बनाकर, खाद पानी उपलब्ध कर अधिक उत्पादन करना चाहिए। पारंपरिक उपकरणों तरीकों को त्याग कर ट्रेक्टर आदि का उपयोग करना। सालों भर रोजगार मिल पाए, सृजनशीलता व श्रम शक्ति का भरपूर प्रदोहन हो इसके लिए कृषि के समानांतर लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले। इससे प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ेगी। गरीबी घटेगी और फिर वे अपनी लड़कियों, पत्नियों को छोटे-मोटे कामों में लगाने के बजाए शिक्षा की ओर अवश्य प्रेरित करेंगे। इसी से महिलाओं के विकास की संभावनाएं हल होंगी और रूढ़ियां, अंधविश्वास स्वतः नष्ट हो जाएंगे। "एक साधे सब सधे" वाली कहावत चरितार्थ होगी।

दीपक से दीपक जलता है

किसी प्रकार प्रयत्न से एक दीपक जल उठे, तो कई दीपक जलाए जा पाएंगे। गांव की एक महिला पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बन गई, उसने कोई नौकरी कर ली या गांव में ही स्वरोजगार का कोई अवसर जुटा लिया तो यह एक उदाहरण बनेगा। इससे कई महिलाएं आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगी। किसी को रास्ता तो बनाना ही पड़ता है। फिर उस पर चलने वाले कई हजार हो जाते हैं। आजादी की तीसवीं वर्षगांठ पर देशवासियों को संबोधित करते हुए स्व० इंदिरा गांधी ने कहा था– "देश के विकास की कल्पना बिना ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साकार नहीं हो सकती है। हमें अपनी अधिक ताकत, अधिक धन इसमें लगाना है कि आधी दुनिया का समग्र विकास कैसे हो। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम यह काम एकदम बुनियाद से शुरू करें। बुनियाद का मतलब है हमारा गांव और वहां की महिलाएं।"

सरकार और महिला विकास की योजनाओं का समन्वय

सरकार के पास परिवार कल्याण केन्द्र से लेकर महिला विकास की कई योजनाएं हैं। उसके लिए पर्याप्त आवंटित धन है। परन्तु ग्रामीणों और सरकार के बीच समन्वय के अभाव में उनको पूर्णतः साकार नहीं किया जा सकता है। इसमें सरकार या उसके तंत्र को उतना दोष नहीं दिया जा सकता जितना ग्रामीणों को। अपना अधिकार भी आसानी से नहीं मिलता। इसका कारण भी उनका पिछड़ापन है। एक साथ उन्हें न प्रगतिशील बनाया जा सकता है, न सरकारी तंत्र को चुस्त-दुरुस्त। एक उपाय है। गांव के कुछ प्रबुद्ध लोग, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं के अधिकारी और ग्राम पंचायत के मुखिया मिलकर एक कार्यान्वयन समिति का गठन कर लें जिनका मुख्य काम रहे ग्रामीण महिला विकास की सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान देना। इसके लिए उन्हें सतत् प्रयत्नशील रहना होगा। इससे सरकारी अधिकारियों पर नैतिक दबाव पड़ेगा और उनको काम करने में सहयोग भी मिलेगा।

घर-परिवार के विकास पर ध्यान

न प्रत्येक महिला शिक्षित हो सकेगी, न ग्राम विकास के लक्ष्य का संधान कर पाएगी और यदि घर-परिवार अव्यवस्थित रहा, तो शेष विकास पर किस प्रकार सोचा जा सकेगा।

इसलिए महिलाओं को घर, परिवार, स्वास्थ्य के बारे में समुचित जानकारी दी जाए। वे क्या खाएं, कैसे रहें, गर्भ से लेकर

(शेष पृष्ठ 46 पर)

श्रमिक महिलाएं और जागृति

रजत रानी 'मीनू'

हमारे देश में श्रमिक महिलाओं के अनेक रूप हैं और उनके श्रम भी अनेक रूपी हैं । परन्तु मोटे तौर पर श्रमिक महिलाओं का प्रश्न उठता है तो शारीरिक श्रम करने वाली मजदूर महिलाओं की तस्वीर हमारी आंखों के सामने उभरती है और जागृति की बात होती है, तो तथाकथित आधुनिकाओं की ओर हमारा ध्यान जाता है। जो शारीरिक श्रम करती हैं वे केवल श्रम ही करती हैं और शिक्षा, साहित्य, मनोरंजन जैसे जागृति के साधनों से वंचित रहती हैं। और जो जाग्रत हैं वे शारीरिक श्रम स्वयं नहीं करती हैं, उनके यहां शारीरिक श्रम करने वाली महिलाएं ही श्रम करती हैं। मतलब शारीरिक श्रम मानसिक श्रम का गुलाम है। इस बात का अहसास उस गुलाम को नहीं है। यह अहसास कराना ही जागृति लाना है। यह एक बड़ा असंतुलन है जिससे देश के एक वर्ग विशेष की प्रगति के सारे रास्ते बन्द है।

महिलाओं के श्रम को मुख्यतः शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम अथवा कुशल और अकुशल श्रम के रूप में देखा जा सकता है। जागृति मानसिक दरवाजे से ही शारीरिक श्रम तक पहुंचती है। जागृति से आशय महिलाओं का अपने श्रम के प्रतिफल के प्रति जागरूक होना है। अपने व्यावसायिक अधिकारों का ज्ञान होने से है। इसके लिए कम से कम साक्षर होना तो अनिवार्य है। समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन और पुस्तकों के जरिये महिलाओं में जागृति आती है। महिला संगठनों की भूमिका इस दिशा में बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन हमारे देश की श्रमिक महिलाओं में पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा जागृति बहुत कम है। जिन महिलाओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से सम्पन्न होती है उनका श्रम सम्मानित श्रम से जुड़ जाता है। वे शिक्षिकाएं, लेखिकाएं, अभिनेत्रियां इत्यादि बन जाती हैं। लेकिन जिन महिलाओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, उन्हें आजादी के बाद भी न तो अपेक्षित शिक्षा मिली और न उन्हें सम्मानित व्यवसाय मिले। उनमें अधिकांश को श्रम ज्यादा करना पड़ता है और पारिश्रमिक बड़ा ही कम मिलता है। मैला ढोना, झाड़ू लगाना, इमारतों के निर्माण कार्य के दौरान ईंट मसाला देना, खेतों, मिलों, कारखानों में मजदूरी करना आदि इनकी विवशता है।

एक तो सामाजिक दृष्टि से इनका श्रम इन्हें इज्जत नहीं देता और सुधार की दृष्टि से इनके लिए सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं चलाये जाते। भारत गांवों में बसता है। गांव की आधी आबादी महिला आबादी है। ग्रामीण महिलाओं में सभी जातियों की महिलाएं कमोबेश श्रम से जुड़ी रहती हैं। परन्तु इनमें भेद इतना है कि भूमिहीन गरीब महिलाएं दूसरों के साधनों पर श्रम करती है तो सम्पन्न परिवारों की स्त्रियां अपने निजी कामों में लगी रहती हैं।

वर्तमान युग में महिलाएं अपने श्रम के बल पर प्रत्येक कार्य क्षेत्र में आगे आ रही हैं। यहां तक कि उन्होंने सेना जैसे जोखिम के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, पायलट, पुलिस, चिकित्सा और उद्योग हर क्षेत्र में वे आगे आ रही हैं। लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति बराबरी की नहीं हैं, दोयम दर्जे की ही है। मीडिया की इसमें एक अहम भूमिका हो सकती है कि वह स्त्रियों को भूमि, भवन और अन्य सम्पत्ति में भागीदारी दिलाये।

जब तक आर्थिक कुंजी पुरुषों के हाथों में रहेगी और स्त्री परावलम्बी बनी रहेगी, तब तक उसके कुशल श्रम और जागृति का कोई अर्थ नहीं।

स्त्रियों को भौतिक सत्ता में भागीदारी के बिना शाब्दिक सहानुभूति से कुछ नहीं मिलेगा। आज यह सब जानते हैं कि श्रमिक महिलाएं चाहे वह कोठियों में बर्तन मांजती हों या सड़कों पर झाड़ू लगाती हों, कपड़े इस्तरी करती हों, विभिन्न क्षेत्र में दैहिक और मानसिक शोषण की शिकार होती हैं। इन्हें कोई भी जागृति स्थायी मुक्ति नहीं दिला पाती।

शारीरिक श्रम करने वाली महिलाओं के विकास हेतु मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी।

1. शारीरिक श्रम करने वाली महिलाओं को इतना अधिक श्रम

(शेष पृष्ठ 46 पर)

ग्रामीण श्रमिक महिलाओं की समस्याएं

डा. अमरनाथ दत्त गिरि

हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे यहां खेतिहर मजदूरों की जनसंख्या लगभग साढ़े छः करोड़ है और उनमें से लगभग तीन करोड़ पचास लाख श्रमिक स्त्रियां है। अतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों की अहम् भूमिका है। यदि महिलाओं के श्रम की भागीदारी न हो तो ग्रामीण परिवारों को दो जून की रोटी भी नसीब न होगी। इतना सब होते हुए भी समाज में स्त्रियों के श्रम का मूल्यांकन नहीं होता और स्त्री, पुरुष से हीन समझी जाती है। खेतों में निराई, बुआई, कटाई एवं रोपणी आदि स्त्रियां ही करती हैं, किन्तु स्त्रियों को किसान कोई नहीं कहता। किसान कहलाने का श्रेय सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त है। एक श्रमिक स्त्री दिन के पूरे काम का दो तिहाई काम प्रतिदिन करती है। वह मजदूरी करने जाती है, दूर-दराज के इलाकों से पानी लाती है, ईंधन की व्यवस्था करती है। इस तरह से वह दिन के चौबीस घंटों में से लगभग सोलह या सत्रह घंटे काम प्रतिदिन करती है। इतना सब होते हुए भी उसकी चिन्ता किसी को नहीं होती और उसे अनेक समस्याओं से आए दिन जूझना पड़ता है।

महिला परिवार की केन्द्र बिन्दु है। देश में व्याप्त महंगाई का बोझ सबसे अधिक महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। महंगाई ने जहां श्रमिक परिवारों को ऋणग्रस्त बनाया है, वहीं महिला श्रमिकों को अपने गहने आदि गिरवी रखने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

काम पूरे साल नहीं मिलता अतः ग्रामीण महिला श्रमिकों को अपने गांव से पलायन कर काम की तलाश में अन्यत्र जाना पड़ता है। नई जगह की कठिनाइयों से उन्हें मानसिक तनाव रहता है कि यदि कोई दुख सुख पड़ गया तो कौन देगा उनका साथ? आर्थिक दुर्बलता के तनाव अलग हैं। यद्यपि सरकार ने समान काम के लिए समान मजदूरी देने का प्रावधान श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत किया है, किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं है। अक्सर शिकायतें सुनने में आती हैं कि स्त्रियों को पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है। आये दिन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी महिला श्रमिकों को न दिये जाने की भी शिकायतें मिलती हैं। अगरबत्ती बनाने वाली महिला श्रमिक एक किलो मसाले की अगरबत्ती बनाने पर बड़ी मुश्किल से सात रुपये से दस रुपये तक पाती है, जबकि इस कार्य में उसका पूरा दिन खप जाता है। दस रुपये मजदूरी पाने वाली श्रमिक स्त्री किस तरह अपना परिवार चला पायेगी यह एक विचारणीय प्रश्न है। बीड़ी श्रमिक महिलाओं की भी अपनी दास्तान है। यद्यपि ये श्रमिक स्त्रियां बीड़ी बनाने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी से करती चली आ रही हैं किन्तु ये अपने मालिकों से बोनस आदि लाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं बन पातीं क्योंकि तीन महीने के बाद रजिस्टर में नियोक्ता लोग किसी अन्य महिला का नाम चढ़ा लेते हैं, भले ही बीड़ी बनाने वाली वही महिला श्रमिक ही निरन्तर बीड़ी बना रही हो। इससे इन श्रमिक महिलाओं से बोनस पाने का अधिकार छीन लिया जाता है। इसी प्रकार अन्य निर्माण कार्यों में लगी श्रमिक महिलाओं से अंगूठे लगवा लिए जाते हैं किन्तु कागजों में क्या लिखा है, इसे श्रमिक महिलाएं निरक्षर होने के कारण पढ़ नहीं पातीं। आदिवासी मजदूर महिलाओं की भी अपनी व्यथा-कथा है। ये श्रमिक स्त्रियां बड़े श्रम से जंगली उपज तेंदूपत्ता, चिरौंजी, इमली, हर्र, बहेड़ा, फुलबुहारी आदि एकत्र करती हैं किन्तु यह जंगली उपज व्यापारियों द्वारा मिट्टी के भाव खरीद ली जाती है और जिससे वे कस्बों व शहरों में मनमाना लाभ कमाते हैं।

स्वास्थ्य चेतना की कमी

यद्यपि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए योजनाएं तथा कार्यक्रम लागू किये हैं, किन्तु इनका आशातीत लाभ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं मिल पाया है। इसमें एक ओर तो ग्रामीण महिला श्रमिकों की अज्ञानता आड़े आती है तो दूसरी ओर योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तत्परता की कमी है। ग्रामीण श्रमिक स्त्रियां स्वास्थ्य की बुनियादी बातों तथा टीकाकरण आदि के महत्व को नहीं जानतीं। आदिवासी या अन्य पिछड़े क्षेत्रों में आज भी प्रजनन तथा प्रसूति सम्बन्धी क्रूर पद्धतियों को ही अपनाया जाता है। संतुलित आहार के अभाव में श्रमिक स्त्रियों के स्वास्थ्य और उनकी कार्य-क्षमता पर प्रभाव पड़ता है

और उनकी श्रम करने की शक्ति में कमी आती है। ग्रामीण मजदूर महिलाओं के लिए सरकार द्वारा वह मातृत्व लाभ नहीं दिया गया है जो कस्बों, शहरों तथा औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाली श्रमिक स्त्रियों को मिलता है। अतः शिशु को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद ग्रामीण श्रमिक स्त्रियां काम पर जाना प्रारम्भ कर देती हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता।

निराकरण के लिए कुछ सुझाव

सर्वप्रथम मालिक और मजदूर के बीच भावनात्मक मधुर संबंध स्थापित करने होंगे। अक्सर जब कभी मालिक मजदूरों के सम्बन्ध में चर्चा होती है तो मालिक कहते हुए सुनाई देते हैं कि आजकल मजदूर बड़े कामचोर हो गये हैं और मजदूर शिकायत करते हैं कि मालिक हमारे श्रम का शोषण करते हैं और वे जितना काम करते हैं, उसके अनुपात में उन्हें श्रम-मूल्य नहीं दिया जाता है। वस्तुतः यह स्थितियां इसलिए उत्पन्न होती हैं कि आज हमारी मानसिकता श्रम की अपेक्षा पूंजी को अधिक महत्व देने की बन गयी है। लोग पूंजीपतियों को सम्मान के साथ और मजदूरों को हिकारत की दृष्टि से देखते है, जबकि किसी भी व्यवसाय के लिए पूंजी और श्रम दोनों की ही आवश्यकता होती है। अतः "श्रम की गरिमा" को महत्व देना होगा। मजदूरों की व्यवसाय में भागीदारी अति आवश्यक है, ताकि उनमें अपने व्यवसाय को बढ़ाने की इच्छा पैदा हो, उनमें स्वाभिमान और स्वावलम्बन की भावना का विकास हो तथा मालिक-मजदूर के बीच की खाई भी पट सके। इससे श्रमिक स्त्रियां जो—दोहरी-तेहरी जिम्मेदारियां झेलती हैं, उन्हें राहत मिलेगी और यह अहसास हो कि समाज में उनका भी अस्तित्व है।

ग्रामीण मजदूर महिलाओं की अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें कुटीर व लघु उद्योगों को चलाने के लिए उत्प्रेरित करना होगा, ताकि कृषि-कार्य से निवृत्त होने के पश्चात् वे इनसे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें और उन्हें अपने गांवों से पलायन करने की आवश्यकता न पड़े। इन कुटीर उद्योगों को चलाने में श्रमिक स्त्रियों की परम्परागत जन्मजात कुशलता तथा विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का सहारा लिया जा सकता है।

उदाहरण के लिए बस्तर क्षेत्र बांस बहुल क्षेत्र है और आदिवासी स्त्री-पुरुषों में बास्केटरी का काम करने की जन्मजात प्रतिभा है। अतः यदि बस्तर की आदिवासी महिला श्रमिकों को बास्केटरी का तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनकी बास्केटरी का विकास किया जाये और इसके लिए बाजार तैयार किये जायें तो आदिवासी श्रमिक स्त्रियों का आर्थिक विकास हो सकता है और उनकी जन्मजात कुशलता की भी आशातीत प्रगति हो सकती है इस तरह बीड़ी श्रमिक महिलाओं की सहकारी संस्थाएं बनाई जायें और उन्हें तेंदू पत्ता, तम्बाकू आदि कच्चा माल सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि ये बीड़ी श्रमिक महिलाएं मजदूर से मालिक बनने का गौरव प्राप्त कर सकें। इसी तरह अगरबत्ती बनाने वाली महिला श्रमिकों तथा हस्त-कला के शिल्पियों की भी सहकारी समितियां बनाई जा सकती हैं।

ग्रामीण महिला श्रमिकों को संगठित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके लिए गांव, पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर श्रमिक महिला जागरण शिविर निरन्तर लगाए जाएं। इन शिविरों में श्रमिक महिलाओं को संगठन का महत्व बताकर उनमें संगठित होने की भावना विकसित की जाए। जागरूकता शिविरों में जनसंख्या शिक्षा, साक्षरता का महत्व, स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता, अच्छे स्वास्थ्य की मूलभूत बातें, अंधविश्वासों से हानियां आदि अनेक विषयों पर उन्हें जानकारी देने की आवश्यकता है, ताकि वे अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकें। ग्रामीण महिला श्रमिकों को, महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों की जानकारी भी दी जानी चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के लिए इन कानूनों का समुचित सहारा ले सकें। ग्रामीण श्रमिक महिलाओं के लिए भी मातृत्व लाभ का प्रावधान लागू किया जाना चाहिए। स्वयंसेवी संगठन इसमें सहायक हो सकते हैं।

बी, 4/56-बी, हनुमान घाट,
वाराणसी-221011

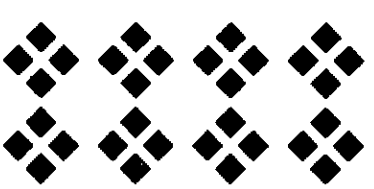

साक्षरता से फूटती हैं स्वाधीनता की किरणें

✍ सुजाता

"शिक्षा आदमी की आजादी के लिए किया गया सांस्कृतिक कर्म है"

ब्राजील के महान शिक्षाविद् पाउले फ्रेरे ने शिक्षा के उपर्युक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन तब किया जब उन्होंने इस सच को अच्छी तरह समझ लिया कि किसी भी देश की गरीबी का मूल कारण सत्ता और तंत्र का दुरुपयोग है और अशिक्षा इन सब की जड़ है। उनका दर्शन है कि शिक्षित नागरिक कभी निष्क्रिय नहीं हो सकते, बल्कि सीखने और रचने के सुख से वे नया हौसला पा जाते हैं। फिर जिस देश के नागरिकों के हौसले बुलन्द हों, उसकी स्वाधीनता पर कोई आंच नहीं आ सकती। इस प्रकार साक्षरता शिक्षा की पहली सीढ़ी होने के नाते, स्वाधीनता की मूल कुंजी है।

संस्कृत के किसी रचनाकार ने साक्षरता व शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है—"जनाणां शिक्षा प्रभावेण राष्ट्र शक्ति वर्धते"। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साक्षरता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था – "करोड़ों लोगों का निरक्षर रहना राष्ट्र के माथे पर कलंक है तथा देश की स्वाधीनता के लिए खतरा। हमें इससे मुक्ति पानी ही होगी"। सचमुच देश का अपेक्षित विकास तभी संभव है जब देश के सभी नागरिक सच्चरित्र, कर्त्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत हों और इन सभी सद्गुणों का समागम तभी संभव है जब वे शिक्षित और सुसंस्कृत होंगे।

इन सभी महान विचारकों के कथन और विचार के सार अन्ततः साक्षरता से स्वाधीनता के भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। वस्तुतः स्वाधीनता की पहली किरण साक्षरता से फूटती है और क्रमशः शिक्षा तथा ज्ञान की महान परम्परा से सम्पुष्ट एवं दीर्घायु होती रहती है।

साक्षरता मात्र अक्षरज्ञान नहीं : साक्षरता केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि यह भाषा की व्यंजना भी है। यह शिक्षा की पहली सीढ़ी है जो व्यक्ति की जड़ता को तोड़ती है तथा ज्ञान की भूख बढ़ाती है। इस प्रकार साक्षरता से शिक्षा, ज्ञान और चेतना का दरवाजा खुलता है। शोषण, बन्धन और गुलामी से मुक्ति का प्रवेश द्वार शिक्षा ही है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विस्तृत आयाम देती है तथा अपनी, समाज और राष्ट्र की गरिमा की रक्षा करना सिखाती है। जहां निरक्षरता है वहां सम्मति नहीं और जहां सम्मति नहीं वहां कलह होगी। कलह से राष्ट्र कमजोर होता है और कमजोर राष्ट्र की स्वाधीनता खतरे में पड़ जाती है। इसी निरक्षरता की जड़ता ने हमारे देश को औपनिवेशिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया था। हमारे निरक्षर देशवासी अंग्रेजों के अत्याचार को ईश्वर का प्रकोप मानकर सह लेते थे। दमन के विरुद्ध हमारे विज्ञ विचारकों, महात्माओं और मौलवियों ने लोगों में जन-चेतना का संचार किया। हमारे क्रांतिकारी शहीद नेताओं ने स्वाधीनता के लिए आवाज उठायी और सड़कों पर निकल पड़े। महान क्रान्तिकारी तिलक ने नारा दिया –"स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम इसे लेकर रहेंगे"। लोगों में जब जन-चेतना जागृत हुई तो गुलामी की बेड़ियां टूट गईं। आज हम स्वाधीन हैं, किन्तु हमारी आधी आबादी निरक्षरता की गुलामी करने को अभिशप्त है।

स्वाधीनता क्यों और कैसे?– बोल लेने की आजादी, कहीं भी बस जाने की आजादी और कोई भी व्यवसाय कर लेने की आजादी मात्र का नाम स्वाधीनता नहीं है। स्वाधीनता तो आम जनता की उच्चस्तरीय चेतना, चारित्रिक उत्कृष्टता का अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होने की ताकत का नाम है। भारत के स्वतंत्र विचारक आनन्द शंकर माधवन ने लिखा है : "अगर स्वाधीनता को बरकरार रखना है तो सभी माध्यमों से, चारों दिशाओं से, हमें सावधान रहना होगा क्योंकि स्वाधीनता जनसाधारण की उच्चस्तरीय चेतना और खुला मिजाज मात्र है, एक श्रेष्ठतम चरित्र और समझदारी मात्र है, आचारविचार और सोचने-समझने की पद्धति मात्र है। जनसाधारण शिक्षित और प्रबुद्ध नहीं होगा तो धूर्त लोग शासन और शोषण करेंगे जबकि जनसाधारण मूक पशु जैसा ताकता रह जाएगा। इसलिए जन साधारण की चेतना को सदा प्रबुद्ध रखने की सर्वाधिक जिम्मेदारी चिंतकों, रचनाकारों और विशेष रूप से शिक्षाविदों की है"।

साक्षरता से स्वाधीनता

स्वाधीनता की किरणें साक्षरता से फूटती हैं, शिक्षा और ज्ञान से संपोषित होती हैं तथा उच्चस्तरीय नागरिक चेतना से जीवित रहती है। साक्षरता से मनुष्य को प्रेरणा मिलती है, शिक्षा एवं ज्ञान की पिपासा बढ़ती है इससे मानव जीवन में समस्त शक्तियों का स्वाभाविक और संतुलित विकास होता है। शिक्षा ने ही मनुष्य को सुसंस्कृत तथा सभ्य बनाया है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर बनाती है, जिससे व्यक्ति का समन्वित विकास होता है। राष्ट्रीय एकता पनपती है, स्वाधीनता बलवती होती है, वैज्ञानिक तरीकों के उद्‌भव की संभावना बढ़ती है, समझ और चिन्तन में स्वतंत्रता आती है। इसी के आधार पर अनुसंधान और चहुंमुखी विकास को संबल मिलता है जो राष्ट्र की आत्म-निर्भरता और स्वाधीनता की बुनियाद है।

वर्तमान भारत में साक्षरता की आवश्यकता

स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के योजनाकारों ने शिक्षा की प्राथमिकता को संवैधानिक कलेवर में स्थान दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी। इसी प्रकार अनुच्छेद-30, 15(3) और 46 में अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक उत्थान के विशेष प्रावधान किये गये हैं। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को संविधान लागू होने के बाद अगले 10 वर्षों में प्राप्त करना था। दुर्भाग्य यह है कि आज 47 वर्षों के बाद भी विश्व के सर्वाधिक निरक्षर लोग सिर्फ भारत में हैं। सघन साक्षरता के कई अभियानों के परिणाम भी उत्साहवर्द्धक नहीं हुए। 1951-52 में 19.3 प्रतिशत लोग साक्षर थे, जो बढ़कर 1970-71, 1980-81 एवं 1991 में क्रमशः 29.48, 36.23 एवं 52.11 प्रतिशत तक हो गए हैं। स्पष्ट है कि अभी भी हमारे 42 करोड़ भाई-बहन निरक्षरता के अन्धकार में डुबे हुए हैं।

निरक्षर नागरिक लोकतंत्र की बुनियाद में घुन के समान हैं। इन्हें न तो अपने अधिकारों की जानकारी है और न अपनी रक्षा की ललक। ये अनेक प्रकार की सामाजिक-आर्थिक कुरीतियों के शिकार हैं। शोषण को अपनी किस्मत और भगवान की कृपा समझते हैं। बदहवास जीवन जीना तथा धूर्तों की गुलामी करना इनकी नियति बनी हुई है। भारत में निरक्षरता को नष्ट करने के लिए सघन और निरन्तर साक्षरता अभियान की अभी भी महत्ती आवश्यकता है।

साक्षरता की भूमिका राष्ट्रीय संदर्भ में

भारत में साक्षरता अभियान राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्वीकृत और संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मात्र अक्षर ज्ञान कराने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि प्रौढ़ प्रतिभागियों में व्यवसायिक कौशल बढ़ाना, ज्ञान-विज्ञान एवं नई तकनीक की जानकारी देना तथा सबसे बढ़कर उच्च नागरिक चेतना, सच्चरित्रता और राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करना भी है। साक्षरता अभियान में विविधता के लाभ हमें राष्ट्रीय जीवन-धारा के अनेक क्षेत्रों में सुधार के रूप में प्राप्त हो रहे हैं।

महिलाओं और बेटियों के साथ भेदभाव, भ्रूण-हत्या, दहेज-हत्या और हर प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता का विकास महिलाओं में साक्षरता प्रसार द्वारा हुआ है। साक्षरता के कारण महिलाओं में शिक्षा तथा सामान्य समझदारी के प्रति जागृति आयी है। आज हमारी बेटियां बड़ी संख्या में स्कूल जा रही हैं। ज्ञान-विज्ञान एवं विकास के अन्य क्षेत्रों में भी वे किसी से पीछे नहीं हैं। अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। रोजगार और स्व-रोजगार के क्षेत्र में नये-नये कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इनमें आत्म-विश्वास जाग रहा है और तेजी से विस्तार पा रहा है। वह समझने लगी है कि देश की जनशक्ति का आधा हिस्सा महिलाएं हैं। राजनैतिक जागरूकता आने से सत्ता और शासन में उन्हें भागीदारी मिल रही है। इस प्रकार हमारी आधी आबादी, जो सदियों से शोषित, वंचित और घर-बाहर सर्वत्र उपेक्षित होती रहती थी, खेतों से लेकर कल-कारखानों, बागानों, खेल के मैदानों और रंगभूमि तथा कर्मभूमि के प्रत्येक क्षेत्र में असीम उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। साक्षरता अभियान से निपट देहाती क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाएं, हरिजन, गिरिजन, अनाथ और बुर्कापरस्त नारियां अपनी चहारदिवारी तोड़कर शिक्षा की रोशनी से अपना और अपने बच्चों के जीवन को रोशन करने हेतु उठ खड़ी हुई हैं। वे अनेक दकियानूसी मान्यताओं को धत्ता बताकर जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय पर्व में प्रत्यक्ष योगदान कर रही हैं। ये महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य चेतना की विविध जानकारियों को अमल में ला रही हैं तथा स्वस्थ और समुन्नत बच्चे देकर अन्ततः राष्ट्रीयता की जड़ को मजबूत करने के प्रति जागृत हो रही हैं।

ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं लागू होने के बावजूद गांव के निरक्षर लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अपने अधिकारों और विकास के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तरह-तरह की सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के दलदल

में फंसे हुए हैं। ऐसे निरक्षर और चेतनाहीन नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से तो पिछड़े हैं ही, इनमें राष्ट्रीय भावना और राजनैतिक चेतना का नामो-निशान तक नहीं है। ये लोग भाग्यवादी होते हैं तथा स्वाधीनता और पराधीनता के बुनियादी अन्तर को भी नहीं समझ पाते हैं। साक्षरता अभियान चलाकर इन लोगों में जागृति भरने के प्रयास हो रहे हैं। इन्हें पढ़ाने-लिखाने के साथ विकास योजना, कृषि में क्रान्ति, स्वास्थ्य संरक्षण एवं रोजगार के अभिनव तरीकों की जानकारी दी जा रही है। ये अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं तथा इनमें राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सहिष्णुता बढ़ रही है।

साक्षरता अभियान द्वारा गांव-गांव में यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि अशिक्षा और गरीबी साथ-साथ चलती है तथा गरीबी, लाचारी, बीमारी और बेकारी उनकी किस्मत और ईश्वर का प्रकोप नहीं है। अगर वे शिक्षित हो जाएं तो उन्हें इन बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। ग्रामीण स्तर पर छोटे एवं घरेलू उद्योग-धंधों से वे अपनी दशा और दिशा बदल सकते हैं। आज बड़े पैमाने पर लोग वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से जुड़कर अनेक लाभ उठा रहे हैं तथा अपना और अपने बच्चों के जीवन में राष्ट्रीय भावना, शिक्षा और विकास के रंग भरने में सफल हो रहे हैं।

साक्षरता के माध्यम से जन-साधारण में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति चेतना जागृत की जाती है। उन्हें छोटे परिवार के लाभों की जानकारी दी जाती है। परिवार नियोजन के तौर-तरीके बतलाये जाते हैं तथा बन्ध्याकरण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिशा में भी कुछ सफलता मिली है। बीते दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर घटी है। शिशु मृत्यु दर भी कम हुई है। लोग परिवार-नियोजन के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रित होने से विकास की गति तेज होगी। सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। लोगों का जीवन-स्तर एवं सोच ऊंचा होगा। इस प्रकार राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता सबल होगी।

निष्कर्ष : साक्षरता, शिक्षा की पहली सीढ़ी और ज्ञान की महान परम्परा का पहला अध्याय है। यह नागरिक-चेतना जागृत करती है तथा स्वाधीनता को बल देती है। स्वाधीनता, मानव का प्राकृतिक अधिकार है। इसका अस्तित्व नागरिक के चरित्र, चेतना और प्रबुद्धता से जुड़ा हुआ है। यह लोकतंत्र का प्राण-तत्व है। इसे जीवित रखने के लिए प्रत्येक नागरिक का शारीरिक, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास जरूरी है। लोगों में व्यवसायिक कुशलता, देश भक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, भावात्मक सद्भाव तथा अनुशासन के भाव भरने का काम प्राथमिक स्तर पर साक्षरता के माध्यम से किया जाता है। साक्षरता व्यक्ति के दृष्टिकोण को विस्तृत आयाम देती है और उसमें शिक्षा और ज्ञान की ललक पैदा करती है। संपूर्ण साक्षरता आज राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वस्थ, निर्भीक स्वावलम्बी एवं चरित्रवान जनमत तैयार कर स्वाधीनता की जड़ मजबूत करने में देश को आज सम्बल की आवश्यकता है। आइए! हम सब मिलकर हाथ बटायें और घर-घर में साक्षरता का दीप जलायें।

अहले वतन!
"जंगे तालीम का एलान हो चुका,
साकी! दामन छोड़, मैं स्वाधीन हो चुका।"

दुर्गा सीमेंट के सामने
सरिस्ताबाद रोड,
न्यू यारपुर,
पटना-800001

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता :

व्यापार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
पटियाला हाऊस
नई दिल्ली-110001

एक प्रति : पांच रुपये **वार्षिक चंदा : 50 रुपये**

कहीं तनहा न हो जाये हर इंसान

✍एम. मनमोहन हर्ष ''नवीन''

आज का भारतीय समाज अपनी प्राचीन गौरवमयी परम्पराओं को लगभग भुला चुका है। समाज में विभिन्न धर्मों व सम्प्रदायों के व्यक्तियों, परिवारों व यहां तक कि किसी परिवार में भी पारिवारिक सदस्यों के बीच गहरी दरारें पड़ गई हैं, ये दरारें दिन-प्रतिदिन किसी विशाल खाई का रूप ले रही हैं। जब हम अपनी प्राचीन महान परम्पराओं व मर्यादाओं का स्मरण करते हैं तो आज का यह माहौल देखकर मन में एक टीस-सी उठती है।

परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है और एक समय में यह लघु इकाई भी हमारे समाज के लिए गर्व का विषय थी। संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज का आदर्श थी, लेकिन संयुक्त परिवारों की ये प्रथा भारतीय समाज से आज लुप्तप्रायः हो गई है। आजकल परिवार का मतलब सिर्फ मियां बीवी और बच्चों तक ही सीमित रह गया है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो विवाहोपरान्त अपने माता-पिता से अलग होकर अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं। इस तरह परिवारों के टूटने की यह परम्परा अनवरत चलती रहती है। परिवारों के टूटने की यह प्रक्रिया नित नये रूप लेती रहती है और आजकल तो पति-पत्नी जैसा पवित्र रिश्ता भी विवाह के कुछ अरसे बाद प्रायः खंडित होता रहता है। अर्थात अब केवल मां-बाप से जुदा होकर अलग घर बसा लेने तक परिवार के टूटने का सिलसिला खत्म नहीं होता है बल्कि यह निरंतर नित नयी करवट लेकर पति-पत्नी तक को जुदा करने तक जा पहुंचा है।

परिवारों के विखंडन को अगर वैज्ञानिक भाषा में कहने की कोशिश करें तो इस विखण्डन की प्रक्रिया की तुलना कुछ हद तक नाभिकीय विखंडन से की जा सकती है। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया में किसी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रोनों की बौछार की जाती है। ये न्यूट्रोन उस परमाणु को कई परमाणुओं में विभक्त कर देते हैं फिर उन परमाणुओं के नाभिक पर न्यूट्रोनों का प्रहार किया जाता है और फिर कई सारे परमाणु बनते हैं और ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। नाभिकीय विखंडन की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हमें कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करना पड़ता है।

इस वैज्ञानिक युक्ति को भारतीय समाज के परिवारों के टूटने की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास करें तो कुछ हद तक दोनों में साम्यता नजर आती है। हमारे समाज में भी इस तरह के कुछ तत्व हैं जो परिवारों के आपसी सौहार्द व प्रेम की धुरी पर हमला करके उन्हें तोड़ते जा रहे हैं। समाज में ऐसे तत्व क्या हो सकते हैं या कौन-कौन से हैं जो हमारे सामाजिक और पारिवारिक सद्भाव को तोड़ते जा रहे हैं। आइये उन पर थोड़ा विचार करें।

व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मन में घर कर गई हैं। अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने पर उतारू हो जाता है। वह यह नहीं सोचता है कि उसका कोई भी कृत्य दूसरे के जीवन में कितना बाधक है और दूसरों के लिए कितनी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। अपने स्वार्थ को साम, दाम, दंड, भेद हर रीति से साधने के प्रयास में वह अंधा हो जाता है और ऐसे में उसे यह नजर नहीं आता है कि वह अपनों का ही अहित कर रहा है। समाज का व्यक्ति केवल मात्र स्वयं को ही एक सम्पूर्ण इकाई मानकर चलने का आदी बन रहा है और ऐसे में सामाजिक व पारिवारिक मान-मर्यादायें छिन्न-भिन्न हो रही हैं।

थोथी शान बटोरने की लालसा भी समाज में अनेक व्यक्तियों में प्रायः पायी जाती है। अपने आस-पास के परिवेश में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में वे व्यक्ति सामाजिक परम्पराओं की निरंतर उपेक्षा करते हैं। एक दूसरे की प्रगति पर ईर्ष्या की आग में जलने-भुनने लगते हैं।

पारिवारिक रिश्ते भी औपचारिकता के दायरे में आने लगे हैं। पारिवारिक सदस्यों का अहम्, उनके स्वार्थ व उनकी इच्छाएं परस्पर टकराती हैं और प्रत्येक सदस्य सबसे पहले घर के अन्य लोगों को उपेक्षित कर अपनी जरूरतों को पूर्ण करना चाहता है, ऐसे में लड़ाई-झगड़े व तकरार का सिलसिला आरम्भ हो जाता है। प्राचीन समाज की त्याग व बलिदान की परम्परा आज परिवारों से विलुप्त सी हो रही है और ऐसे में हमारा समाज विनाश की ओर निरंतर अग्रसर होता जा रहा है। समाज को छिन्न-भिन्न करने के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे विषाणु सामाजिक परिवेश में मौजूद हैं।

समाज में विभिन्न धर्मों सम्प्रदायों के विखंडन के अपने क्रूर प्रयासों में ये काफी हद तक सफल हो रहे हैं। समाज की लघुतम इकाई परिवार में भी इनका प्रवेश हो चुका है। समय रहते इन पर नियंत्रण के लिए प्रयास नहीं किए गए तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये विषाणु प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग कर देंगे। किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होगा। परिवार के एक सदस्य का दूसरे से कोई संबंध नहीं रहेगा। कितनी भयावह लगती है ऐसी परिकल्पना!

खुदा न करे अगर सचमुच इस तरह से विखंडन की प्रक्रिया चलती रही तो फिर इस धरती से इंसान का नामोंनिशान मिट जायेगा क्योंकि यह सार्वभौमिक सत्य है कि समाज के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है। इंसान अगर तनहा हो गया तो घुट-घुटकर वह स्वतः ही खत्म हो जाएगा।

मणिकंडेश्वर महादेव के पास,
योगागेट के बाहर, बीकानेर,
(राज.) - 334001

लघु कथा

निरक्षरता का फल

धनंजय सहाय

लजपतिया बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। बीमार हुए उसे पूरे आठ दिन हो गये थे। न दवा-दारू की व्यवस्था और न ही खाने-पीने की। आखिर इन चीजों की व्यवस्था करता भी तो कौन? बिहारी को मरे तो महीनों होने को थे। इस दौरान उसने भट्टे पर मजदूरी करके किसी तरह अपना और बेटी राधा का पेट पाला था पर उसके बीमार पड़ने से यह जरिया भी खत्म हो गया था। बड़ी होती बेटी को वह ऐसे-वैसे कार्यों में लगाना भी नहीं चाहती थी। बिहारी ने जब राधा का नाम शहर में लिखाने के लिये कहा तो वह उससे झगड़ पड़ी थी। बीमार लजपतिया ने चारपाई के कोने पर सर रखकर सोयी अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह अतीत में गोते खाने लगी।

बिहारी का खुशहाल परिवार था। परिवार में पत्नी लजपतिया, बेटी राधा और स्वयं बिहारी। तीन सदस्यों का यह छोटा सा परिवार थोड़ी सी जमीन, पर खेती करके हंसी खुशी अपना गुजारा कर रहा था। बिहारी स्वयं पढ़ा लिखा तो न था पर उसकी दिली इच्छा थी कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाये। उसने गांव के मिडिल स्कूल में राधा का नाम लिखवा दिया। मिडिल पास करने के बाद राधा को जब शहर भेजने की बात हुई तो बिहारी और लजपतिया में ठन गयी। लजपतिया अपनी गरीबी के कारण राधा को शहर भेजने के पक्ष में न थी। बिहारी की इस दलील को कि बेटी के पढ़ाई का खर्च वह अतिरिक्त समय में भट्टे पर काम करके जुटा लेगा, लजपतिया ने यह कहकर ठुकरा दिया कि वह बड़ी होती बेटी को अकेले शहर में नहीं रहने देगी।

बेटी की पढ़ाई को लेकर लजपतिया और बिहारी में आये दिन तकरार होती रही। अंततः विजय लजपतिया की ही हुई और राधा शहर पढ़ने न जा सकी।

भला वह दिन लजपतिया कैसे भूल सकती है जब बिहारी शहर सामान खरीदने जा रहा था तो राधा की पढ़ाई को लेकर जाते जवाते लजपतिया उससे लड़ पड़ी थी। बिहारी उस दिन गया तो फिर आज तक वापस लौटकर न आ सका और न ही कभी आयेगा क्योंकि सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गयी थी।

बिहारी के मरने के बाद पट्टेदारों की निगाह उसकी जमीन पर थी। मीठी-मीठी बातों में फंसाकर उन्होंने लजपतिया की जमीन अपने नाम करा ली थी। निरक्षर लजपतिया ने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया था।

जब से इस बात की जानकारी लजपतिया को हुई तब से उसकी तबियत बिगड़ती ही जा रही थी। वह मन ही मन स्वयं को कोस रही थी कि अगर उसने राधा के पढ़ाई में बाधा न डाली होती तो शायद यह दिन न देखना पड़ा होता।

द्वारा माइसिल फार्मास्युटिकल्स,
एस 17/331 पी, विजय नगर,
मलदहिया, वाराणसी

डवाकारा

ग्रामीण महिलाओं के विकास का सच्चा सहयोगी

अखिलेश रंजन

उत्तर वैदिक काल के बाद से महिलाएं भारतीय समाज में उपेक्षित रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं के विकास के लिए निरन्तर प्रयासों के बावजूद अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका है। कमोबेश शहरी और ग्रामीण महिलाओं की स्थिति एक-सी थी। परन्तु आज शहरों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अभी पुरुषों से काफी पीछे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए सरकार ने अलग कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के एक उप कार्यक्रम के रूप में सितम्बर 1982 से ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा) प्रारम्भ किया। यह कार्यक्रम गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के लिए है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-20 महिलाओं के समूह (वर्तमान में 10-15) को रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाएं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सुविधाजनक शर्तों पर ऋण प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही ऋण का एक खास प्रतिशत (सब्सिडी) अनुदान के रूप में सरकार माफ कर देती है। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम के समूहों की सदस्य आसानी से बन सकती हैं। इस कार्यक्रम को पहले-पहल 50 जिलों में प्रायोगिक रूप में प्रारंभ किया गया था। सितम्बर 1982 से चरणबद्ध ढंग से इसका विस्तार करके इसे 30 नवम्बर 1992 को देशभर के 286 जिलों में कार्यान्वित किया गया था। 1993-94 में यह 355 जिलों में चलाया जा रहा था और 1994-95 में इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। इसमें शामिल करने के लिए उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कि महिला सदस्याएं कम पढ़ी लिखी होती हैं या जहां शिशु मृत्यु दर औसत से अधिक है। इसका मुख्य प्रयोजन सबसे कमजोर या पिछड़े वर्गों के परिवारों को लाभ पहुंचाना है।

महिलाओं के गठित समूह को सहायता प्रदान करने के लिए बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्रों में प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन की व्यवस्था की जाती है। इन सामुदायिक केन्द्रों में महिलाओं की आय बढ़ाने की गतिविधियां चलाने, बच्चों के लिए बालवाड़ी तथा ग्राम सेविका के लिए रिहायशी आवास की व्यवस्था करने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाती है। सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण की लागत को जवाहर रोजगार योजना के तहत आवंटित निधियों से वहन किया जा सकता है। इसके परामर्शदाता जिलाधीश और उप-विकास आयुक्त होते हैं। इसके गठन के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में ग्रामीण स्तर पर प्रयास किये जाते हैं। मुखिया और ग्राम सेविका के निर्देशन में यह कार्यक्रम सुचारु रूप से चलाया जाता है। यदि सामग्री के क्रय या खर्च पर अतिरिक्त लागत आती है तो उसे ग्रामीण विकास एजेंसी की ब्याज से मिलने वाली आमदनी द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्रत्येक केन्द्र को चलाने के लिए यूनिसेफ द्वारा 50,000 रुपये तक के मूल्यों के अपेक्षित उपकरण मुहैया कराए जाते हैं।

कार्यक्रम के सही कार्यान्वयन के लिए गांव, जिला और राज्य स्तर पर तीन स्तरीय कर्मचारी पद्धति है।

1. ग्राम स्तर पर ग्रुपों के रोजमर्रा के कार्यों में मदद करने के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम सेविका होती है।
2. वह खण्ड विकास अधिकारी के दिशा निर्देशन में कार्य करती है। साथ ही ग्राम सेविका पंचायत से भी समन्वय स्थापित करती है।
3. जिला स्तर पर सहायक परियोजना अधिकारी (महिला विकास) कार्यक्रम की निगरानी करता है। वह जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के परियोजना निदेशक की देखरेख में काम करता है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

1. ग्रामीण क्षेत्र में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम के तहत महिलाओं के योग्य कोई भी कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।
2. कार्यक्रम के लिए चयनित महिलाओं को 10-15 के समूह

में संगठित किया जाता है। किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से पहले महिलाओं को उस कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

3. प्रत्येक समूह को कच्चे माल, विपणन तथा शिशु की देखभाल आदि के लिए आधारभूत सुविधाओं के रूप में एक बार में 15,000 रुपये दिए जाते हैं। आवर्ती कोष में यह राशि भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ द्वारा बराबर के अनुपात में दी जाती है। जो ग्रुप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए आवर्ती निधियों को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ होने पर समय के साथ उसमें परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। इस कार्यक्रम में भी नीति निर्माताओं ने कुछ आवश्यक सुधार कर इसे और व्यापक व लाभप्रद बनाने की कोशिश की है।

कार्यक्रम में नए सुधार

- अब एक विकास खंड में 50 समूह बनाए जा सकते हैं, जबकि पहले 30 समूह निर्धारित थे। इसके एक समूह में 10-15 महिलाएं हो सकती हैं।
- महिला लाभार्थियों के लिए नीति का विस्तार 1 जनवरी 1990 से सभी जिलों में कर दिया गया है।
- समूह कोष का प्रयोग सरल कर दिया गया है।
- ऋण उपलब्धि में सुविधा के लिए बैंकों द्वारा इस्तेमाल हेतु आदर्श दस्तावेजों का सैट तैयार किया गया है जिसे और सरल बनाया जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम समूह के कार्यकलाप के एक अंग के रूप में बचत तथा उधार की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।
- ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के तहत उपार्जन के कार्यकलाप को सफल बनाने के लिए सेवाओं तथा अन्य निवेशों को जुटाने के लिए जिला तथा राज्य स्तर पर समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं।
- ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए जवाहर रोजगार योजना की सहायता ली जा सकती है।

इस कार्यक्रम के तेरह वर्षों बाद आज भी पहले की स्थिति में सुधार नाम मात्र का ही हुआ है। इसकी आंशिक सफलता के लिए निम्नलिखित स्थितियां उत्तरदायी हैं :

1. पर्दा प्रथा में महिलाओं का सिमटा होना। जब तक महिलाएं इससे बाहर आकर अपनी नियति को बदलने के लिए स्वयं कृत संकल्प नहीं होतीं तो उन्हें इससे मुक्ति दिलाना संभव नहीं हो पाएगा।

2. पदाधिकारियों का आलस्य एवं अवमनस्कता भी कार्यक्रम को सही रूप में कार्यान्वित करने से रोकती है। इसके लिए सरकार को लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए तथा महिलाओं को अपने हितों के प्रति जागरूक होकर अपने कार्यों को करने के लिए पदाधिकारियों को बाध्य करना चाहिए। इसमें उन्हें अपने जनप्रतिनिधि से भी आवश्यकतानुसार मदद लेनी चाहिए।

3. ग्राम सेविका का कार्यक्रम में कम दिलचस्पी लेना। यदि शिक्षित तथा उत्सुक महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वे खण्ड और जिला स्तर पर शिकायत कर ग्राम-सेविका को पूर्ण सहयोग के लिए बाध्य कर सकती हैं। इस स्तर पर मुखिया भी प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है।

उपरोक्त कठिनाइयों के बावजूद यह कार्यक्रम महिलाओं के विकास के लिए एक उत्तम प्रयास है, जिसमें कार्यक्रम सम्बन्धी तकनीकी गड़बड़ी लगभग न के बराबर है तथा सुधार हेतु प्रयास जारी हैं। इसमें संशय नहीं कि एक न एक दिन महिलाएं जागरूक होकर, आज के स्थापित लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगी। जब महिलाएं भी पुरुषों की भांति धनोपार्जन करेंगी, तभी भारत का सही आर्थिक विकास होगा और राष्ट्र तथा ग्राम खुशहाल होंगे।

90, भाई परमानन्द कालोनी,
दिल्ली - 110009

बढ़ती जनसंख्या एवं खाद्य समस्या

डा० गणेश कुमार पाठक

खाद्य समस्या एक जटिल और बहुपक्षीय समस्या है, जिस पर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पक्ष प्रभाव डालते हैं। यह बात अपने आप में सही है कि किसी देश में उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न की मात्रा बहुत हद तक मौसम तथा जलवायु की परिस्थितियों पर निर्भर होती है। सम्भवतः इसीलिए कहा गया है कि "कृषि एक जुआ है।" विकासशील देशों में प्रायः सूखा, बाढ़ और महामारी के कारण अकाल पड़ते हैं। जिन देशों के कृषि और औद्योगिक क्षेत्र विकसित हैं, वहां भी खाद्य सन्तुलन पर फसलों में होने वाले उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। किन्तु वास्तव में देखा जाए तो खाद्य समस्या का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है।

वास्तव में खाद्य समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या और कृषि के क्षेत्र में उत्पादक शक्तियों के विकास के बीच अन्तर बढ़ने से पैदा होती है। इस सन्दर्भ में ऐतिहासिक रूप से खाद्य समस्या का जन्म पूंजीवादी उत्पादन पद्धति से हुआ। 20वीं सदी के पांचवें दशक तक पूंजीवादी उत्पादन पद्धति की एक विशेषता यह रही है कि औद्योगिक विकास और नगरीय प्रगति के कारण कृषि का क्षेत्र पिछड़ता रहा। कृषि को मध्ययुगीन और पैतृक व्यवसाय से बाहर निकालने तथा इसे व्यावहारिक कार्यक्षेत्र की तरफ आकृष्ट करने के पश्चात् पूंजीवाद ने कृषि विकास की गति को तीव्र करने का प्रयास किया।

खाद्य समस्या के मामले में विकासशील देशों पर दो परस्पर विरोधी प्रभाव काम करते रहे हैं। एक ओर, अधिकांश देशों में जिनमें कृषि सुधार लागू किए गए थे वहां कृषि, अर्थव्यवस्था का सबसे पिछड़ा क्षेत्र रहा है, यह आंशिक रूप से सामंती और आंशिक रूप से पूंजीवादी सम्बन्धों के बीच पिसता रहा है और यह बाजारोन्मुख उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि नहीं कर पाया। इसके अलावा मुख्यतः चिकित्सा और स्वास्थ्य की रोकथाम के क्षेत्र में प्रगति होने के कारण मृत्यु दर घटने से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। फलतः जनसंख्या विस्फोट ने खाद्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि खाद्य समस्या को भी उत्पन्न कर दिया है।

खाद्य समस्या के कारण

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो खाद्य समस्या के निम्नांकित कारण स्पष्टतया दृष्टिगोचर होते हैं :–

अतिशय जनसंख्या वृद्धि

भारत सहित विश्व के अन्य विकासशील एवं अविकसित देशों में खाद्य समस्या का सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या में अतिशय वृद्धि है। भारत में विगत 40 वर्षों में जनसंख्या में 233 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सन् 1941 में भारत की कुल जनसंख्या 31.9 करोड़ थी, जो 1951 में बढ़कर 36.1 करोड़ हो गई। इस दशक में यह वृद्धि दर 1.25 प्रतिशत वार्षिक रही। 1951 से 1961 तक की अवधि में 21.6 प्रतिशत (1.96 प्रतिशत वार्षिक), 1961 से 1971 की अवधि में 24.82 प्रतिशत (2.2 प्रतिशत वार्षिक), 1971 से 1981 की अवधि में 24.63 प्रतिशत (2.2 प्रतिशत वार्षिक) और 1981 से 1991 में 23.57 प्रतिशत (2.1 प्रतिशत वार्षिक) की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई। 1951 की तुलना में 1991 में भारत की जनसंख्या में 48.5 करोड़ की वृद्धि हुई। 1981 से 1991 के 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में 16.3 करोड़ की वृद्धि हुई है जो ब्राजील या जापान की जनसंख्या से अधिक है जबकि खाद्यान्न उत्पादन की गति इसकी तुलना में कम रही है। फलतः खाद्य समस्या पैदा हो गयी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने अपने एक सर्वेक्षण में बताया है कि वर्ष 1950 से 1975 की समयावधि में विश्व की आबादी में लगभग डेढ़ अरब की वृद्धि हुई है। यद्यपि उतने समय में खाद्य उत्पादन क्षेत्र 60 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 72 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर तक जा पहुंचा है, फिर भी जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन क्षेत्रों में कमी आई है और यह क्षेत्र 0.241 से घटकर 0.184 हेक्टेयर रह गया है।

"वर्ल्ड वाच" के अध्यक्ष लास्टर ब्राउन के अनुसार विश्व में प्रयोग की जा रही प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का क्षेत्र, सिंचाई का पानी तथा उर्वरकों की मात्रा कम होती जा रही है। इस दल की

1994 की रिपोर्ट 44 ऐसे मूल सूचकों का विश्लेषण तथा उनकी पहचान करती है जो हमारे पर्यावरण संबंधी, आर्थिक और सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी बदलाव पर नजर रखते हैं।" अनाज उत्पादन में प्रयुक्त भूमि के क्षेत्र में वृद्धि की दर 1981 में चोटी पर पहुंची थी और रिपोर्ट के अनुसार फिर इसमें गिरावट प्रारम्भ हो गयी। नतीजे के तौर पर प्रति व्यक्ति अनाज का क्षेत्र 1950 में 0.23 हेक्टेयर से घटकर 1993 में 0.13 हेक्टेयर रह गया है। यही नहीं जनसंख्या की वृद्धि के कारण 1984 तथा 1993 के बीच अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा में 12 प्रतिशत की कमी हुई है।

विस्कांसिन यूनिवर्सिटी के जीन यांत्रिकी विशेषज्ञ विलियम बिल का कहना है कि 20वीं शताब्दी के आखिर तक जनसंख्या की वृद्धि इसी गति से होती रही तो खाद्यान्नों की उत्पादन क्षमता में कृत्रिम उपाय उपचार भी काम नहीं आयेंगे।

विख्यात वैज्ञानिक प्रो० जान एम० सी० हेलर्के के अनुसार सन् 2000 तक विश्व की नगरीय आबादी इस कदर बढ़ जायेगी कि 6 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि तो नगर निर्माण में ही चली जायेगी, जिसमें 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि भी शामिल रहेगी। विश्व के अधिकांश नगर उपजाऊ भूमि पर ही बसे हुए हैं। इस भूमि की उत्पादन क्षमता इतनी है कि 2 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर भूमि 8 करोड़ 40 लाख लोगों की खाद्य आपूर्ति आसानी से कर सकती है।

"फ्यूचर डायमेन्शन्स आफ वर्ल्ड फूड एण्ड पोपुलेशन" नामक अपनी पुस्तक में रिचार्ड जी० वुड्स का कहना है कि विश्व की खाद्य स्थिति जिस तीव्र गति से बिगड़ती जा रही है यदि उसमें सुधार के लिए व्यापक परिवर्तन नहीं किए गए तो दो दशक पश्चात् प्रत्येक तीन में से एक व्यक्ति को भूखा ही सोना पड़ेगा। आज भी विश्व की कुल आबादी का 20 प्रतिशत भाग या तो भुखमरी का शिकार है या कुपोषण से पीड़ित है। रिचार्ड जी० वुड्स का यह भी कहना है कि गरीब देशों को लगातार खाद्यान्न सहायता देते रहने से वे प्रायः विकसित राष्ट्रों के आश्रित हो गए हैं जिसका विकसित देश समय-समय पर नाजायज फायदा उठाते रहते हैं।

प्रख्यात वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री लेस्टर आर० ब्राउन ने अपनी पुस्तक "इन ह्यूमेन इन्टरेस्ट" में लिखा है कि वर्तमान शताब्दी के अन्तिम 25 वर्षों में जनसंख्या असामान्य दर से बढ़ी है। इसका जीवन के सामाजिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस अवधि में विश्व के प्रायः सभी भूभागों में खाद्यान्नों की मांग घटने के बजाय दिनदूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। इस मांग के कारण ही विश्व के सुरक्षित खाद्य भण्डार खाली होते जा रहे हैं। फलतः खाद्यान्नों के भाव आसमान छूने लगे हैं। जिससे विश्व के प्रायः सभी भागों में लोग पोषक आहार से वंचित हो रहे हैं। किन्तु जिन राष्ट्रों ने अपनी जन्म दर कम कर ली है वे प्रगति के क्षेत्र में कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं।

प्रसिद्ध चिन्तक एच० मेन्डोस डोनेला ने खाद्य समस्या और बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में गहन शोध तथा अध्ययन के पश्चात् अपनी पुस्तक "द लिमिट्स टू ग्रोथ" में यह बताया है कि जनसंख्या की तुलना में उत्पादों में निरन्तर कमी से अक्षमता बढ़ती जा रही है जिसका प्रभाव समाज के सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पड़ता है। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो तो मानव समुदाय की स्थिति मेसोजोइक काल के डायनोसोर सरीसृपों जैसी हो जायेगी। इसे अधिक स्पष्ट करते हुए डोनेला ने लिखा है कि उस काल में भारी भरकम भीमकाय शरीर वाले प्राणियों का उसी प्रकार वर्चस्व था जिस प्रकार आज मनुष्य का है। जल, थल और नभ में फैले सरीसृपों की विभिन्न प्रजातियां इसी कारण विलुप्त हो गयीं क्योंकि टनों आहार करने वाले इन प्राणियों के लिए धरती आहार की आपूर्ति न कर सकी।

खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार 20वीं सदी के 1970 के आस-पास विकासशील देशों में भूखे लोगों की संख्या लगभग 36 करोड़ थी। 1975 तक बढ़कर यह 41.5 करोड़ और 1980 तक बढ़कर 59 करोड़ हो गई। 1990 के बाद यह संख्या 80 करोड़ से भी अधिक हो गयी है और अब लगभग एक अरब लोग भुखमरी के शिकार हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि परिस्थितियां इसी तरह रहीं तो इक्कीसवीं सदी में मनुष्यों की काफी बड़ी आबादी को भूखों मरना पड़ेगा।

खाद्य समस्या को उत्पन्न करने वाले अन्य कारणों में बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं फसलों की क्षति, उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन, खाद्यान्नों का अनुचित संग्रह, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कमी, जनसाधारण की निर्धनता, प्रभावी खाद्य नीति का अभाव, कृषि का पिछड़ापन, सिंचाई सुविधाओं का अभाव और व्यापारिक कृषि का विकास आदि मुख्य हैं।

खाद्य समस्या का समाधान

खाद्य समस्या के समाधान के लिए सबसे आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाय। यद्यपि हमारी सरकार इसके लिए

(शेष पृष्ठ 46 पर)

कुटीर उद्योग और आर्थिक विकास

संतोष कुमार वैद्य

भारत में कुटीर उद्योगों को हमेशा से अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह महत्व केवल औद्योगीकरण के कारण ही नहीं है बल्कि इनसे आर्थिक विकास की दर में वृद्धि तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।

हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इनमें से अधिकांश का प्रमुख धन्धा कृषि ही है। हमारे देश में कृषि की जो सामान्य स्थिति है उसके अनुसार कृषक श्रमिक के पास औसतन 200 दिन कार्य रहता है। इस प्रकार 165 दिन तक उसके पास कोई काम नहीं होता। कुटीर उद्योग से संबंधित विशेषज्ञों की राय है कि अगर इन क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का जाल फैला दिया जाए तो जो व्यक्ति सिर्फ कृषि पर ही निर्भर हैं उन्हें अतिरिक्त आय के साधन भी प्राप्त हो सकेंगे तथा छिपी प्रतिभा वाले बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने से समाज और देश को भी लाभ मिलेगा।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही भारत में कुटीर उद्योगों को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी है कि यहां कुटीर उद्योगों का विकास आवश्यक समझा जाता रहा है। महात्मा गांधी के शब्दों में "भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योग में निहित है।" योजना आयोग के अनुसार "लघु कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। "इसी प्रकार एक अन्य विशेषज्ञ के अनुसार ऐसे उद्योगों से देहात के लोगों को जो अधिकांश समय बेरोजगार ही रहते हैं, पूर्ण अथवा अंशकालिक रोजगार मिलता है।

कुटीर उद्योग के संदर्भ में सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि इन्हें देश के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह ग्रामीण हों, अर्द्ध ग्रामीण हों अथवा शहरी हों लगाना संभव है। सामान्यतः इसमें कम मात्रा, में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। लेकिन इससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो जाता है।

कुटीर उद्योग भारत की आर्थिक स्थिति और वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। इनके विकास से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। ग्रामीण तथा अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा के कारण वहां के लोगों को शहरी क्षेत्रों में अच्छी नौकरियां तो नहीं मिल पातीं लेकिन ये लोग कुटीर और लघु उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। अतः इन क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिये कृषि के अतिरिक्त इन उद्योगों से ही आय प्राप्त हो सकती है। इन उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप समझा जाता है। इनके विकास के द्वारा कृषि भूमि पर भार भी कम किया जा सकता है। कृषि पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए लघु उद्योगों में जो भारतीय हस्तकला की वस्तुएं बनायी जाती हैं, वे वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी अच्छी कीमतों पर बिकती हैं। कलात्मकता के कारण बड़े पैमाने पर इनका निर्यात किया जाता है। परिणामस्वरूप इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

कुटीर उद्योगों को विश्व के सभी देशों में महत्व दिया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों के आंकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें रोजगार का प्रतिशत अधिक है। जापान में 57 प्रतिशत और अमरीका में 49 प्रतिशत मजदूर कुटीर और लघु उद्योगों में लगे हैं। भारत में भी इन उद्योगों का अत्यधिक महत्व निम्न आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है।

कुटीर उद्योगों का योगदान कुल उत्पादन में 15 प्रतिशत, कुल औद्योगिक उत्पादन में 37.4 प्रतिशत, रोजगार में 23.1 प्रतिशत तथा देश के कुल निर्यात में 24.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार संसार के कितने ही अन्य देशों में कुटीर तथा लघु उद्योगों में वहां की समस्त जनसंख्या का एक भाग लगा है। विश्व के अल्प विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों में इन उद्योगों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार इनके लिए अनेक रियायतें व ऋण उपलब्ध कराती है। इससे वर्ष 1985-86 से 1992-93 की अवधि में कुटीर उद्योग के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई है। विशेष रूप से उत्पादित वस्तुओं और रोजगार सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। 1993-94 के बजट में इन उद्योगों के विकास के साथ-साथ बचत और पूंजी निवेश पर अधिक बल दिया गया। स्वाभाविक रूप से इससे कुटीर उद्योगों की स्थापना और विकास को बहुत बल मिला है।

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए कुटीर उद्योग का बहुत महत्व है। इसमें पूंजी कम लगती है किन्तु रोजगार की समस्या

बहुत हद तक दूर हो सकती है। इन उद्योगों के विकास से न केवल पूर्ण रोजगार की सुविधाएं बढ़ती हैं, साथ ही बेरोजगारी दूर करने और अर्द्ध बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिलती है। इनके विकास से आर्थिक विकास की दर में तेजी आती है और आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि होती है। इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना और विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के पूर्णतः अनुकूल है। भारत में वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुटीर उद्योग की स्थापना काफी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।

बैरिस्टर बंगला,
गांधी चौक,
विलासपुर-495001,
म. प्र.

(पृष्ठ 32 का शेष)

ग्रामीण महिलाओं...

बच्चों के जन्म के बाद लालन-पालन तक किन-क्रिन सावधानियों व परहेजों से गुजरें– इसका उन्हें विधिवत् प्रशिक्षण मिले। परिवार कल्याण केन्द्र इसकी व्यवस्था करे या अन्य स्वास्थ्य परिवार संगठन बीच-बीच में शिविर लगाएं जिनमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएं और सब तरह से उन्हें तैयार किया जाए।

संस्कार और वातावरण

इसके साथ-साथ उनमें अच्छे संस्कार भरे जाएं। देश, जाति, एकता, त्याग, समर्पण, बलिदान की भावना कूट-कूटकर भरी जाए। सारी क्रांति विचार से उत्पन्न होती है। संस्कार से उत्पन्न होती है। अच्छे संस्कारों का ही परिणाम था कि अभिमन्यु ने गर्भ में रहकर ही चक्रव्यूह प्रवेश का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सुभद्रा के ऊंचे संस्कार न होते तो अभिमन्यु कहां से सीख पाते। महिला विकास का प्रमुख घटक है उनमें घर परिवार, स्वास्थ्य के प्रति पूर्णतः जागरूकता लाना। साथ ही ऊंचे संस्कार भरना। इसी प्रकार के ऊंचे संस्कारों को आधार मानकर प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक मैजिनी ने लिखा था– "बच्चा नागरिकता का सर्वोत्तम पाठ पिता के प्यार एवं माता के चुंबन के मध्य सीखता है।"

महिला के विकास इन्हीं आयामों को आजमाकर ग्रामीण महिलाओं के विकास पर पहल की जा सकती है।

अंतिम वर्ष अभियंत्रण (इलेक्ट्रानिक्स)
द्वारा डा० विमला उपाध्याय,
वृन्दावन, राजेन्द्र पथ,
धनबाद - 826001।

(पृष्ठ 33 का शेष)

श्रमिक महिलाएं और...

करना पड़ता है कि उन्हें शिक्षा के लिए उनको वक्त ही नहीं मिलता और आर्थिक अभाव रहता है। इनके विकास के लिए सरकारी संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं में इन्हें काम के साथ मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनका चहुंमुखी विकास हो सके।

2. असंगठित महिलाओं के गांवों और शहरों में संगठन बनाए जाएं ताकि उनमें चेतना पैदा हो।
3. जिन परिवारों में स्त्रियां पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी करती हैं उनकी अपेक्षा जिन परिवारों में किसी भी स्त्री ने नौकरी नहीं की उसे प्राथमिकता दी जाए।

शोध छात्रा,
06-ई महानदी, जे. एन. यू.,
नई दिल्ली-67।

(पृष्ठ 44 का शेष)

बढ़ती जनसंख्या...

काफी प्रयत्नशील है, किन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। खाद्य समस्या को दूर करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना, खाद्यान्नों का आयात करना, अन्न बचाओ आन्दोलन चलाना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, बेकार पड़ी उपजाऊ भूमि पर कृषि करना, सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली, सरकार द्वारा खाद्यान्न वितरण, सुरक्षित भण्डार में वृद्धि तथा साख नियंत्रण मुख्य हैं। इन प्रयासों से भारत में खाद्य समस्या एक प्रकार से हल होती दिखाई दे रही है। फिर भी इस समस्या को कभी भी नजरअंदाज न करके खाद्यान्न वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रयास जारी रखने होंगे।

प्रतिभा प्रकाशन,
बलिया-277001 (उ. प्र.)

शिक्षा प्रगति के लिए आवश्यक

✍डा. कमलेश रानी

किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। शिक्षा मानव के गुणों को उजागर करती है। समाज में व्याप्त अन्ध विश्वासों, रूढ़ियों, कुरीतियों तथा अन्य बुराइयों को दूर करके शिक्षा प्रगतिशील समाज की रचना में योगदान करती है। भाग्यवादिता और हीनभावना का अंत होने से मनुष्य में आत्मविश्वास पैदा होता है।

आज की गतिविधियां अत्यन्त तीव्रगामी हैं। जीवन की गतिशीलता के लिए शिक्षा उत्प्रेरक का कार्य करती है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का उपकरण आवश्यक है। शिक्षा ज्ञान का प्रसार करके विकास के नए रास्ते खोलती है। आज मानव शिक्षा की सहायता से ही ज्ञान, विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए धरती से अंतरिक्ष में पहुंचकर ग्रह नक्षत्रों की खोज कर रहा है। प्रकृति पर विजय पाने का स्वप्न शिक्षा द्वारा ही साकार हो सकता है। नदियों के रुख को मोड़ना, पर्वतों के उत्तुंग शिखरों तक पहुंचना, सागर की छाती को चीर समुद्री सम्पदा प्राप्त करना आदि शिक्षा द्वारा ही मनुष्य के लिए संभव हुआ है।

जनतांत्रिक मूल्यों की प्रतिस्थापना और राष्ट्र के विकास की राह में निरक्षरता को सबसे बड़ी अड़चन मानते हुए ही संविधान में उसे जड़ से दूर करने का पवित्र संकल्प लिया गया है। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य संविधान के लागू होने के बाद दस बर्षों में 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रयास करेगा। लेकिन संविधान लागू हुए लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद अब तक देश के बहुत से बच्चे अशिक्षा के अंधकार में भटक रहे हैं।

प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा रूपी इमारत की पहली मंजिल होती है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा इमारत की दो अन्य मंजिले हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों प्राथमिक शिक्षा की पहली मंजिल पर खड़ी हैं। अगर नीचे की मंजिल कमजोर हो तो इमारत अधिक समय तक टिकी नहीं रह सकती। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जीवन के उत्थान के लिए शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। यह शरीर के लिए मानसिक भोजन के समान है। इसके बिना शरीर का विकास अधूरा रहता है।

जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के प्रति घोर उदासीनता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन् 1885 में अपनी स्थापना के बाद से ही प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्यता और उसकी समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने 6 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का विधेयक विधान परिषद् में पेश किया। लेकिन इसे 13 मतों के मुकाबले 38 मतों से नामंजूर कर दिया। तब भी कहा जाता था और आज भी कहा जाता है कि शिक्षा लोगों का एक बुनियादी अधिकार है लेकिन करोड़ों व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वे आज भी पिछड़ेपन, अज्ञान व अंधकार में डूबे हैं। कितने ही बच्चे शिक्षा के अभाव में अपने को और अपने मां-बाप को कोसते रहते हैं। अगर शिक्षा निर्धनों की पहुंच के बाहर है तो देश कितनी ही प्रतिभाओं, क्षमताओं और लाभों से वंचित रह जाता। सभी गरीब मंदबुद्धि हैं अथवा सभी धनाड्य प्रतिभा संपन्न हैं, ऐसी धारणा गलत है। प्रश्न है, अवसरों की उपलब्धि का। समान अधिकार मिलने के कारण ही आजादी के बाद देश में शिक्षा का विस्तार हुआ है। 1951 में देश में साक्षरता 16.5 प्रतिशत थी जो 1991 में 52.1 प्रतिशत हो गई। इन आंकड़ों के बावजूद देश में बड़ी संख्या में स्त्रियां निरक्षर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी खराब है।

निरक्षरता के अनेक कारण हैं – मां-बाप के पढ़े लिखे न होने पर बच्चे भी प्रायः निरक्षर रह जाते हैं। इस तरह संपूर्ण देश में अभिभावकों की निरक्षरता लाखों बच्चों के निरक्षर होने का कारण है – जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और निर्धनता को भी निरक्षरता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रोजगार से सीधे जुड़े न होने के कारण भी शिक्षा के प्रति उत्साह में कमी दिखायी देती है।

एक बात तो यह भी है कि अंग्रेज भारत से जाने के पहले शिक्षा की जिस पद्धति को छोड़ गए, उसने भी निरक्षरता बढ़ाने में कम योगदान नहीं दिया। खेत-मजदूर, साईकिल अथवा मोटर

मैकेनिक तथा कारखाना मजदूर अपने बच्चों को इस भय से स्कूल नहीं भेजते कि घर में कमाने वाला कम हो जाएगा। फिर स्कूल की वर्दी, पुस्तकों का व्यय और अन्य खर्चे गरीब अभिभावक के अंदर बच्चों को पढ़ाने के रहे-सहे उत्साह को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। उसकी सोच यह है कि यह दुगना घाटा क्यों उठाया जाय? छोड़ो पढ़ाई-वढ़ाई को, पढ़ लिखकर भी उसे मेरी तरह मेरे काम में ही जुट जाना है। यही कारण है कि बाल शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। पहली कक्षा में दाखिल प्रत्येक 100 बच्चों में से केवल 23 बच्चे ही आठवीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि निपट गरीबी से अभिशप्त बच्चों के मां-बाप के सामने पहला सवाल पेट पालने का होता है पढ़ाई का नहीं। इसलिए बच्चों के थोड़ा समझदार होते ही ये निर्धन व्यक्ति इन्हें खेतों, दुकानों, कारखानों या छोटे-मोटे कामों, बीड़ी बनाने तथा बर्तन मांजने आदि के विभिन्न कामों में लगा देते हैं जिससे वे अपने तन ढकने और दो जून रोटी के लिए कुछ कमा सकें। निर्धनों की मजबूरियां उनके बच्चों को पढ़ाई से रोक देती हैं।

किसी भी देश के विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए जनता का सक्रिय सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। ग्रामीण विकास के वांछित उद्देश्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब लोगों में निर्णय लेने और लाभ प्राप्ति में स्वयं को भागीदार समझने की समार्थ्य हो। आजकल जो विकास कार्यक्रम चल रहे हैं उनके संबंध में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों में अनभिज्ञता और असहयोग के कारण उन कार्यक्रमों का लाभ उन तक नहीं पहुंचा है। अतः इस संबंध में प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य अनपढ़ प्रौढ़ों को अक्षर ज्ञान कराने के अलावा उन्हें जीवन के प्रति व्यावहारिक बनाना भी है। आज भी हमारा समाज अनेक बुराइयों जैसे बाल-विवाह, नशाखोरी, जुआ खेलना, दहेज प्रथा आदि में जकड़ा हुआ है। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से इन बुर्जुग लोगों को इन परंपराओं से होने वाली हानियों से भी अवगत कराया जाता है जिनसे वे प्रत्यक्ष रूप से जकड़े हुए हैं। अतः इस कार्यक्रम का प्रमुख पहलू सामाजिक चेतना जगाना भी है।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि इन केन्द्रों पर ऐसी योजना प्रारंभ की जाए जिससे वे अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए कुछ सीख सकें। महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर सिलाई-कढ़ाई-बुनाई आदि कार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहां उन्हें अपने क्षेत्रों में आस-पास होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपना रोजगार शुरू करना चाहे तो उसे उसकी जानकारी व बैंक से ऋण व सरकारी सहायता के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ों को अपने रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने में सक्रिय भाग लेने हेतु तैयार किया जाता है।

आज देश के विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या एक अवरोध उत्पन्न कर रही है। अतः जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि परिवार में शिक्षित महिलाएं हों तो उन्हें इस बात का महत्व मालूम होगा कि परिवार सीमित रखने से क्या लाभ हैं और सीमित परिवार से उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है।

साक्षरता बढ़ाने से स्वयं व्यक्ति विशेष के साथ-साथ परिवार, समाज और देश सभी को लाभ होगा। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है और इसी का परिणाम है कि इस राज्य का परिवार परिसीमन के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ रिकार्ड है।

इसके विपरीत अगर निरक्षरता का साम्राज्य इसी प्रकार बना रहा तो निर्धन हमेशा गरीबी के शिकंजे में जकड़ा रहेगा। खेतों, कारखानों में उत्पादन कम होगा, वैज्ञानिक प्रगति अपेक्षित गति से नहीं होगी। जनसंख्या पर लगाम ढीली रहेगी। सामन्ती प्रवृत्ति छाई रहेगी और भाग्य को कोसने के सिवा कुछ भी हाथ नही लगेगा। इसलिए 21वीं शताब्दी के पदार्पण से पहले यह आवश्यक है कि प्राथमिकताएं सही रूप में तय की जाएं तभी हम अपने इस उद्देश्य में सफल होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्कूलों में मध्यावकाश में निःशुल्क भोजन के वितरण की घोषणा करके शिक्षा के प्रति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रोत्साहित किया है। वास्तव में शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए उससे जन-जन को जोड़ना जरूरी है।

शिक्षा के बिना न तो मानव-शक्ति का ही राष्ट्र निर्माण में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है और न ही प्राकृतिक संपदा का देश में विदोहन हो सकता है।

इस प्रकार साक्षरता एक ऐसा साधन है जिसके सहारे व्यक्ति और समाज में चेतना जागृत करके उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का विकास संभव होता है। इसी में सबका कल्याण निहित है।

"हिमदीप" राधापुरी,
हापुड़ - 245101 (उ. प्र.)

ग्रामीण महिला व बाल विकास, कार्यक्रम, डवाकरा के अंतर्गत लाभान्वित एक महिला।

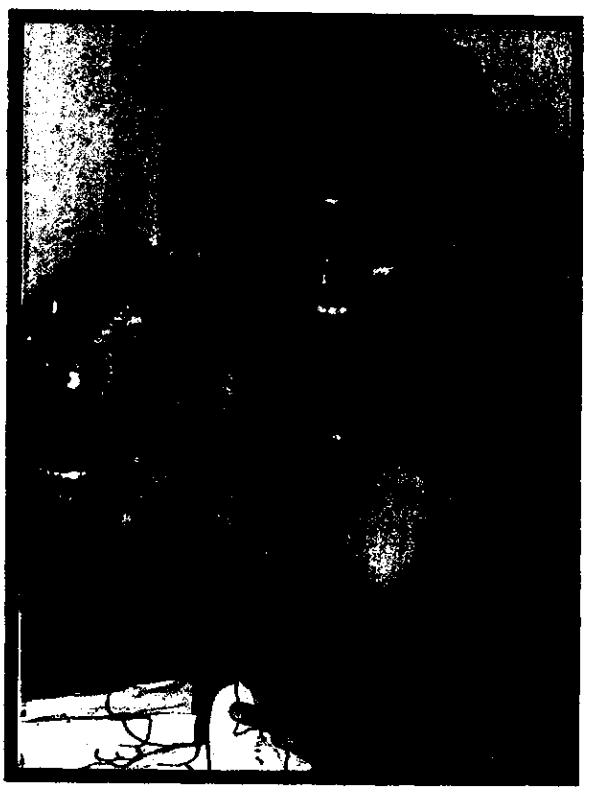

आज महिलाएं स्वावलम्बी बनने के लिए प्रयत्नशील है। ट्राइसेम योजना के तहत प्रशिक्षित एक महिला अपने काम में लगी हुई है।

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : (डी (डी एल) 12057/95
पूर्व भुगतान के बिना डी. पी. एस. ओ. दिल्ली में डाक में डालन
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

R.N./708/57
P & T Regd. No. D/(DL) 12057/95
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at DPSO, Delhi-54

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली - 110001 द्वारा प्रकाशित और आकाशदीप प्रिन्टर्स, नई दिल्ली - 110002 द्वारा मुद्रित